हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 18 फरवरी, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री राकेश पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

18.02.2026/1100/बी.एस./डी.सी.-1

प्रश्न संख्याः 3137 (स्थगित प्रश्न)

श्री लोकेन्दर कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि, सूचना तो एकत्रित होती रहेगी परंतु मैं चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार से गाइडलाइन्ज आती हैं और हमने जो ट्रांसफर पॉलिसी बनानी है, यह हमारा पहला टर्म है और हम देख रहे हैं कि सारे-के-सारे मंत्री और अधिकारी ट्रांसफर में ही व्यस्त हैं और मुख्य मंत्री जी जो विकासात्मक बात करते हैं कि विकास करना है उसके लिए समय नहीं मिल पा रहा है तो मैं चाहूंगा कि यह सूचना भी एकत्रित हो जाए और ये ट्रांसफर पॉलिसी भी जल्दी बन जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब इस विषय को हाइकोर्ट ने भी टेक ओवर कर लिया है उन्होंने भी यही काम पकड़ा है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो पुरानी ट्रांसफर पॉलिसी चली हुई है और नई पॉलिसी के लिए बड़ा विचार-विमर्श चल रहा है और गहन विचार-विमर्श चल रहा है। इसमें बहुत समय लगेगा। कई प्रकार की स्थितियां हैं, इसलिए जो भी ट्रांसफर पॉलिसी जब कभी आएगी, कई प्रकार की चीजों को देखना पड़ता है परंतु जब तक नई पॉलिसी नहीं आती तब तक पुरानी पॉलिसी लागू रहेगी।

18.02.2026/1100/बी.एस./डी.सी.-2

प्रश्न संख्याः 3679 (स्थगित प्रश्न)

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि जो सिरमौर ताल में अगस्त, 2023 में बाढ़ आई थी और बादल फटे थे तब 10 परिवारों की 53 बीघा जमीन बंजर कदीम हो चुकी है। उस जमीन में हजारो टन मलबा 25- 25 फुट की ऊंचा तक भर गया है। क्या सरकार इस जमीन को समतल करने के लिए कोई एस्टीमेट बनाकर इनको पैसा देगी? दूसरी बात यह है कि जो जमीन में पत्थर ऊपर से आए हैं और

पेड़ आए हैं अगर किसान इस जमीन को साफ करते हैं, सफाई करते हैं तो क्या वह पत्थर और पेड़ उन किसानों को दिए जाएंगे या विभाग का उस पर क्लेम होगा? इस बारे मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उपमण्डल नागरिक पावंटा साहिब की रिपोर्ट के अनुसार गांव सिरमौर ताल में अगस्त, 2023 में भारी बरसात बादल फटने के कारण 10 परिवारों की लगभग 53 बीघा भूमि में भारी मलबा भर गया था जहां तक संभव हो सका लोक निर्माण विभाग व एन0एच0 विभाग की मदद लेकर मशीन द्वारा मलबा हटाकर भूमि समतल की गई थी। इसके अतिरिक्त 26 आपदा प्रभावित परिवारों को मु0 3,57,830 रुपये और 5 सदस्यों की मृत्यु होने पर मु0 20 लाख रुपये की केवल उनको रात प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त उपमंडल भू संरक्षण अधिकारी पावंटा जिला सिरमौर की रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र के कृषकों द्वारा भूमि सुधार हेतु कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।

अध्यक्ष : मंत्री जी, इनका दूसरा सप्लिमेंटरी है कि क्या सरकार वहां पर मलबा बगैरा को निकालने का कार्य करवाएगी?

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी...

18.02.2026/1105/DT/DC-1

प्रश्न संख्या:3679 जारी....

राजस्व मंत्री जारी...

उसके मुताबिक तो हमने गाद भी निकाल दी है। जो कंपनसेशन देनी थी वह भी दे दी है। हमने इन्हें स्पेशल पैकेज के तहत कंपनसेट किया है। जो राशि इनको दी गई है वह भी काफी अमाउंट है क्योंकि राहत मैनुअल के हिसाब से जो राशि दी जानी थी वह तो बहुत कम थी। परंतु जो राशि हमने दी है वह स्पेशल पैकेज के तहत दी है। यह सब कुछ इनको मिल गया है। अगर कोई और बात है तो माननीय सदस्य मुझे बताएं।

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा जमीन की कोई सफाई नहीं की की गई है। वहां पर जमीन बंजर पड़ी है और अभी भी उसमें कोई खेती नहीं हो रही है। मैं आपसे

आश्वासन चाहता हूं कि क्या इस जमीन की सफाई करने के लिए व इसे समतल करने के लिए सरकार पैसे का प्रबंध करेगी?

दूसरी बात मैंने यह कही है कि जो रास्ता खराब हुआ वह भी आज तक प्रॉपर तरीके से नहीं बना है। जो रास्ता केवल सफाई करके बनाया है वह अभी भी उबड़-खाबड़ है। क्या आप उस रास्ते की भी रिपेयर करवाएंगे? मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो लोग आपदा में मरे हैं या जिनके ट्रैक्टर बह गए हैं उन्हें ही क्लेम दिया गया है बाकी
कोई क्लेम नहीं मिला है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इस जमीन में पेड़ और पत्थर जमा हो गए हैं अगर किसान उनकी सफाई करते हैं तो क्या उसके मालिक किसान रहेंगे या फिर फॉरेस्ट विभाग या मीनिंग विभाग वाले अपना अधिकार जमा लेंगे? मैं इसके बारे में आपसे आश्वासन चाहता हूं।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो राहत राशि दी जाती है वह तो काफी कम थी। परंतु वर्ष 2023 में मुख्य मंत्री जी ने पहली बार हिमाचल प्रदेश को स्पेशल पैकेज देने की शुरुआत की। पहले फसल के नुकसान पर केंद्र सरकार के द्वारा जो राहत राशि किसानों को दी जाती थी वह 680 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से दी जाती थी। लेकिन हमारी वर्तमान सरकार ने किसानों को 4000 रुपये प्रति बीघा की राहत राशि दी है। कृषि एवं बागवानी योग्य भूमि से गाद निकालने के लिए केंद्र सरकार 1440 रुपये प्रति बीघा देती है जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति बीघा कर दिया है। इसके अतिरिक्त कृषि एवं बागवानी योग्य भूमि अगर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसके लिए केंद्र सरकार 3760 रुपये रुपये प्रति बीघा देती है लेकिन हमारी सरकार ने स्पैशल पैकेज के रूप में इसे

18.02.2026/1105/DT/DC-2

10000 रुपये कर दिया है। जिन 10 लोगों की बात माननीय सदस्य ने की है उनमें से 26 लोगों को हमनें जो 53 बीघा भूमि दी है उसकी डिटेल इनको उपलब्ध करवाई गई है कि 4200 रुपये से लेकर 1,50000 रुपये तक की राशि व्यक्तिगत तौर पर संबंधित किसान/बागवान की भूमि के हिसाब से दी गई है। जिसके पास ज्यादा भूमि है उसे 1,50000 रुपये तक मुआवजा भी मिला है और जिसके पास भूमि कम है उसको 2100 रुपये या 3000 रुपये तक भी मिला है। इसी तरह से जो और लोग हैं उनको भी यह राशि दी गई है। हमें

अभी तक कुल 12,06,830 रुपये की राशि उन 26 लोगों को दी है जिनकी भूमि या फसल का नुकसान इस आपदा में हुआ है जिसे उनकी कृषि के हिसाब से उनको दिया गया है। अगर इसके बावजूद भी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि किसी भूमि में गाद है तो इसके लिए मैं पुनः सब-डिवीजनल स्तर के अधिकारी को मौके पर भेजूंगा ताकि वस्तुस्थिति से अवगत हो सकें। **प्रभावित व्यक्ति की जो भी मदद होगी हम उसको करने के लिए तैयार हैं।**

दूसरी बात जो इसमें पेड़ गिर कर आए हैं या जो गाद आई है तो जो जिनके खेत में आए हैं वे तो उन्ही के हुए। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।

18.02.2026/1105/DT/DC-3

प्रश्न संख्या : 3721

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें कहा गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इस संबंध में तीसरी बार मेरे द्वारा यह प्रश्न इस सदन में पूछा गया है और यही उत्तर दिया जाता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि संबंधित विभाग में सूचना को छिपाने का सिस्टम चला हुआ है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वासन देंगे कि इसकी सूचना इस सत्र में ही मिल जाएगी?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। **हम कोशिश करेंगे कि इसी सत्र में सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी अगर यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं हुई तो हमारा प्रयास रहेगा कि इसे मॉनसून सत्र में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सती की बात बिल्कुल सही है**

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

18.02.2026/1110/एच.के.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 3721.....जारी

मुख्य मंत्री..... जारी

और यह ऑनलाइन अटेंडेंस है। इसमें मैंने पाया है कि 50 मीटर का ऐरियल (हवाई) डिस्टेंस बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई अस्पताल (आई0जी0एम0सी0) में है तो 50 मीटर के अनुसार वह स्कैंडल प्वाइंट में पहुंच जाएगा। मैंने इसके संदर्भ में ऑर्डर किए हैं कि उस मैडिकल कॉलेज, स्कूल या उस संस्थान के कॉर्डिनेट बेस पर अटेंडेंस लगाएं। इस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं। **माननीय सदस्य के प्रश्न के लिए हम कोशिश करेंगे कि इस सत्र में नहीं तो अगले मॉनसून सत्र के दौरान पूरी सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी।**

18.02.2026/1110/एच.के.-एन.जी./2

प्रश्न संख्या - 3844

श्री कुलदीप सिंह राठौर : अध्यक्ष महोदय, मैंने चार चरणों में प्रश्न पूछा था। प्रश्न के '(क)' भाग में मैंने पूछा था कि 'क्या यह सत्य है कि गत तीन वर्षों में राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों (ए0पी0एम0सी0) में सेब की खरीद करने वाले लदानियों द्वारा सेब उत्पादकों से माल खरीदने के उपरांत भुगतान न करने एवं फरार हो जाने के मामले सामने आए हैं?'

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत चिंता का विषय है। हर वर्ष छोटे बागवानों को करोड़ों रुपयों की चपत लगती है। मुझे जो उत्तर मिला है उसमें इतनी ज्यादा leniency है और कहा गया है कि हम नोटिस इश्यू कर रहे हैं या मामले माननीय कोर्ट में दे रहे हैं। मेरा मानना है कि इससे बहुत ज्यादा समय नष्ट हो जाता है। मेरा माननीय कृषि मंत्री से आग्रह है कि आप ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई कीजिए और इस प्रकार के मामलों को निपटाने का प्रयास करें। किसानों/बागवानों को पैसा मिलने में वर्षों का समय लग जाता है और खासकर छोटे बागवानों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इस विषय पर मैं माननीय कृषि मंत्री से चाहूंगा कि वे ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश पारित करें।

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का '(ख)' भाग यह था कि 'यदि हां, तो ऐसे मामलों में संबंधित ए0पी0एम0सी0 द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है तथा कितने मामलों में सेब उत्पादकों को उनका बकाया भुगतान दिलवाया गया है?'

अध्यक्ष महोदय, it is also not very clear. इसमें बहुत वेग सा उत्तर दिया गया है और कार्रवाई के नाम पर लीपापोती की जा रही है।

18.02.2026/1110/एच.के.-एन.जी./3

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का '(ग)' भाग यह था कि 'क्या ए0पी0एम0सी0 नियमों के अंतर्गत सेब की खरीद करने वाले लदानियों से किसी प्रकार की सिक्योरिटी/गारंटी/ बैंक गारंटी ली जाती है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें; यदि नहीं, तो कारण?'

अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर भी आया और वह भी ठीक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि प्रोपर सिक्योरिटी या बैंक गारंटी ली जाती है तो हर वर्ष ऐसे मामले क्यों आते हैं? मुझे लगता है कि कहीं-न-कहीं ए0पी0एम0सी0 की ओर से इसमें कोताही बरती जाती है। हमने बहुत जगहों पर देखा है कि जो लोग एक जगह डिफॉल्टर घोषित होते हैं वे दूसरी मंडियों में जाकर व्यापार करते हैं। मेरा माननीय कृषि मंत्री से प्रश्न है कि वे इस प्रकार के मामलों को भविष्य में किस प्रकार से सुलझाने का प्रयास करेंगे? मेरा आग्रह है कि माननीय कृषि मंत्री यह भी देखें कि ए0पी0एम0सी0 ने क्या बिलकुल जिम्मेदारी से कार्य किया है?

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का अंतिम व '(घ)' भाग यह था कि 'क्या यह भी सत्य है कि सरकार सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु भविष्य में लदानियों से अनिवार्य रूप से पर्याप्त सिक्योरिटी/बैंक गारंटी लेने जैसे कड़े प्रावधान करने का विचार रखती है; ब्यौरा दें?

अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इस वर्ष हमारी शिलारू मंडी आरम्भ हुई और उसमें लगभग 5 करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ। आढ़ती या बहार से जो व्यापारी आए थे, वे सेब के ट्रक लेकर भाग गए और बागवानों को उनका भुगतान नहीं किया गया। उसके बाद उनके कुछ साथियों को हमारे लोगों ने पूछताछ के लिए रोक लिया। उनके विरूद्ध

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

18.02.2026/1115/एच.के./ए.पी./01

प्रश्न संख्या 3844 जारी .....

श्री कुलदीप सिंह राठौर जारी .....

हरियाणा में एफ0आई0आर0 हुई और रात के अंधेरे में पुलिस बिना किसी कोर्ट के आदेश आई और हमारे लोगों को, जो हमारे बागवान हैं, उन्हें पकड़ के ले जाने के लिए उनके घर पहुंच गई। यदि अध्यक्ष महोदय, हमें तुरंत पता नहीं चलता तो क्या होता। परंतु हमें पता चल उसके बाद हमारी पुलिस ने इंटरवीन किया और उन्हें रोका गया। यह तो बहुत अजीब स्थिति है। कई जगहों जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से आढ़ती आते हैं, व्यापारी आते हैं, और हमारे लोग उनके साथ जाते हैं। इस कारण बहुत मुश्किलें और समस्याएं आ रही हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत चिंता का विषय है। मेरा मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन है कि इस मामले पर आप भी हस्तक्षेप करें। आप कोई ऐसा प्रावधान बनाएं कि भविष्य में पुनरावृति न हो। साथ ही, ए0पीएम0सी0 को अपनी कार्यप्रणाली को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। यही मेरा कहना है। मैं कृषि मंत्री महोदय से भी चाहूंगा कि जो मैंने अभी बात रखी है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। कृपया करके हमें अवगत कराएं कि सरकार और आपका विभाग इस तरह की स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर जी की चिंता बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारी जो मंडिया है, शिमला, किन्नौर, सोलन, कुल्लू और लाहौल-स्पीति इनकी 379 शिकायतें हमारे पास आई। इनके लिए कुल देय राशि 8 करोड़ 5 लाख 65,242 रुपये है और 144 जो शिकायतें हमारे पास शिमला और किन्नौर की आई हैं उनमें से 35 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है और भुक्तान की राशि 79 लाख 78 हजार 295 रुपये की हो गई है। लेकिन अभी भी 3 करोड़ 43 लाख 86,388 रुपये की राशि लंबित है। इस तरह से सोलन में 191 शिकायतें हमारे पास आई हैं। जिसमें देय राशि 3 करोड़ 36 लाख 81,873 रुपये है। इनमें सिर्फ 12 शिकायतों का निपटारा हुआ है और भुक्तान की राशि 98 लाख 34 हजार 102 रुपये है। जबकि लंबित मामलों की राशि 2 करोड़ 38 लाख 47,781 रुपये की है। लाहौल-स्पीति के 44 मामले

18.02.2026/1115/एच.के./ए.पी./02

हमारे पास आए हैं, जिसमें कुल देय राशि 45 लाख 38,706 रुपये की है और इसमें पूर्ण और 12 आशिंक रूप मामले लंबित है। यहां पर लंबित राशि 30 लाख 30,131 रुपये की है। हमारे पास इस समय कुल शिकायतें 379 हैं। इसमें लंबित राशि लगभग 8 करोड़ 12लाख 44, 171 रुपये है, जोकि बहुत ज्यादा है। मैं देख रहा था कि हमारा जो एक्ट है उसमें आढ़ती या अन्य लोगों से इस एक्ट में प्रावधान के साथ 1 से 15 करोड़ तक सिर्फ 5 लाख रुपये की गारंटी ली जाती है। 15 से 28 करोड़ तक के लिए 10 लाख की गारंटी है। 25 से 50 करोड़ की 12 लाख तक की गारंटी है। 50 से 75 करोड़ तक की 25 लाख रुपये गारंटी है। 75 से अधिक की राशि की 50 लाख रुपये गारंटी है। यह जो सिक्योरिटी है यह बहुत कम है। यह जो मामले है इनमें से कुछ के कोर्ट कोस चले हैं और वे मामले अभी लंबित हैं। यह एक बड़ा सीरियस मैटर है, क्योंकि जो हमारे किसान लोग हैं जो सेब का उत्पादन करते है, उन्हें समय पर पैसा नहीं मिल पाता, जोकि मिलना चाहिए। अभी भी मेरी विभाग से चर्चा हो रही थी कि सिक्योरिटी अमाउंट को बढ़ा दिया जाए। कुछ प्रतिशत बढ़ाया जाए, यह बहुत कम सिक्योरिटी है। क्योंकि इसमें डिफॉल्टर्ज भी हैं और कई बार समय पर

किसानों को बागवानों को भुक्तान नहीं हो पाता है। इसके लिए हमें बड़ी गहन चिन्ता है कि समय के ऊपर किसनों को भुक्तान हो जाए। किसान जब भी अपना सेब लेकर मण्डी पर आता है, उसे एक सप्ताह के भीतर उसकी पेमैंट हो जानी चाहिए। जैसे-जैसे केस बढ़ते जाते हैं वैसे-वैसे कम्युलेटिव पेमैंट बढ़ जाती है जिससे वह किसान या बागवान डिफॉल्टर बन जाता है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

18/02/2026/1120/AT/YK /01

प्रश्न संख्या 3844 जारी...कृषि मंत्री जारी ....

अगर हम उसके ऊपर यह कहेंगे कि आपकी शॉप्स को टर्मिनेशन करते हैं, उसे बंद करते हैं, तो वह बिल्कुल ही भाग जाएगा। उसको तो मज़ा आ जाएगा क्योंकि उसकी सिक्योरिटी तो है ही नहीं है इसलिए वह फॉरफिट कर देगा। **इसके लिए कुछ प्रतिशत निश्चित किया जाएगा कि कितना प्रतिशत पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। उसको टाइम-टू-टाइम रिव्यू करने का प्रयास करेंगे।**

18/02/2026/1120/AT/YK /02

प्रश्न संख्या 3845

डॉ0 हंस राज : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ आश्वासन ही चाह रहा हूं। जैसा इन्होंने सूचना में भी कहा है कि एक नोटिफिकेशन की थी जिसमें डी-नोटिफिकेशन की बात की थी। साथ ही जो हमने AHC खोली थी उसमें भौड़ास, अप्पर तरेला, बिहाली, सलोह, औला, सलेलाबाड़ी व कैहला हैं। मैं इसमें अप्पर तरेला की जो हमारी AHC है जब स्वर्गीय मोहनलाल जी आयुर्वेद मंत्री थे, वर्ष 1998 के दौर में, अध्यक्ष महोदय आप भी उस समय विधायक थे उस समय यह AHC खोली गई थी और जो भोड़ास की AHC बहुत दुर्गम क्षेत्र में है। साथ ही हमारा सलेलाबाड़ी हो, कैहला हो या सलोह ये ऐसी जगहें हैं जहां अभी कुछ समय पहले थोड़ा-बहुत रोड कनेक्ट किया गया है लेकिन अभी भी वहां तक पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। जसौरगढ़ हमारी

मेन पंचायत है लेकिन ये ऐसी जगहें हैं जहां स्वास्थ्य सेवाएं पहले नहीं थीं। पिछली बार जब मैं स्वयं डिप्टी स्पीकर था और सरकार भी हमारी थी उस समय हमने कुछ AHC और बढ़ाई थीं ताकि स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को घर-द्वार पर मिलें। बीच में जब डी-नोटिफिकेशन हो रही थी उस समय एक नोटिफिकेशन हुई थी। लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी से गुजारिश की थी कि हमारे दुर्गम क्षेत्र को देखते हुए इन सात AHC को डी-नोटिफाई न करें। उस समय इन्होंने ओ0पी0डी0 आदि का हवाला दिया था लेकिन वहां फार्मासिस्ट नहीं जाते। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि इन दुर्गम और दूरस्थ पंचायतों को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी मुझे आश्वासन देंगे कि ये डी-नोटिफाई नहीं होंगी?

18/02/2026/1120/AT/YK /03

आयुष मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह जो डी-नोटिफिकेशन हुई थी वह केवल जिला चंबा के विधानसभा क्षेत्र की नहीं थी। विस्तृत रूप से यदि आप देखें बिलासपुर, कुल्लू, चंबा लगभग सभी जिलों में करीब 155 पोस्ट हमने स्थानांतरित की थीं। कारण यह था कि जितनी भी AHC हैं वहां अभी तक भवन नहीं था वे रेंट पर चल रही थीं या किसी के द्वारा डोनेटेड थीं। अब जिन AHC की आपने बात की है मैं क्रमवार बताना चाहूंगा जो आपने आयुर्वैदिक स्वास्थ्य केंद्र भोड़ास में एक साल में 767 ओपीडी,बिहाली में 373,ओला में 309,सलेलाबाड़ी में 324,कैहला में 841। अगर आप देखें तो औसतन एक दिन में एक-एक पेशेंट जा रहा है। दुर्गम क्षेत्र की बात करें तो अप्पर तरेला और सलोह में क्रमशः 1112 और 1203 ओपीडी हैं। इन दोनों AHC के बारे में सोचा जा सकता है लेकिन बाकी पांच डिस्पेंसरी जहां औसतन दिन में एक पेशेंट जा रहा है, उन्हें चलाना मुश्किल हो रहा है। **निकट भविष्य में इसके बारे में सोचा जाएगा।**

डॉ. हंस राज : सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जब वहां फार्मासिस्ट या स्टाफ ही नहीं होगा और जो दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए वे नहीं होंगी, तो लोग वहां से बाहर जाएंगे ही जाएंगे। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी या मंत्री जी मुझे इतना आश्वासन दे दें कि आप एक बार स्टाफ अप्वॉइंट कर दें। उसके बाद एक-दो महीने में सर्वे करवा लें। अगर हमारी ओ0पी0डी0 नहीं बढ़ती है, तो मैं खुद कहता हूं कि उसे बंद कर दें। लेकिन इस तरह से एकदम से दुर्गम

क्षेत्रों में खुली हुई AHC को बंद कर देना, चुराह जैसे रिमोट इलाके के साथ अन्याय होगा। मेरा आपसे यही निवेदन है कि भविष्य में वहां फार्मासिस्ट भेजे जाएं। पहले भी कोई ज्वाइन नहीं करता था बड़ी मुश्किल से हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप वहां ज्वाइन करें।

के0एस0द्वारा जारी .....

18-02-2026/1125/केएस/वाईके/1

डॉ0 हंस राज जारी ----

बड़ी मुश्किल से हमने कइयों से रिक्वेस्ट की कि आप वहां पर ज्वाइन करें और कई जगह पर ज्वाइन किया भी और उसके बाद वहां पर रफ्तार भी पकड़ी लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने घर-द्वार से बाहर जाएगा? जब पर्याप्त दवाइयां, फार्मासिस्ट और पर्याप्त डॉक्टर्ज़ वहां पर उपलब्ध होंगे तो ये चलेंगी। मेरा मंत्री जी से सिर्फ इतना निवेदन है कि हमारा चुराह विधान सभा जो कि चम्बा जिला का रिमोट क्षेत्र है, उसको मध्यनज़र रखते हुए तथा मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए क्या इन आयुर्वेदिक संस्थानों को as usual रखेंगे?

आयुष मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो स्टाफ ना होने की बात रखी है, मैं इनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो इनका आयुर्वेदिक औषधालय भौड़ास है, वहां पर ए0एम0ओ0 भी है, ए0पी0ओ0 और क्लास-4 भी हैं। इसी तरह से अप्पर तरेला में भी हैं। सारी पोस्टें सेंक्शंड हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आपकी डिस्पेंसरीज़ में लगभग एम0एम0ओ0 भी है, ए0पी0ओ0 भी है और क्लास-4 भी है। ऐसा नहीं है कि आपके वहां पर कोई नहीं है। सारी पोस्टें भरी हुईं हैं। लेकिन उसके बावजूद ओ0पी0डी0 नहीं है। जैसे कि मैंने आपको आश्वस्त किया है, जो आपने दो डिस्पेंसरीज़ की बात की है जिनमें 1000 प्लस ओ0पी0डीज़0 हैं उनके बारे में हम पूर्ण विचार विमर्श करेंगे और जो ये ट्रांस्फर्ज़ की हैं, ये कहीं और इलाके में नहीं बल्कि आपके ही एस्पिरेशनल जिला चम्बा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्ज़ हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें ही स्थानांतरित की हैं।

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जो स्टाफ की बात कर रहे हैं, अभी पीछे ही आप लोगों ने ये पोस्टें भरी थीं। हमने ही इसके लिए रिक्वेस्ट की थी और हमारे क्षेत्र के लड़के ही इनमें निकले थे जिन्होंने वहां ज्वाइन किया। आप जो बिल्डिंग की भी बात कर रहे हैं, अगर आपका विभाग कहेगा कि हमें जगह दिलवाई जाए तो हम प्राइवेट लैंड देने के लिए भी तैयार हैं। मोटिवेशनल कैम्प मैं खुद भी कर सकता हूं लेकिन एक झटके से ही उनको उठाकर चम्बा, सदर या कहीं और ले जाना चुराह विधान सभा क्षेत्र के साथ अन्याय होगा। मैं मंत्री जी से गुज़ारिश करना चाहता हूं कि चुराह विधान सभा क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए जगह हम दिलवाते हैं, आप पैसा

18-02-2026/1125/केएस/वाईके/2

दिलवाएं। उसके साथ-साथ ओ0पी0डी0 बढ़नी या बढ़ानी है, वह हमारा काम है, हम बात करेंगे लेकिन जनता की मांग यही है कि आप इनको as usual बहाल रखें, यह मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं।

आयुष मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहूंगा कि वर्तमान में जो ये आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, अपने ही वास्तविक स्थान पर काम कर रहे हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने भवनों की बात की, भवन भी हम वहीं पर देंगे जहां पर अच्छी ओ0पी0डी0 होगी। **माननीय सदस्य ने इतनी गुज़ारिश की है तो मैं इनको आश्वासन देता हूं कि अगले छः महीने तक हम ओ0पी0डी0 देखेंगे लेकिन अगर उसी ट्रैक पर ओ0पी0डी0 नहीं आएगी तो फिर उसके बारे में एक्शन लिया जाएगा।**

18-02-2026/1125/केएस/वाईके/3

प्रश्न संख्या : 3846

श्री प्रकाश राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक विधायक उनकी विधानसभा क्षेत्र की जनता द्वारा चुनकर आता है। जनता की एक ही आस होती है कि छोटे-मोटे रास्ते, डंगे, महिला-मण्डल, युवक-मण्डल भवन आदि बनाने के लिए हमारा विधायक कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन विधायकों की निधि बंद कर देना, इसका मतलब है कि विधायक एकदम ज़ीरो होता जा रहा है। इतना कि वह अपने क्षेत्र में अपने बूथों तक भी नहीं जा सकता। जाए तो कैसे जाए? यह मेरा ही प्रश्न नहीं है, जितने भी विधायक यहां पर बैठे हैं, यह उन सभी का प्रश्न है। जब बजट आया था तो बजट में इसका प्रावधान था लेकिन विधायक निधि ना मिलना एक बहुत ही चिंता का विषय है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सभी विधायकों की चिंता को ध्यान में रखते हुए, ऐसा ना हो कि विधायकों की शक्ति ज़ीरो हो जाए। माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि वे लंबित धनराशि कब तक जारी कर देंगे?

मुख्य मंत्री श्रीमती अ0व0 की बारी में ----

18.02.2026/1130/AV/AG/1

प्रश्न संख्या : 3846------- क्रमागत

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा द्वारा किए गए प्रश्न के संदर्भ में यह बताना चाहता हूं कि आपकी जो भी विधायक निधि गई है उसमें मैंने देखा है कि वह विकास कार्यों की जगह खरीददारी में ज्यादा गई है। क्रमांक संख्या 1 से लेकर आगे सभी में महिला मण्डलों को पैसे दिए गए और लगभग 543 महिला मण्डलों को विधायक निधि से पैसे दिए गए। जबकि महिला मण्डलों को विधायक निधि से पैसे देने की सीमा 10 प्रतिशत है। परंतु यहां पर तो मुझे लगता है कि पूरा पैसा ही महिला मण्डलों को दे दिया गया। अगर किसी ने महिला मण्डलों को पैसा देना है तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। ...(व्यवधान) मैंने वह अपनी विधायक निधि से नहीं दिए, वह मैंने मुख्य मंत्री की ऐच्छिक निधि में से दिए। उसमें विधायक निधि शामिल नहीं है और मैं यहां पर विधायक निधि की बात कर रहा हूं। माननीय विधायक ने दिए, अच्छी बात है। मैं इसमें इनका विरोध नहीं कर रहा हूं। परंतु जहां पर लोगों के डंगे लगने हैं, जहां पर आपके कुछ कैपिटल वर्क्स

अधूरे पड़े हैं, कोई 400-500 मीटर कंस्ट्रक्शन हेतु रोड का कार्य लटका है, एफ0आर0ए0 के केस के पैसे देने है या कहीं पर पाइप्स शॉर्ट हैं तो आप 10-15 पाइप्स अपनी विधायक निधि से खरीद सकते हैं। हमने इस प्रकार के कार्यों के लिए विधायक निधि रखी होती है ताकि विधायक किसी भी क्षेत्र में जाकर कोई अधूरे पड़े कार्य को तुरंत प्रभाव से करवा सके। परंतु इन्होंने महिला मण्डलों को 10 प्रतिशत से ज्यादा राशि दी है। माननीय सदस्य तो वैसे भी बहुत समर्थ हैं और काफी दान करते रहते हैं। आपने जो इस प्रकार की चीजें की हैं इसको भविष्य में 10 प्रतिशत की सीमा में करके अतिरिक्त राशि अपने दान से देना और बाकी राशि कैपिटल वर्क्स में लगाना ताकि जी0एस0डी0पी0 में भी उसका थोड़ा-सा लाभ मिले। इसके अतिरिक्त मैंने जैसे बताया है कि अभी हम सोच रहे हैं कि किस प्रकार से विधायक निधि देनी है और इसके बारे में सत्र के पश्चात बात करेंगे।

18.02.2026/1130/AV/AG/2

श्री प्रकाश राणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 1.10 लाख वोटर्ज हैं तथा वहां पर 800 से ज्यादा महिला मण्डल हैं। मैंने तो कानून के तहत ही काम किया है और अभी तो 300 महिला मण्डल शेष रहते हैं। मैंने कौन-सा कानून के विरुद्ध काम किया है? माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जाकर वहां 400-500 महिला मण्डलों को 20-20 हजार रुपये की राशि दे दी। मुख्य मंत्री जी, आप हमें यह बताइए कि आप विधायक की शक्ति को जीरो क्यों कर रहे हैं? क्या आपने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जाकर कोई शिलान्यास किया?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री प्रकाश राणा : हमारे पास तो कुछ है ही नहीं और जो कुछ था आपने वह भी छीन लिया। इस प्रकार से मेरा खाली विधायक रहने का क्या मतलब है, क्या मुझे रिजाईन नहीं करना चाहिए? जब विधायक के पास कुछ है ही नहीं तो एक विधायक क्या करेगा? मुख्य मंत्री जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं और कुदरत का नियम है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। आपने जब बजट में प्रावधान रखा है तो यह निधि क्यों नहीं दी? अब हमारे पास तो 10,000 रुपये देने को नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए। ...(व्यवधान) क्या आप विधायक निधि बारे विचार करेंगे? आप इस प्रकार का प्रश्न पूछिए। ...(व्यवधान)

श्री प्रकाश राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या फिर बजट (***) था? यह मेरा प्रश्न नहीं है, यह यहां पर बैठे सभी विधायकों का प्रश्न है।

Speaker: This will not go on record.

श्री प्रकाश राणा : (***)

(***)**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।**

18.02.2026/1130/AV/AG/3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इसीलिए आपको प्रश्न करने का समय दे रहा हूं। आप इस प्रकार का प्रश्न पूछिए कि क्या आप इस बारे में विचार करेंगे? Only the supplementary part will go on record. Ask question. Why are you creating unnecessary ruckus?

मुख्य मंत्री टी सी द्वारा जारी

18.02.2026/1135/टी0सी0वी0/ए0जी0-1
प्रश्न संख्या : 3846.. क्रमागत

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह हमारा अधिकार था। मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपको कानून के अनुरूप जो दिया गया वह केवल 10 प्रतिशत था। ...(व्यवधान) प्लीज आप थोड़ा सुन लीजिए। मुख्य मंत्री अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से नियमों के मुताबिक राशि दे सकता है। जहां तक विधायक निधि की बात है कि अगली किस्त कैसे मिलेगी, इसके बारे में मैं बार-बार कह रहा हूं कि इसके बारे में बैठकर चर्चा

करेंगे कि **हम वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक कितनी राशि दे सकते हैं। अभी तक की परिस्थितियों के मुताबिक यह मामला विचाराधीन है।**

अध्यक्ष : ठाकुर जय राम जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष आप अंतिम अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया है और टेक्निकल चीजों को लेकर माननीय सदस्य को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसा दिया गया है उससे एसैट्स क्रिएट होना चाहिए यानी जी0एस0टी0 में उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन आप स्वयं विधान सभा क्षेत्र में जाकर एक साथ 600 महिला मंडलों को 20-20 हजार रुपये देकर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की घोषणा कर देते हैं। क्या उससे किसी विधान सभा क्षेत्र में कोई एसैट्स की क्रिएशन हुई है?

दूसरी बात, इस विषय को थोड़ा स्पष्ट करें क्योंकि आप इस तरह की राशि दे सकते हैं। लेकिन यदि आर्थिक दृष्टि से या ऐथिक दृष्टि से देखे तो क्या उससे एसैट क्रिएशन हो रही है, क्या उसका जी0एस0टी0 में कंट्रीब्यूशन होगा?

तीसरा, हमारे बहुत-सारे इलाकों में आपदा के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमने पब्लिक के समक्ष अनाउंसमैंट की है कि जहां पुल टूट गया है और पैदल चलने में समस्या है उसे हम विधायक क्षेत्रीय विकास निधि से बनाकर देंगे और वे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। इधर से पैसा हमने बंद कर दिया है। जबकि सचमुच में यह बजट विधान सभा द्वारा पारित किया हुआ बजट है। विधान सभा द्वारा पारित बजट की सैंक्शन के संबंध में भी प्रश्न खड़ा होता है कि बजट पारित होने के बावजूद क्या उस प्रावधान को समाप्त किया जा सकता है?

18.02.2026/1135/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी कम-से-कम जहां हमने पैसा अनाउंस कर दिया है वह पैसा दिनांक 31 मार्च से पहले जारी करें यानी जो दो किस्तें एक करोड़ 10 लाख रुपये

की शेष हैं उनको जारी करना सुनिश्चित करें क्योंकि यह पारित बजट का हिस्सा है। मेहरबानी करके आप जल्द-से-जल्द इसे जारी करें ताकि हम कार्य पूरा कर सकें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कह दिया है कि अभी यह मामला विचाराधीन है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अभी बजट का समय दिनांक 31 मार्च तक है। यदि 31 मार्च तक यह राशि जारी नहीं हुई तो आपके पास नियमों में बहुत-सारी व्यवस्थाएं हैं। ...(व्यवधान)

एन0एस0 द्वारा जारी ...

18-2-2026/1140/एन0एस0-ए0एस0/1

प्रश्न संख्या : 3846 -----क्रमागत

अध्यक्ष -----जारी

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

आपने खबर बनानी है। This is not going on record. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) अच्छा बैठिए, ...(Interruption) Please take your seats. मुख्य मंत्री महोदय आप इनको डिटेल में बता दें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सब जानते हैं और पूर्व मुख्य मंत्री जी भी जानते हैं कि बजट की अवधि 31 मार्च तक है। मैं कह ही रहा हूं लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हैं। ...(व्यवधान) माननीय रणधीर जी आप अब ध्यान से सुनें। **जैसे कह रहे थे कि 1.10 करोड़ रुपये का अभी कहीं टोकन फंसा हुआ है तो उसको तुरन्त प्रभाव से जारी कर दिया जाएगा।** मैंने कहा है कि अगली बार के लिए हम आर0डी0जी0 की चर्चा के बाद आपसे बैठ कर बात करेंगे और विचार करेंगे कि इसमें हम कितना कर सकते हैं? मैं यह स्पष्ट कह रहा हूं कि आर0डी0जी0 की चर्चा के बाद मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा, नेता प्रतिपक्ष

श्री जय राम ठाकुर जी व वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करूंगा और हम 2-3 लोग बैठकर डिसाइड करेंगे कि हम आपको अपनी ट्रेजरी के हिसाब से कितना पैसा दे सकते हैं, हम इस पर बात करेंगे। यह 31 मार्च तक बजटिड है, मैं तभी बता रहा हूं कि उसमें अगर कोई बात करने की स्थिति होगी और ऐसा मैंने आपको पहले भी कहा है। अगर आप यह सोचते हैं कि उस स्थिति को मैं आपके सामने स्पष्ट न करूं तो मुझे ये आपके सामने स्पष्ट करनी ही पड़ेगी क्योंकि हमारे लिए विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछेक चीजें सबके सामने स्पष्ट होंगी। अभी बजट सत्र भी आना है और उसके लिए भी पैसे चाहिए। अभी बजट 31 मार्च से पहले है और यह राशि कैसे देनी है तो इसका तरीका भी तो देखना पड़ेगा। ...(व्यवधान) मैं ऐच्छिक निधि के बारे में भी विचार करूंगा। हम आर0डी0जी0 के मामले में पूरी तरह एक-दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलते हैं और उसके बाद बात करेंगे। इसमें कोई दोराय नहीं है। हमारी सरकार इसमें खुले मन से विचार कर रही है। धन्यवाद।

18-2-2026/1140/एन0एस0-ए0एस0/2

प्रश्न संख्या : 3847

श्री चंद्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न विधान सभा में 2-3 बार पहले भी लगा चुका हूं और इसको हर बार तोड़-मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है। सवाल मुख्य तौर पर यह था कि भारत सरकार के द्वारा एक अति महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन को पूरे भारत वर्ष में लाँच किया गया। गांव/देहात में जो अंतिम व्यक्ति बैठा है उसको इस मिशन का फायदा पूरी तरह से मिल पाता और भविष्यान्मुखी कार्यक्रमों में भी यह जल जीवन मिशन हम लोगों को रोजमर्रा के जल संकट से निजात दिलाता, इसका लक्ष्य यह था। मेरा पहला प्रश्न तो यह था कि पूरे प्रदेश के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितना पैसा आया था और विधान सभा वार या योजनावार कितना बांटा गया? किस-किस विधान सभा क्षेत्र व किस-किस जिला में कितना पैसा बांटा गया और क्या यह मिशन अपने लक्ष्य को पूरा कर पाया? अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने इस प्रश्न का जो उत्तर आया है उसी में से सवाल निकल कर आए हैं और मैं उसी पर केंद्रित हूं। मेरे क्षेत्र में 42 योजनाओं में महत्वपूर्ण कार्य शुरू हुए

जिनमें से 21 योजनाएं 40 से 70 प्रतिशत लंबित पड़ी हैं यानी जिनका कार्य अधूरा है। 10 योजनाएं ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पर हैं और इनका 80 से 95 प्रतिशत कार्य हुआ है। 4 योजनाएं मात्र शत प्रतिशत पूरी हो पाई हैं। इसके अलावा रेस्ट हाउसिज में भी खर्चा हुआ है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या 12 नए रेस्ट हाउसिज बनाने मैनडेटरी थे?

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

18.02.2026/1145/RKS/AS-1

प्रश्न संख्याः 3847 जारी

श्री चंद्र शेखर जारी....

क्या इन रेस्ट हाउससिज का निर्माण कार्य मैंडेटरी था और क्या इन्हें जल जीवन मिशन के तहत ही निर्मित किया जाना था। यह भी कहा गया था कि इन हट्स का इंस्पेक्शन पूरा किये बिना जल जीवन मिशन को पूर्ण नहीं माना जाएगा। क्या इस बात को समझने का यही तरीका था या समझदारी रखने वालों ने इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया। वर्तमान परिस्थितियों में हमें इस पर विचार करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अभी भी दो रेस्ट हाउसिज का निर्माण कार्य अधूरा है और इन्हें पूर्ण करने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार पर है। मुख्य मंत्री जी जल जीवन मिशन के संबंध में कई बार अपना पक्ष रख चुके हैं, जिसे हमने भी सुना है। जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार से जो 1200 या 1400 करोड़ रुपये लंबित है उसकी लगातार मांग की जा रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र और सिराज विधान सभा क्षेत्र की मौजूदा परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां बहुत से कार्य अभी भी अधूरे पड़े हैं। इन 12 रेस्ट हाउसजि की मेंटिनेंस करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख रुपये खर्च होंगे। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या जल जीवन मिशन प्रदेश सरकार का खर्च बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया था या प्रदेश को राहत प्रदान करने के लिए?

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन देश की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को 6395 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। मेरे साथी कह रहे थे कि पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जाती, अतः वे इसे

मॉनिटर करवा सकते हैं कि सरकार पूर्ण जानकारी दे रही है या नहीं। हमें जो 6395 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे उसमें से 5167 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं और 1227 करोड़ रुपये अभी प्राप्त होने शेष हैं। जल जीवन मिशन के तहत कुल 1747 परियोजनाएं स्वीकृत हुई थीं जिनमें से 1100 योजनाएं वर्तमान में क्रियान्वित हैं। मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं परंतु पूर्व शासनकाल में 5167 करोड़ रुपये व्यय करने के उपरांत भारत सरकार को यह लिखकर दे दिया गया कि मिशन पूर्ण हो गया है। इसमें यह सोच रही होगी कि शेष राशि प्राप्त हो जाएगी और मिशन पूर्ण हो जाएगा। किंतु केंद्र सरकार ने यह कहकर शेष राशि रोक दी कि जब मिशन पूर्ण घोषित कर

18.02.2026/1145/RKS/AS-2

दिया गया है तो अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता क्यों है? परिणामस्वरूप 1227 करोड़ रुपये अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। मैं इस विषय में कई बार भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री से मिल चुका हूं। जब यह मिशन पूरे देश में लागू हुआ तो माननीय प्रधान मंत्री जी के स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि जिन राज्यों में कार्यों की गुणवत्ता को लेकर संदेह है, वहां योजनाओं की जांच हेतु विशेष मिशन भेजा जाए। इस प्रक्रिया में लगभग एक से डेढ़ वर्ष का समय व्यतीत हुआ। हमारे प्रदेश में भी यह मिशन आया था और धर्मपुर क्षेत्र की एक योजना की जांच की गई थी। वर्तमान में भारत सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि यदि राज्य को शेष 1227 करोड़ रुपये चाहिए तो टैंक तक की योजना जल शक्ति विभाग द्वारा बनाई जाए तथा टैंक के आगे की व्यवस्था पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित की जाए। भारत सरकार द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि मुफ्त पानी की योजना को समाप्त कर प्रत्येक घर से कम-से-कम 100 रुपये जल शुल्क लिया जाए और निम्न आय वर्ग से 30 रुपये प्रमिमाह वसूले जाएं। मैं हाल ही में हुई बैठक में भाग लेकर आया हूं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार जल शुल्क लेने का सिस्टम बनाएं और टैंक से आगे का काम पंचायतों को हैंडऑवर करें तब जाकर शेष राशि जारी की जाएगी।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

18.02.2026/1150/बी.एस./डी.सी.-1

प्रश्न संख्याः 3847 जारी...

उप-मुख्य मंत्री जारी..

आप इसको चार्ज करने का सिस्टम बनाएं, पंचायत को यह देकर आए तब आपको बाकी का पैसा रिलीज होगा। अब हमारे यहां पर जो 1227 करोड़ रुपये बचा है जो सेंटर से आना है उसमें से 600 करोड़ रुपये के काम पहले हो चुके हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो काम हो चुका है वह आपकी लायबिलिटी है, वह आप हमें दें। उन्होंने हमें भरोसा भी दिया है कि हम आपको पैसा देंगे जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने भरोसा दिया है लेकिन राज्य राज्य सभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने यह कहा है कि जल जीवन मिशन में जितना पैसा जिसको मिल गया ठीक है बाकी जो है स्टेट अपने रिसोर्सेस से पूरा करें। जो रिच स्टेट्स हैं उन्होंने तो कुछ पैसा दे दिया लेकिन हमारे पास वह गुंजाइश नहीं है कि हम 1227 करोड़ रुपया ऐसे निकाल सकें। हम अभी भी इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एक पार्ट तो अध्यक्ष महोदय यह हो गया।

दूसरा पार्ट, इन्होंने धर्मपुर चुनाव क्षेत्र की बात की है, जहां तक धर्मपुर चुनाव क्षेत्र की बात है, धर्मपुर चुनाव क्षेत्र में पानी के हिसाब से पिछली सरकार के समय में 1,441 करोड़ रुपये सैंक्शन किया गया था, एक कांस्टीट्यूएंसी में 1,441 करोड़ रुपये सैंक्शन किया गया था। जिनमें से जल जीवन मिशन का 700 करोड़ रुपया धर्मपुर कांस्टीट्यूएंसी में सैंक्शन हुआ और अभी तक जो टोटल स्कीम्स हैं 1450 करोड़ रुपये की धर्मपुर चुनाव क्षेत्र में सैंक्शन हुई उनमें से 603 करोड़ रुपये की स्कीमें कंप्लीट हो चुकी हैं और उनमें से 839 करोड़ रुपये की स्कीम अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और जहां तक इन्होंने रेस्ट हाउसिज की बात की है तो धर्मपुर कांस्टीट्यूएंसी में 12 रेस्ट हाउसिज जल जीवन मिशन से बनाए गए और जिस पर 26 करोड़ रुपये से अधिक खर्चा आया है लेकिन भारत सरकार ने यह कहा है कि रेस्ट हाउस आपका मैंडेट नहीं था यह पानी की स्कीमों का पैसा था यह 26 करोड़ रुपया राज्य सरकार दे। वह पैसा हमारे मिशन से काटेंगे। जितने भी यह रेस्ट हाउस बने हैं उनमें से दो कंप्लीट नहीं है जिसके लिए डेढ़ करोड़ रुपये की जरूरत है कुल मिलाकर स्थिति यही है कि 1450 करोड़ रुपये

के आसपास इनकी कांस्टीट्यूएंसी को सैंक्शन हुआ है और 600 करोड़ के काम कंप्लीट है और 850 करोड़ रुपये के काम चले हुए हैं। भारत सरकार से पैसा आएगा तो हम उसको

आगे बढ़ाएंगे। हमारा लगातार केंद्र सरकार से डायलॉग हो रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ-ना-कुछ इसका हल निकलेगा।

श्री चंद्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, उप-मुख्यमंत्री जी के जवाब में बहुत सी चीजें अपने आप में ही चुनौती पूर्ण दिख रही हैं। इसमें एक और भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि स्टेट डिजास्टर से भी हमें प्रोटेक्शन वर्क में फंडिंग मिली। मैं गुजारिश करना चाहता हूं, उप-मुख्यमंत्री जी से कि प्रोटेक्शन में हम एक चैनेलाइजेशन को कर रहे हैं लेकिन वहीं का माल वहीं लगा रहे हैं तो बीच में जो खड्डें हैं वह खाली हुई है और जो अभी पिछले दो सालों का अनुभव हमारा रहा डिजास्टर से निपटने का हमने नेचुरल जो हर्डल्स थी उसको भी हटाकर उन चैनेलाइजेशन में डाल दिया।

मेरा आपसे आग्रह है क्योंकि ऑनलाइन यह टेंडर होते हैं और इसमें अभी भी बहुत अच्छी सेविंग हमारे पास पड़ी है मैं स्पेसिफिकली आप से आग्रह करना चाहता हूं और मैं आश्वासन भी चाहता हूं, कि हमें इसमें आपका सहयोग मिलना चाहिए कि जो पैसा अभी भी एस0डी0एम0 में हमारे हिस्से का पड़ा है उसको अलाउड किया जाए ताकि जो काम आप लोगों ने हमारा 70 प्रतिशत कर दिया है और 30 प्रतिशत अभी बचता है उसको वहीं पर लगाया जाए अन्यथा यह जो 70 प्रतिशत पैसा आपने लगाया यह भी हमारा वॉश हो जाएगा, एक प्रायोरिटी यह है, दूसरा, एन0एच0 के कारण एक मैनमेड डिजास्टर हो गया है और इतनी बड़ी-बड़ी पाइपें हैं कि वह हमारे स्टेट फंड से वह पाइपें हिल नहीं रही हैं और इतना बड़ा नुकसान हुआ है और दिल्ली से जो नेशनल हाईवे ने हमें इस एवज में पैसा देना है वह दे नहीं पा रहे हैं और हमारे बहुत से टेल एण्ड के गांव हैं और पंचायतें हैं वह वंचित हो रही है, लोगों को नॉरमल वॉटर सप्लाई चाहिए होती है वे उससे वंचित हो रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

18.02.2026/1155/DT/DC-1

प्रश्न संख्या :3847 जारी

श्री चंद्र शेखर जारी----

टोकन मनी कहीं से भी दे दें और बाद में एन0एच0 में उस पैसे को क्लेम करे लें ताकि जनता की रोजमर्रा की सुविधा के लिए कुछ-न-कुछ कम-से-कम हमें दिया जाना चाहिए क्योंकि माननीय उप-मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा कि 800 करोड़ रुपया वहां डाला जा चुका है और 600 करोड़ रुपये की राशि केंद्र सरकार से आना शेष है और उस राशि से हमारी बाकी स्कीम्ज पूरी होंगी। इतने बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए नोमिनल सा पैसा हमें चाहिए ताकि जनता को रोजमर्रा की सुविधा दी जा सके। मैं यह प्रार्थना भी आपसे करूंगा और एस0डी0एम0ए0 के अंतर्गत भी यही चाहूंगा कि इसकी राशि भी हमें दी जाए।

अध्यक्ष : माननीय उप-मुख्य मंत्री महोदय।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो जल जीवन मिशन का पैसा है यह पैसा केंद्र सरकार के माध्यम से आ रहा है और हम भी केंद्र सरकार पर जल जीवन मिशन की स्कीम्ज के लिए डिपेंडेंट हैं। पी0डी0एन0ए0 का पैसा भी केंद्र सरकार से ही आ रहा है। यह जो पैसा केंद्र सरकार से हमें आ रहा है उसमें जो भी गुंजाइश बनेगी हम कोशिश करेंगे की जो माननीय सदस्य के क्षेत्र के कार्य हैं उनको मुकम्मल करवाएं।

इसके अतिरिक्त इन्होंने एक सवाल जल जीवन मिशन के संबंध में और पूछा कि जल जीवन मिशन एका-एक आया और उसकी घोषणा हो गई। जिस समय जल जीवन मिशन आया उस समय के कुछ माननीय विधायकों ने भाग-दौड़ करके अपने क्षेत्र के लिए कुछ स्कीम्ज डलवा दी तो उनके हिस्से में स्कीम्ज पड़ भी गई। यह कोई संतुलित अप्रोच नहीं थी और इससे हर जगह स्कीम्ज बन गई हैं। प्रदेश में बहुत से निर्वाचन क्षेत्र जल जीवन मिशन आने के बावजूद भी पानी से महरूम हैं क्योंकि वहां पर वे स्कीम्ज नहीं बन पाई हैं। क्योंकि जल जीवन मिशन का अगला फेज आ रहा है और हम आइडेंटिफाइ कर रहे हैं और कोशिश करेंगे की जो एरियाज लैफ्ट-आउट हैं हम उन क्षेत्रों को जल जीवन मिशन की स्कीम्ज के लिए डालें और आगे काम चलाएं। स्टेट हैड से भी जो संभव मदद की जा सकती है, उसे भी हम देख लेंगे। बाकी प्रदेश के लिए वित्तीय वर्ष 2026-2027 का बजट आ रहा है। हमारे माननीय सदस्य जो बाते कह रहे हैं कि यह काम हर हालत मे होने चाहिए तो उसके लिए मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह कर लें और अगले वित्तीय वर्ष में बजट में

उसका प्रोविजन करवा लें और बजट में डलवां लें। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जल शक्ति विभाग इनके काम करने के लिए हमेशा तत्पर है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी लास्ट अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

18.02.2026/1155/DT/DC-2

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आधा मीनट लूंगा। वैसे जो यह धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है लेकिन जो जल जीवन मिशन है वह पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए आया था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में पीने के पानी के लिए जल लगाने की बात भी कही थी-जो पूरे देश के लिए थी। मैं उन बातों में न जाते हुए, क्योंकि यहां पर माननीय मुख्य मंत्री भी उपस्थित हैं और माननीय उप-मुख्य मंत्री जी भी हैं, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि माननीय उप-मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जल जीवन मिशन में रेस्ट हाउसिज बनाने का प्रावधान ही नहीं था। क्योंकि अब हम आर0डी0जी0 के लिए रो रहे हैं, पैसे के लिए रो रहे हैं और पैसा नहीं है-हम लोग भूखे मर रहे हैं- सरकार से कर्मचारियों और अधिकारियों के डी0ए0 नहीं दिए जा रहे। इसलिए जो ऐसी स्कीम्ज आती है हम उन स्कीम्ज में ऐसी चीजे न बने जिसकी आवश्यकता नहीं है उसका ध्यान रखना होगा। ये सभी बातें तभी हो रही हैं क्योंकि जब इस प्रकार की स्कीम्ज आती हैं तो हम लोग इन स्कीम्ज का दुरूपयोग करते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है क्या सरकार कोई ऐसा प्रावधान नहीं कर सकती है जिससे इन स्कीम्ज का दुरूपयोग रोक जा सके? क्योंकि मैं यह मानता हूं कि कई बार जो लीडर व्यक्ति होता है वह अधिकारियों पर दवाब डाल कर अपना काम करवा लेता है। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। सरकार कोई भी हो उसका भी कोई मायने नहीं हैं। मैं व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अधिकारियों से रेस्ट हाउसिज बनाए के लिए कहा गया जिससे धन का दुरूपयोग हुआ या मान लीजिए किसी अन्य योजना में धन का दुरूपयोग होता है। इसलिए क्या हम विधान सभा में इस सदन के भीतर या केबिनेट स्तर पर ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना सकते कि जिसमें यह प्रावधान हो कि जिस चीज की जहां पर जरूरत है उस हिसाब से उस चीज को वहां बनाया जाए? मैं आज भी देख रहा हूं कि कई स्थानों पर रेस्ट हाउसिज या कॉलेजिज बन रहे हैं और वहां पर उनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी 15 करोड़ रुपये या 25 करोड़ रुपये के भवन बन रहे हैं। ऐसे भी मामले देखे गये हैं जहां पर स्कूल भवन बनाने के लिए 25 करोड़ रुपये का एसटिमेट बनाया

गया है। वह चाहे स्वर्गीय श्री अटल विहारी वाजपेयी जी के नाम का हो चाहे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के नाम पर हो। क्या ऐसे स्कूल्ज जिनके भवन 65 करोड़ रुपये में बन रहे हैं, क्या आने वाले समय में उन स्कूल्ज में पढ़ने के लिए बच्चें भी आएंगे। यह मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं लेकिन ऐसे समय में अधिकारियों पर दवाब डाल कर ऐसे काम नहीं करवाने चाहिए। अगर ऐसा प्रावधान हो जाता है तो अधिकारी भी जवाब दे सकें कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी

18.02.2026/1155/DT/DC-3

इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या प्रदेश हित ऐसे प्रावधान बनाकर ये चीजें रूक सकती हैं या नहीं रूक सकती?

अध्यक्ष : माननीय उप-मुख्य मंत्री जी।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि प्रदेश में कोई भी रेस्ट हाउस किसी भी विभाग का, चाहे वह लोक निर्माण विभाग हो-चाहे जल शक्ति विभाग हो-चाहे वन विभाग हो या कोई और विभाग हो, केबिनेट की अप्रूवल के बिना नहीं बन सकता। लेकिन पास्ट-प्रेक्टिस रही है कि ऐसा होता रहा है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

18.02.2026/1200/एच.के.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 3847.....जारी उप-मुख्य मंत्री..... जारी

लेकिन पास्ट प्रैक्टिस रही है और ऐसा होता रहा है। विभिन्न विभागों के लोग स्कीमों को चार्ज करते रहे हैं और योजना के अंदर किसी-न-किसी नाम से जैसे किसान भवन आदि के नाम से बिल्डिंग बना देते हैं। **मैं विशेषतौर पर अपने विभाग की बात करता हूं और टोटेलिटी में भी यही है बात है कि भविष्य में कोई भी रैस्ट हाऊस बिना कैबिनेट की अप्रूवल से हिमाचल प्रदेश में नहीं बनेगा।**

प्रश्न काल समाप्त

18.02.2026/1200/एच.के.-एन.जी./2

शून्य काल

अध्यक्ष : मेरे पास शून्य काल से संबंधित कुछ विषय आए हैं और पांच माननीय सदस्यों ने इन विषयों को दिया है। पहला विषय माननीय सदस्य, डॉ0 जनक राज का है। मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि अपने आप को विषय तक ही सीमित रखें और अपनी बात को जल्द-से-जल्द पूरी करें ताकि अगले विषय को भी टेकअप किया जा सके। माननीय सदस्य, डॉ0 जनक राज, अब आप अपनी बात कह सकते हैं।

(माननीय सदस्य, डॉ0 जनक राज द्वारा शून्य काल के दौरान पांगी क्षेत्र में बिजली की समस्या से संबंधित उठाया गया विषय।)

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे शून्य काल के दौरान अपने विधान सभा क्षेत्र के पांगी से संबंधित अतिमहत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदय, पांगी घाटी में बिजली की समस्या काफी समय से है। केन्द्र सरकार की आर0डी0एस0एस0 योजना के तहत थिरोट से किलाड़ तक 11 के0वी0 लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया था। हिमाचल दिवस के अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और उसके बाद इसके काम शुरू हो गया था। उसके बाद वन विभाग व बिजली विभाग की आपसी खींचतान के कारण लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा होने के बाद अभी वह कार्य बंद पड़ा है। केन्द्र सरकार की योजना व माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुसार उस लाइन को 30 नवम्बर, 2025 तक किलाड़ तक पहुंचाना था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सरकार के अधीन कार्यरत दो विभाग आपस में लड़ रहे हैं। दूरगामी क्षेत्र की ऐसी महत्वपूर्ण योजना के

ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, उसमें देरी हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि दो विभागों का आपसी तालमेल न होने पर सरकार क्या संज्ञान लेगी?

18.02.2026/1200/एच.के.-एन.जी./3

इसके अलावा उस कार्य को पूर्ण करने के लिए क्या वन विभाग से सहमति लेना जरूरी था? यदि जरूरी था तो किन अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस प्रकार की अतिमहत्वकांक्षी परियोजना अधर में लटकी हुई है? मैं चाहता हूं कि प्रदेश सरकार इस परियोजना को जल्द-से-जल्द पूरा करे और साथ ही में इस विषय पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, डॉ0 जनक राज के विषय का संज्ञान विधान सभा द्वारा लिया गया है और माननीय सदस्य के कंसर्न को संबंधित विभाग को भेज दिया जाएगा।

अब अगला विषय माननीय सदस्य, श्री इन्द्र सिंह रखेंगे

18.02.2026/1200/एच.के.-एन.जी./4

(माननीय सदस्य, श्री इन्द्र सिंह द्वारा शून्य काल के दौरान बल्ह विधान सभा क्षेत्र में एक विशेष समुदाय के व्यक्तियों/व्यापारियों के पंजीकरण व उनसे होने वाली अन्य समस्याओं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित उठाया गया विषय।)

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे बल्ह विधान सभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। परसों मेरे विधान सभा क्षेत्र में बाहर से एक विशेष समुदाय से संबंधित लोग आए थे। एक तरफ वे हमारी आर्थिकी को समाप्त कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी बहु-बेटियों को भगा कर ले जा रहे हैं लेकिन शासन-प्रशासन के कानों में कोई जूं तक नहीं रेंग रही है। वहां पर रत्ती क्षेत्र के एक लड़के को मारा गया और उसके दांत तोड़ दिए गए हैं लेकिन पिछले कल तक उस मामले पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के ख़िलाफ कोई भी

एफ0आर0आई दर्ज नहीं की गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि यह अन्याय हम कब तक सहन करेंगे? प्रशासन अभी तक भी जागा नहीं है और मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री से आग्रह करता हूं कि नेरचौक में जो बाहरी लोग बसे हुए हैं, चाहे वे किसी भी समुदाय के हैं, हम चाहते हैं कि उन लोगों का पंजीकरण सही प्रकार से हो और उसकी पुष्टि भी की जाए। दिनांक 31 मार्च, 2024 को उस व्यक्ति का पंजीकरण समाप्त हो चुका था लेकिन आज भी वह व्यक्ति वहीं पर रह रहा है और काम कर रहा है। वे लोग हमें गुमराह कर रहे हैं और हमारे बच्चों-बेटियों को भगा कर ले जा रहे हैं। वहां पर इस प्रकार के अनेक शरारती तत्व हैं। मैं चाहता हूं कि प्रदेश सरकार इस पर संज्ञान ले ताकि वहां के लोगों जो नुकसान हो रहा है, लोग सहमे-सहमे रह रहे हैं, इन सब विषयों पर विराम लग सके। धन्यवाद।

अध्यक्ष.....श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

18.02.2026/1205/एच.के./ए.पी./01

शून्य काल जारी .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह गांधी जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय इस माननीय सदन के ध्यान में लाया है। हमने इसका संज्ञान लिया है और पुलिस विभाग इस विषय पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगा। जिस प्रकार से आपने यहां कहा और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से आपको अवगत करा दिया जाएगा। अब कुमारी अनुराधा राणा जी।

कुमारी अनुराधा राणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से शून्य काल के माध्यम से मैं सदन का ध्यान कंडी-कटौला सड़क मार्ग की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। हम देख रहे हैं कि एन0एच0ए0आई0 द्वारा जब से किरतपुर-मनाली फोर लेन का कार्य शुरू हुआ है हर वर्ष मानसून में यह सड़क मार्ग अवरुद्ध रहता है। जगह-जगह भूस्खलन के कारण घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। जिससे लोगों को बहुत-सी परेशानियों का सामना करना पड़ता

है। इसके लिए जो वैकल्पिक मार्ग कंडी-कटौला है उसमें भी जगह-जगह भूस्खलन और लैंडस्लाइड के कारण अवरुद्ध रहता है। दोनों मार्ग एक साथ बंद होने से जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि आपातकालीन वाहनों को तो जैसे-तैसे निकाल दिया जाता है, चाहे वे एंबुलेंस या अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहन हो, उन्हें किसी तरह से निकाल दिया जाता है। परंतु हमारे मालवाहक वाहनों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि उस समय हमारे लाहौल-स्पीति में भी पीक सीज़न चल रहा होता है। हमारे किसानों की फसलें, विशेषकर मानसून के दौरान तैयार होती है। हमारी फसलें दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ की मंडियों में जाती हैं। बाजारों में जाने वाली एक्सॉटिक सब्जियों की सप्लाई भी बाधित होती है। ज्यादातर सप्लाई उस समय लाहौल-स्पीति से बाहर जाती है। लेकिन दोनों मुख्य मार्ग बंद होने से बहुत-सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटी गाड़ियों को तो किसी न किसी तरह मार्ग से निकाल दिया जाता है। लेकिन कंडी-कटौला मार्ग से बड़ी गाड़ियां नहीं जा पाती। इसका कारण यह बताया जाता है कि यह मार्ग बहुत तंग है या जगह-जगह डंगे गिर चुके हैं। इसलिए मेरा माननीय लोक निर्माण मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इस सड़क पर

18.02.2026/1205/एच.के./ए.पी./02

विशेष ध्यान देने की आवश्यता है। तीन-चार जिलों की आपूर्ति या फसलों का निर्यात इसी मार्ग पर निर्भर है। यदि मुख्य मार्ग बंद हो जाए तो यही वैकल्पिक मार्ग बचता है। इस मानसून में भी हम कल्पना नहीं कर सकते कि क्या होगा। भगवान की कृपा रहे कि इस बार नुकसान न हो, पर कह नहीं सकते की कितना आने वाले समय में नुकसान होगा। हमें अभी से ही तैयारी करने की आवश्यता है। क्योंकि वर्ष 2025 में भी हमारे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मेरा आग्रह है कि इस वर्ष इस सड़क मार्ग को ठीक किया जाए ताकि अगर मुख्य मार्ग बंद होता है तो भी मालवाहन कंडी-कटौला सड़क से होकर जा सके। आपने मुझे समय दिया आपका, धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय लोक निर्माण मंत्री wants to intervene.

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या सुश्री अनुराधा जी ने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सदन के ध्यान में लाया है, वह निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यह सड़क, कंडी-कटौला, जो आई0आई0टी0 होकर द्रंग क्षेत्र से बजौरा और कुल्लू क्षेत्र को जोड़ती है, एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। इसलिए भी जैसा कि उन्होंने कहा कि जब एन0एच0ए0आई0 का मुख्य मार्ग पंडोह में खास कर हर वर्ष भारी वर्षा के दौरान बंद हो जाता है तो यही सड़क एकमात्र लाइफ लाइन है। मैं पहले भी इस विषय पर बात कर चुका हूं कि हम लगातार इसकी अपग्रेडेशन का प्रयास कर रहे हैं। पहले भी एन0एच0ए0आई0 के माध्यम से मैंने इस विषय को हमारे एन0एच0ए0आई0 के चेयरमैन के समक्ष उठाया था और इसके लिए 13 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की गई थी। इस सड़क के अपग्रेडेशन का कार्य अभी चला हुआ है। साथ ही, मुख्य मंत्री जी के सहयोग से वर्ल्ड बैंक के माध्यम से डिज़ास्टर मैनेजमेंट बोर्ड का एक प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है। इसमें प्रदेश की कई क्षतिग्रस्त सड़कों को शामिल किया है और उसमें कंडी-कटौला सड़क मार्ग भी हमने डाला है। जैसे-ही इसकी औपचारिकताएं पूरी होंगी, इस सड़क का कार्य वर्ल्ड बैंक की सहायता से भी शुरू किया जाएगा। यह दो सड़कें हैं एक कंडी-कटोला और दूसरी पंडोह-चैलचोक। इन दोनों सड़कों से हमारे क्षेत्रों को खासकर के कुल्लू, बंजार, मनाली, लाहौल-स्पीति को आपदा के दौरान

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

18/02/2026/1210/AT/YK/01

लोक निर्माण मंत्री जारी .....

पूरी वैली को कवर करती हैं। यह बात विभाग के जहन में है और मुख्यमंत्री जी के जहन में भी है। **इसकी ऑलराउंड कनेक्टिविटी हो तथा समय पर इसकी अपग्रेडेशन हो इस पर हमारा पूरा ध्यान और फोकस है। विभाग द्वारा समय पर इसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।**

18/02/2026/1210/AT/YK/02

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री हरदीप सिंह बावा : धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, शून्य काल के माध्यम से आज अपने विधानसभा क्षेत्र नालागढ़ के अधीन एक ए0पी0आई0 यूनिट के विषय में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सितंबर 2024 में इसका उद्घाटन हुआ, यह यूनिट ग्राम पंचायत गोल ज्वांला के प्लाशला गांव में लगभग डेढ़ सौ बीघा भूमि पर स्थापित की गई है। यह एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) की यूनिट है जो ड्रग्स में उपयोग होती है। मैं इस विषय को सदन के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि लगभग 25 से 30 गांव तथा नगर परिषद क्षेत्र इस यूनिट की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। वहां पर बदबू (स्मेल) फैल रही है जिससे गांववासी और क्षेत्रवासी बहुत परेशान हैं। लगातार पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं और लोग आए दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं।

यह प्रोजेक्ट पिछली भाजपा सरकार के समय लगाया गया था। उस समय यह दर्शाया गया कि प्लांट आबादी से बहुत दूर है जबकि वास्तव में यह यूनिट गांव के बीच में लगाई गई है। यह जमीन चरांद की थी जिसे 1 रुपये प्रति मीटर की दर से प्लांट को दी गई। मैंने कंपनी के प्रतिनिधियों से भी बात की। यह बहुत गंभीर विषय है क्योंकि लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां तक नहीं खोल पा रहे हैं। अब लोग वहां से पलायन करने तक की सोच रहे हैं। कंपनी की ओर से मैंने जानने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि हमने two new Agitated Thin Film Dryers of 30 m^2 and 50 m^2 are installed and made operational. यह कंपनी की तरफ से जबाव आया जो मैंने उन से पूछा था। One set of New Clarifier and Flocculator has been installed and commissioned. All RO Membranes have been changed. All pathways and area in ETP concerted in concrete pathway. A new Tube Settler equipment has been installed और इसको लेकर लगभग तीन करोड़ रुपये का खर्च बताया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि technically I am not aware of all this. अगर यह सब लगाने के बाद भी वहां इतनी बदबू है कि लोग पलायन करने की सोच रहे हैं। मेरी सरकार से विनम्र गुजारिश

है कि पॉल्यूशन विभाग इस विषय को गंभीरता से देखें, जो डिटेल दी गई है उसे संज्ञान में ले, और इस पर उचित कार्रवाई करें। हम यह नहीं चाहते कि प्लांट को

18/02/2026/1210/AT/YK/03

कोई अनावश्यक दिक्कत हो, लेकिन यह समस्या प्लांट और पॉल्यूशन विभाग दोनों की ओर से हल की जानी चाहिए, ताकि लोग अच्छे वातावरण में अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष : निश्चित तौर पर माननीय सदस्य ने सदन में एक बहुत गंभीर विषय उठाया है, जिसका संबंध एयर पॉल्यूशन और वॉटर पॉल्यूशन से है। **माननीय सदस्य द्वारा जो विस्तृत सूचना इस माननीय सदन में दी है, माननीय सदन इस सूचना को बड़ी गंभीरता से भी लेगा और पॉल्यूशन विभाग तथा एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को विशेष तौर पर हिदायत जारी करेगा, ताकि जल्द ही इस विषय पर शीघ्र कार्रवाई हो और की गई कार्रवाई से आपको हम सूचित करेंगे।**

के0एस0द्वारा जारी .....

18-02-2026/1215/केएस/वाईके/1

अध्यक्ष जारी ---

अब अगला विषय त्रिलोक जम्वाल जी का है। माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं शून्य काल में आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण विषय सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस सरकार ने अभी जो सी0बी0एस0सी0 के नए स्कूल खोले हैं, उनमें रिक्रूटमैंट का प्रोसैस जारी किया है जिसमें इंगलिश और मैथमेटिक्स के टीचर्ज़ अप्वाइंट करने हैं। ये अप्वाइटमैंट्स purely on engagement basis पर होंगी और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग इनकी नियुक्तियां करेगा और यह केवल 10 महीने के लिए वैलिड होंगी। यह पहली बार हो रहा है कि जो एलिजिबल युवा साथी हैं, पढ़े-लिखे हैं, उनका राइट केवल इसी बात के लिए काट दिया जा रहा है क्योंकि इसमें उम्र का क्राइटेरिया 25 से 45 साल तक रखा है। मेरा सरकार से केवल इतना आग्रह है कि जो युवा 23 साल में शिक्षित है, एलिजिबल है और 22 साल में जिसने अपनी एम0एस0सी0 कम्पलीट कर ली है, क्योंकि आपने एम0एस0सी0 मांगी है। एक में आपने एम0ए0 इंगलिश मांगी है, बी0एड मांगी है। अगर वह 21-22-23 या 24 साल में एलिजिबल है तो हम उसके राइट को कैसे काट सकते हैं? अप्पर एज लिमिट आप रखिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन लोअर एज में जो लोग क्वालिफाई हैं, शिक्षित हैं, उनको इसमें चांस मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसमें last date of submission of application 21 फरवरी है, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन है कि यह जो लोअर 25 साल की एज लिमिट है इसको हटाया जाए और जो भी युवा साथी एलिजिबल हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद ।

अध्यक्ष : जम्वाल जी, निश्चित तौर पर आपने ज़ीरो आवर के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है और इस माननीय सदन का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया है। हमने इसका संज्ञान भी लिया है और जैसा आपने कहा है कि अप्पर एज लिमिट तो होनी चाहिए लेकिन लोअर एज लिमिट if a candidate qualifies the basic requirements for a post, then he should be made eligible for that post. As in IAS/IPS, the minimum age is 21 years and minimum qualification is graduation.

18-02-2026/1215/केएस/वाईके/2

So, definitely this is an important issue and I hope the Department will take a note of it and will take certain steps in this direction also and we will inform this House as well as the Hon'ble Member. अभी और दो विषय मुझे प्राप्त हुए हैं। जिसमें एक माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा का है और दूसरा राकेश कालिया जी का है।। am allowing it. माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने शून्यकाल में मुझे अपने विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विषय उठाने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे श्री नैना देवीजी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत श्री नैना देवीजी में ही सिविल हॉस्पिटल घवंडल के नाम से है। पहले वह पी0एच0सी0 था फिर सी0एच0सी0 हुआ और उसके बाद उसको सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया। उसका नया भवन बने, उसका शिलान्यास वर्ष 2015-16 में हुआ था। कुछ समय तो लैंड की एफ0सी0ए0 ना मिलने के कारण काम शुरू नहीं हुआ । एफ0सी0ए0 की स्वीकृति के बाद वर्ष 2018-19 में उसका काम शुरू हुआ। उसके लिए साढ़े नौ करोड़ रुपये का बजट भी रखा और वह काम चलता रहा। इस सरकार के आने के बाद उसके लिए बजट का प्रावधान नहीं हुआ। जब हमने यह विषय उठाया तो उप-मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग चाहता है कि अगर आपकी इच्छा हो तो इसको टैम्पल ट्रस्ट से पैसा दिया जाए। मैंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, भवन बनना चाहिए। 5 करोड़ रुपये एक बार और

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

18.02.2026/1220/AV/AG/1

श्री रणधीर शर्मा ------जारी

दो बार 5-5 करोड़ रुपये यानी कुल 10 करोड़ रुपये की राशि दी गई। उस भवन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब उस भवन में इलैक्ट्रिसिटी और फर्नीचर इत्यादि का केवल 4-5 करोड़ रुपये का कार्य शेष रहता है। परंतु पिछले डेढ़-दो वर्षों से वह काम रुका हुआ है।

केवल 4-5 करोड़ रुपये की कमी के कारण वहां पर वह भवन बेकार पड़ा है। जहां तक सिविल होस्पिटल की बात है तो वहां पर डॉक्टर्ज की कमी थी। मैंने उस विषय को हर सत्र के दौरान लगातार उठाया। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने वहां पर डॉक्टर्ज डिप्यूट किए। परंतु पुराने भवन में डॉक्टर्ज को बैठने की समस्या हो रही है। अब तो एक और समस्या हो गई है क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने श्री नैना देवीजी के लिए एक आई0सी0यू0 भी सैंक्शन किया है। नये निर्मित भवन में इतना स्थान है कि उसको वहां शुरू किया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के लिए 4-5 करोड़ रुपये की राशि बहुत बड़ी नहीं होती। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस राशि का प्रावधान करें। अगर कोई दिक्कत है तो चाहे टेम्पल ट्रस्ट से ही 4-5 करोड़ रुपये की राशि दे दी जाए परंतु जल्दी-से-जल्दी उस भवन का कार्य पूरा किया जाए ताकि सिविल होस्पिटल को शिफ्ट करने के साथ-साथ वहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा दिए गए आई0सी0यू0 को भी शुरू किया जा सके। मेरा सरकार से यही निवेदन है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है यह जनहित के साथ-साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं स्वयं इस होस्पिटल को देखने के लिए दो बार जा चुका हूं। **मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत ज्यादा धनराशि नहीं है और यह शीघ्र ही मुहैया करवा दी जाएगी। मैं इस बारे में माननीय सदस्य और वहां के दूसरे स्टेक होल्डर्ज के साथ बैठक करूंगा। अगर हमें कुछ राशि टेम्पल ट्रस्ट से मिल जाती है तो सिविल होस्पिटल को शिफ्ट करने के साथ-साथ यह काम शीघ्र ही पूर्ण कर दिया जाएगा।**

18.02.2026/1220/AV/AG/2

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने जो मामला उठाया है इसके लिए टेम्पल ट्रस्ट द्वारा 10 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। परंतु बीच में माननीय हाई कोर्ट ने अपनी जजमैंट के द्वारा सिविल वर्क्स के निर्माण के लिए मंदिर ट्रस्ट के पैसों पर रोक लगा दी है। मुझे लगता है कि इस समय शायद हम मंदिर ट्रस्ट से पैसा न

दे पाएं। **लेकिन हम हाई कोर्ट में रिव्यू पैटिशन फाइल कर रहे हैं, यदि कोर्ट हमें अलाउ कर देता है तो हम पैसा अवश्य उपलब्ध करवा देंगे।**

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मुख्य मंत्री द्वारा बताई गई दिक्कत में मेरा यह आग्रह है कि उस सिविल होस्पिटल का नाम घवंडल है परंतु वह श्री नैना देवीजी में ही स्थित है। उस होस्पिटल का लाभ स्थानीय लोगों के साथ-साथ वहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलने वाला है। माननीय हाई कोर्ट का निर्णय यह है कि टेम्पल ट्रस्ट का पैसा श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर ही खर्च किया जाए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वह होस्पिटल वहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ही बनाया गया है। उसका ज्यादातर लाभ उनको भी मिलने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर सरकार चाहे तो उस भवन का निर्माण कार्य तुरंत पूरा करवा सकती है।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, **इसको इग्जामिन कर लेते हैं। अगर किसी ढंग से प्रोविजन बनता होगा तो हम मदद करेंगे। लेकिन कोर्ट का फैसला है इसलिए हमें इसको तरीके से देखना पड़ेगा।**

अध्यक्ष : इस बारे में कोर्ट के ब्लैंकेट ऑर्डर है।

माननीय सदस्य श्री राकेश कालिया, अब आप अपना विषय उठाइए।

श्री राकेश कालिया **टी सी द्वारा जारी**

18.02.2026/1225/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

<u>गगरेट विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मत्स्य केंद्र में मोटरसाइकिल व डीप फ्रिजर की खरीद-फरोख्त के संदर्भ में आगामी कार्रवाई बारे।</u>

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक मत्स्य केंद्र है। उसमें मछली के बीज पैदा किए जाते हैं और कुछ मछली का उत्पादन भी किया जाता है। सरकार की

तरफ से मछली डिस्ट्रीब्यूड करने के लिए तथा मोटरसाइकिल खरीदने के लिए कुछ राशि जारी हुई थी। मेरे पूर्व विधायक के समय में उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गईं थीं। मोटरसाइकिल और डीप फ्रिजर कागजों में ही दे दिए गए व कागजों में ही खरीद लिए गए । इस संबंध में एफ0आई0आर0 भी दर्ज हो चुकी है।

मैं सरकार के ध्यान में यह विषय लाना चाहता हूं कि इस एफ0आई0आर0 पर आगे कार्रवाई की जाए क्योंकि एक वर्ष हो गया है लेकिन इसके बारे में आगे कोई परिणाम सामने नहीं आए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और जिन पर मुकदमा चलना चाहिए था उनके खिलाफ न तो किसी की कार्रवाई हुई है और न ही कोई गिरफ्तारी हो रही है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस एफ0आई0आर0 पर कार्रवाई की जाए। जिन लोगों की संलिप्तता से यह घोटाला हुआ है उनके खिलाफ उचित कार्यवाही हो। वहां कई मोटरसाइकिलें बांटी गई हैं और कई लोगों को घर में पोंड्स बनाने के लिए पैसा दिया गया है। मेरे प्रश्न के संबंध में 7 और 8 नंबर पर विभाग द्वारा उत्तर भी दिया गया है कि 6 लाख रुपये सीमा देवी के नाम से जारी हुए हैं और दो लाख रुपये किसी अन्य के नाम से जारी हुए हैं लेकिन गांव वालों ने शिकायत की है कि उस स्थान पर कुछ भी निर्माण नहीं हुआ है और न मोटरसाइकिल व डीप फ्रीजर खरीदा गया है। इसलिए मैं इस विषय में फर्दर इंक्वायरी चाहता हूं। मैं संक्षेप में यही कहना चाहता हूं कि हमें आपका संरक्षण मिलता रहे और हम अपने विधान सभा क्षेत्र के मुद्दों को उठाते रहें।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

18.02.2026/1225/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राकेश कालिया जी द्वारा निश्चिततौर पर एक गंभीर विषय इस माननीय सदन के ध्यान में लाया गया है। जैसा कि इन्होंने कहा है, इंक्वायरी हुई है और एफ0आई0आर0 भी दर्ज हुई है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। **इस सदन**

के माध्यम से संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे और की गई कार्रवाई से इस माननीय सदन तथा आपको भी अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद।

अब माननीय सदस्या श्रीमती रीना कश्यप जी शून्य काल के दौरान अपना विषय उठाएंगी।

दीदक्लूथ पंचायत के गांव पटेली में फुटब्रिज बनाने बारे।

श्रीमती रीना कश्यप : अध्यक्ष महोदय, आपने शून्य काल में मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। भारी बारिश के कारण दीदक्लूथ पंचायत के गांव पटेली में एक पुल बह गया था। यह पुल 6 पंचायत के लोगों को लाभ देता था। वहां की स्थिति ऐसी है कि यदि बच्चों को स्कूल जाना होता है तो उन्हें पीठ पर उठाकर रस्सी के सहारे नदी से पार ले जाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, इस विषय में वहां के लोग डी0सी0, सिरमौर से भी मिले थे। मैं स्वयं भी वहां पर गई लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि माननीय मंत्री जी या डी0सी0, सिरमौर को आदेश दें कि यह छोटा-सा पुल है जिसकी लागत 10 से 15 लाख रुपये है। यदि यह बन जाए तो वहां के 56 गांवों के लोगों को लाभ होगा। यही बात मैं सदन में रखना चाहती थी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या के माध्यम से निश्चिततौर पर एक गम्भीर विषय इस माननीय सदन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। आपकी जो चिंताएं हैं उन्हें संबंधित विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा और विभाग से अपेक्षा की जाएगी कि वह इस पर उचित कार्रवाई करे। विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से आपको तथा इस माननीय सदन को भी अवगत करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।

शून्य काल समाप्त।

18.02.2026/1225/टी0सी0वी0/ए0जी0-3

अब सरकारी संकल्प जिस पर दिनांक 16 फरवरी से चर्चा हो रही है उस पर आगे चर्चा होगी। अभी तक लगभग 22 माननीय सदस्य इस संकल्प पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। इसमें दोनों दलों को लगभग 4/3 घंटे यानी कुल मिलाकर लगभग 8 घंटे के करीब इस माननीय सदन में सरकारी संकल्प पर चर्चा का समय मिला है। अभी भी दोनों दलों की जो सूची मेरे पास आई है उसमें 15 माननीय सदस्य

एन0एस0 द्वारा जारी ...

18-2-2026/1230/एन0एस0-ए0एस0/1

अध्यक्ष -----जारी

अभी भी इस संकल्प की चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। आज के 12.30 बज चुके हैं। इसके बाद एक और विषय है जो आज की कार्यसूची में लिस्टिड है। भारतीय जनता पार्टी से मात्र 5 माननीय सदस्यो के नाम आए हैं और कांग्रेस पार्टी से 10 माननीय सदस्यों के नाम मेरे पास आए हैं। मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी लिस्ट में संशोधन कर 5 माननीय सदस्यों के नाम दें ताकि मुख्य मंत्री जी का जवाब आने के साथ आज यह विषय कंप्लीट किया जा सके और आज सत्र का आखिरी दिन भी है। मैं आपसे इसके लिए आग्रह करता हूं। दूसरा, मैंने पिछले कल भी सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया था कि आर0डी0जी0 एक गंभीर विषय है और एक लिमिटिड विषय है जिसे संवैधानिक तौर पर जिस दृष्टि से संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है तो आप सभी अपने विचारों को वहां तक ही सीमित करें और अपने तर्कों के आधार पर कि यह संविधान के अनुच्छेद 275 या 280 में मैनडेट नहीं हैं और यह कोई अधिकार नहीं है तो वह अलग बात है। मेरे हिसाब से इधर-उधर की बात करने के लिए अभी बहुत समय है। आगे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी और आप उसमें हर प्रकार की बात रख सकते हैं। इसी प्रकार से बजट पर भी चर्चा होगी।

अब तो राइट-अप आना शुरू हो गए हैं। आज दि ट्रिब्यून समाचार पत्र ने आर0डी0जी0 के ऊपर बहुत बड़ा राइट-अप लिखा है जिसमें कहा गया है कि यह मैनडेटरी है this is the Constitutional right of the State Government. कृपया विषय तक सीमित रह कर अपनी बात रखें। मैं अब राजस्व मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस चर्चा में भाग लें।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नियम-102 के अंतर्गत रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो संकल्प रखा है तो मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी सोच क्यों रखी गई, मैं इस विषय पर थोड़ा देश के इतिहास की तरफ जाना चाहता हूं। अब भारत देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक है लेकिन अगर आप पूर्व में देखेंगे तो यह एक देश नहीं था, एक राष्ट्र भी नहीं था। इसमें कई छोटे-बड़े राजा-महाराजाओं का राज था। हमारा देश लम्बे अरसे तक गुलामी की दास्तां से गुजरा है। शुरुआती

दिनों में अगर आप देखेंगे कि बाहर से सुल्तान आए उनका राज चला और उसके बाद मुगल आए तो उनका राज चला। उसके बाद ब्रिटिशर्ज आए तो उनका राज चला और हम बड़े लम्बे अरसे तक गुलामी को झेलते रहे। वर्ष 1857 में पहली बार मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे या उस समय के जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने स्वतत्रता संग्राम की चिंगारी सुलगाई और इन लोगों ने इस संग्राम की शुरुआत की तो इसके पीछे कई कारण थे। उस समय गाय की चर्बी को लेकर सेनाओं में एक विद्रोह हुआ। उस समय अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी कि जो भी राजा निःसंतान होता था तो उसकी मृत्यु के बाद अंग्रेज उनके राज्य को Doctrine of Lapse के तहत हड़प लेते थे। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत सारे कर लगाए। अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से वर्ष 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहें या विद्रोह कहें, उसकी शुरुआत हुई। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय आदि महान पुरुषों ने स्वराज का नारा दिया। उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम का एक आंदोलन शुरू हुआ जिसमें

सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेता भी शामिल हुए। उस समय युवा जैसे खुदी राम बोस, भगत सिंह, राजगुरू और चंद्र शेखर आजाद तथा अन्य लोगों ने अपनी कुर्बानी दी

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

18.02.2026/1235/RKS/AS-1

राजस्व मंत्री जारी....

देकर लाखों लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। अंत में उनके त्याग से देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता से पूर्व भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। उस समय यहां लगभग 16-17 प्रांत थे तथा 556 से अधिक रियासतें थीं जिनमें राजा और महाराजा शासन करते थे। ये रियासतें प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन नहीं थीं परंतु उनका शासन ब्रिटिश सत्ता के अधीन संचालित होता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान तथा हिंदुस्तान दो अलग राष्ट्र बने। अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से 556 राजे-महाराजाओं को छूट दे दी कि वे हिन्दुस्तान में रहें या पाकिस्तान में जाए या फिर अपना अलग से राज्य स्थापित कर लें। उनकी सोच थी कि जब दो देश बन जाएंगे तो ये धर्म के नाम पर आपस में लड़ते रहेंगे। उन्होंने सोचा था कि जब 556 राजे-महाराजे आपस में लड़ेंगे तो देश के कई बंटवारे हो जाएंगे। ऐसे चुनौतिपूर्ण समय में हमारे महान नेताओं महात्मा गांधी, प0 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है तथा भीमराव अंबेडकर ने अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय दिया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक विशाल देश का निर्माण किया। जो हमारे 556 राजा-महाराजा तथा हैदराबाद व कश्मीर इत्यादि रियासतें थीं, वे हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग बनी और यह देश एक अखंड देश बना। उस समय जो राजे जुड़े उन्हें प्रिवी पर्स देकर शांत करवा दिया गया। रियासतों के एकीकरण के पश्चात् यह महत्वपूर्ण प्रश्न था कि नये राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए। यह सिद्धांत स्थापित किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए होगा। इसी दृष्टिकोण से तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्र का निर्माण किया

गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को एक संघीय ढांचे में संगठित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जिसमें केंद्र सरकार और राज्य दोनों की स्पष्ट भूमिका निर्धारित की गई। संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय एवं प्रशासनिक संबंधों को सुव्यवस्थित करने की व्यवस्था की गई। उस समय राजस्व घाटा अनुदान की सोच भी रखी गई क्योंकि सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति समान नहीं थी। कुछ राज्यों के पास पर्याप्त संसाधन थे जबकि अनेक राज्य ऐसे थे जो अपने संसाधनों के आधार पर वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे। इसलिए

18.02.2026/1235/RKS/AS-2

संविधान के अनुच्छेद 270 से 280 तक यह प्रावधान किया गया कि जो राज्य द्वारा कर इकट्ठा किया जाएगा उसका बंटवारा कैसे करना है। अगर कर वितरण से किसी राज्य की आवश्यकता पूरी नहीं होती तो आर्टिकल 275 के अंतर्गत संसद द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों को अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने विभिन्न राज्यों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग प्रकार के अनुदानों की व्यवस्था की। इसी सोच के कारण छोटे राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश को भी समान अधिकार प्राप्त हुआ। सभी राज्यों को साथ लेकर चलने की इस व्यवस्था से भारत का संघीय ढांचा सुदृढ़ हुआ। आज चर्चा का मूल प्रश्न यह है कि हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलनी चाहिए। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और आर्टिकल 275 राज्यों को यह अधिकार प्रदान करता है। इसमें 'may' नहीं बल्कि 'shall' शब्द का प्रयोग किया गया है जो बाध्यता को दर्शाता है। अतः इस विषय पर चर्चा करवाने की आवश्यकता ही नहीं थी। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्तायोग अपनी रेकॉमेंडेशन देता है परंतु जरूरी नहीं है कि उनकी अनुशंसाएं संसद द्वारा स्वीकार की जाए। 16वां वित्तायोग केंद्र सरकार की कठपुतली है जिन्होंने हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को ही खत्म कर दिया है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

18.02.2026/1240/बी.एस./डी.सी.-1

राजस्व मंत्री जारी...

आपने अमेंडमैंट नहीं की, पार्लियामेंट में आप आर्टिकल- 275 को उड़ा देते, फिर आपने जानबूझ कर, इनकी सोच ही बड़ी गलत है। ये उस विचारधारा के लोग हैं जो कभी भी नहीं चाहते थे कि देश में संघीय ढांचा हो। ये चाहते हैं कि यहां पर एकात्मक सरकारे बनें। ये उस दिशा में जाते हैं। इनके नारे भी होते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, ये चाहते हैं कि यहां पर सारा-का-सारा एक राष्ट्रपति शासन की तरह हो जाए और जितने भी विपक्ष के माननीय सदस्य बोले हैं किसी ने नहीं कहा कि ये ग्रांट मिलनी चाहिए। अगर केंद्र से एक पैसा भी हिमाचल को मिलता है तो क्या वह हिमाचल के हित में नहीं है? क्या आप हिमाचल विरोधी हैं? क्या आप हिमाचल को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं? क्या आप प्रदेश में केवल सुख और आराम करने के लिए सत्ता का भोग करने के लिए आए हुए हैं? आपको हिमाचल का दर्द नहीं है? और यह वह उच्च विचारधारा है, आजादी के समय भी जब देश बलिदान मांग रहा था तब ये लोग उस समय अंग्रेजों के साथ खड़े थे। आजादी के बाद जब देश को वंदे मातरम की जरूरत पड़ी उस समय उन्होंने वंदे मातरम नहीं गया। आज ये वंदे मातरम पर चर्चा करके अपने गुनाहों को छुपाने के लिए वंदे मातरम के पीछे खड़े हो गए। तिरंगा, जिसके नीचे लाखों लोगों ने शहीदी दी थी उस विचारधारा के लोगों ने अपने भवन, नागपुर में वर्ष 2002 तक तिरंगा खड़ा नहीं किया। आज फिर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये किस किस्म के लोग हैं। इसी तरह से सदन के अंदर जब स्टेट हुड की सोच रखी गई डॉ0 यशवन्त सिंह परमार जैसे महान नेताओं ने हिमाचल को राज्य दिलाने की बात की तो इसी विचारधारा के लोगों ने उस समय कहा हिमाचल की स्टेट हुड को ठुड मारो। इन्होंने तो हर जगह ही ठुड मार दी। हिमाचल में प्राकृतिक आपदाएं आई तब भी ये सदन छोड़ कर चले गए। हिमाचल में जब भी किसी किस्म की कोई बात उठती है ये हमारे साथ नहीं होते।

यह जो आर0डी0जी0, अध्यक्ष महोदय जैसा आपने कहा कि ट्रिब्यून ने काफी मैंडेट दिया है। शायद ट्रिब्यून वालो ने इसे ठीक से पढ़ा ही नहीं। (...व्यवधान...)

अध्यक्षः मंत्री जी, मैंने कहा कि मैंडेट दिया है

18.02.2026/1240/बी.एस./डी.सी.-2

Revenu Minister : I am corected. Thank you. मैंने उल्टा ही सुन लिया। मैंने थोड़ा गलत सुन लिया।

अध्यक्ष : इस बारे में बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, उन्होंने तो आगे जा करके भी 16वें वित्तायोग के बारे में बोल दिया।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राजस्व घाटा अनुदान, रेवेन्यू डैफिसिट ग्रांट वह धनराशि होती है जो केंद्र सरकार राज्यों या अन्य इकाइयों को तब तक देती है जब तक उनकी नियमित आय राजस्व प्राप्तियां और उनके रोजमर्रा के खर्चों राजस्व योग के बीच कमी रह जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि राज्यों को केंद्रीय करों में अपना हिस्सा मिलने के बाद भी वह आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं सुचारु रूप से चला सकें। यह ग्रांट तो हमें मिल रही है। इनको क्या तकलीफ है? इनको आज यहां पर फैसला करना पड़ेगा कि यह हिमाचल के साथ है या उस विचारधारा के साथ है जो इस देश के लिए घातक है और इस देश की एकता और अखंडता के लिए भी घातक है। यह जो 16वां वित्तायोग है यह भी इस देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। क्योंकि 15th फाइनेंस ने 2,94,000 करोड़ से ज्यादा पैसा आर0डी0जी0 के लिए दिया और इन्होंने उसको जीरो कर दिया। यह क्या चाहते हैं कि यह देश टुकड़े-टुकड़े हो जाए। ये आपस में लड़ पड़े, यह चाहते हैं कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से असम तक फिर दोबारा से छोटे-मोटे देशों में बंट जाए। इस सोच को हमें बदलना पड़ेगा। जब तक यह सोच हिंदुस्तान के अंदर रहेगी हमारे महान शहीदों जो की शहीदी है। उस पर भी कल हमें सोचने और चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। इस देश के अगर ये लोग हितेशी हैं अगर ये लोग हिमाचल के हितेशी हैं। इनको तो मुंह बंद करके सिर्फ एक शब्द में कहना चाहिए कि यह जो आर0डी0जी0 है यह हमारा अधिकार है और यह हमें मिलना चाहिए। इतना

इनको कहना चाहिए इससे ज्यादा इनसे कुछ मांगा नहीं जा रहा है और यह जो आर्टिकल 275 है यह बहुत क्लियर शब्दों में कहता है कि पार्लियामेंट की मर्जी है वह किस स्टेट को

18.02.2026/1240/बी.एस./डी.सी.-3

उनकी आय को देखकर निर्णय ले। फाइनेंशियल कमीशन की सिफारिश को मानना या नहीं माना वह पार्लियामैंट की मर्जी है। यह ऐसा लग रहा है जो 16वां वित्तायोग है यह बीजेपी की कठपुतली थी

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

18.02.2026/1245/DT/DC-1

राजस्व मंत्री जारी...

इन्होंने बोल दिया कि ग्रांट बंद कर दो और पार्लियामेंट ने मान भी लिया क्योंकि मेजोरिटी भाजपा की है। इसलिए अब हमें बताएं कि हम कहां जाएं? पहले भी यह बात उठी थी कि हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा देना व्यवाहरिक नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पास अपने संसाधन नहीं है। फिर भी उस समय के महान नेताओं स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी व स्वर्गीय डॉ0 यशवंत सिंह परमार जी ने सभी से कहा कि हिमाचल कि अपनी एक अलग संस्कृति है इसलिए यहां के लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए हमें संविधान की धारा-275 का लाभ देकर हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए। अब क्या केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को पुनः केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहती है? जिस तरह केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में धारा-370 हटाने के बाद पूरे देश में इसका ढिंढोरा बजाया लेकिन धारा-370 अभी भी लागू है और उससे ज्यादा पैसा अब वहां खर्च किया जा रहा है। वह पैसा वहां क्यों खर्च किया जा रहा? भाजपा शासित केंद्र सरकार ने देश के लोगों को धोखे में रखा वास्तव में तो कश्मीर में धारा-370 तो हटी ही नहीं। केंद्र सरकार ने तो जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा घटाकर उसे केद्र शासित प्रदेश बना दिया। उसके साथ लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। सोनम वांगचु जैसे महान देशभक्त हैं उनको देशद्रोही बना कर केंद्र सरकार द्वारा जेल में डाल दिया गया है। हम किस ओर जा रहे हैं। जो लोग देश की सीमाओं की रक्षा कर रहें हैं उनको देशद्रोही बना दिया और जो लोग देश से करोड़ों रुपये लेकर भाग गये हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। यह कैसी बात केंद्र

सरकार कर रही है? यहां पर रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात हो रही है। अदानी-अंबानी जैसे पूंजिपति जो भाजपा के दोस्त हैं उनको 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ कर दिए गये। हिमाचल को एक साल में केवल 10000 करोड़ रुपये देने के लिए केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है। कल मेरे साथियों ने इस सदन में ठीक कहा कि पड़ोसी देशों पर भाजपा की केंद्र सरकार पैसा लुटा रही है और वह केवल इसलिए कि वह देश मोदी-मोदी के गुणगान गाएं। 'Howdy Trump' करने के लिए आप करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। नमस्ते ट्रंप के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। हिमाचल में पिछले वर्षों प्राकृतिक आपदाएं आईं लेकिन केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की ओर ध्यान नहीं दिया। माननीय प्रधान मंत्री जी 1500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा करके चले गये और अभी तक केंद्र सरकार ने यह पैसा नहीं भेजा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस स्थिति में

18.02.2026/1245/DT/DC-2

हम जा रहे हैं वह बहुत ही खतरनाक परिस्थितियां हैं। यह खाली हिमाचल के अस्तित्व का प्रश्न नहीं है बल्कि यह हमारे देश के अस्तित्व का प्रश्न है। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि शरीर से प्राण निकल जाने पर ही मनुष्य की मौत नहीं होती मरा वह भी है जो अपने अधिकारों को खत्म होते हुए खामोशी से देख रहा है। जैसे मेरे विपक्ष के साथी देख रहे है।

अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्यों में टकराव क्यों होता है? हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत कोशिश की कि इस टकराव से राज्य और केंद्र को बचाया जाए। परंतु लोकतंत्र में सरकारें लोगों के द्वारा चुनी जाती हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार केंद्र में किसी और विचारधार वाले दल की सरकार बन जाती है और राज्य में किसी और विचारधार वाले दल की सरकार बन जाती है-जैसे आज हिमाचल में कांग्रेस विचारधारा की सरकार है। दिल्ली में भाजपा विचारधारा की सरकार है और यह टकराव इसलिए ही हो रहा है। जब इनकी डबल इंजन की सरकार थी तो इनको भरपूर पैसा मिला। चाहे वह रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में मिला, चाहे जी0एस0टी0 कंपनसेशन के रूप में मिला हो लेकिन उसका उस समय सही से सदुपयोग नहीं हुआ। आज यह झगड़ा नहीं है कि उस

पैसे का सदपयोग या दुरुपयोग हुआ है लेकिन हमारी जो राजस्व प्राप्तियां या खर्चे हैं उनमें जो गैप आ रहा है उसकी फंडिग करना केंद्र सरकार का संवैधानिक दायित्व है और इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अभी यहां पर हक की बात हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हक ऐसे ही थोड़े मिल जाता। हक, अधिकारों की लड़ाई में अभी हमारे साथी दिल्ली जाने की बात कह रहे थे। (***)

अध्यक्ष : यह शब्द रिकॉर्ड में नहीं आएंगे (***) will not be the part of the record.

राजस्व मंत्री : (***)...(व्यवधान) सर, मैं अपनी बात को वापिस लेता हूं।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री एन0जी0 **द्वारा जारी...**

18.02.2026/1250/एच.के.-एन.जी./1

अध्यक्ष : इन्होंने अपने शब्द वापिस ले लिए हैं। (विपक्ष के माननीय विधायकों को देख कर कहा।) ...(व्यवधान) इन्होंने शब्द वापिस ले लिए हैं और डिलीट भी हो गए हैं।...(व्यवधान) वह तो बाद की बात है। Let him complete. ...(व्यवधान) मैं आपको (माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार को कहा) समय दे दूंगा, आप एक मिनट बैठ तो जाइए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने शब्दों को वापिस ले लिया है और मैं कहना चाहता हूं कि ये अमर हो गए हैं।...(व्यवधान) मैंने यह शायरी के रूप में कहा है। आप (विपक्ष की ओर देख कर कहा) इसे थोड़ लाइटर मूड़ में लीजिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल हक की बात करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं किः-

हक-अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते,
जिनका जमीर जिंदा हो, वे खुद दोड़े चले आते हैं।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों को निमंत्रण की जरूरत नहीं है और इन्हें अपने जमीर से पूछना चाहिए कि कहां जाना है। विपक्ष के लोग हिमाचल प्रदेश के साथ हैं या उस विचारधारा के साथ हैं जो इस देश-प्रदेश को समाप्त करने जा रही है।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमें हमारा अधिकार भी लड़ कर लेना पड़ेगा।

Speaker : I will allow you (Shri Vipin Singh Parmar ji).

राजस्व मंत्री : हम अपना Revenue Deficit Grant, under Article 275(1) का अधिकार लड़ कर लेंगे। हम कानूनी लड़ाई और आंदोलन करके भी अपना अधिकार लेंगे तथा हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता बल्कि छीनना पड़ता है और जरूरत पड़ेगी तो हन इनसे (केन्द्र सरकार के लिए कहा) जरूर छीनेंगे। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि 'कायर होते हैं वे लोग जो चुपचाप अपने अधिकार छिनने पर भी मौन रहते हैं'। धन्यवाद।

18.02.2026/1250/एच.के.-एन.जी./3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार, आप अपनी बात रखिए।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री यदि आर0डी0जी0 पर बोलते तो बहुत अच्छा होता लेकिन इनके अधिकतर कंटेंट्स हमारे ऊपर थे। इन्होंने सबसे पहले यह कहा कि ये (विपक्ष व अपने संदर्भ में कहा) वंदे मातरम के विरोधी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वर्ष 1937 के बाद वंदे मातरम में छांट-कांट किसने की थी? इसे पूर्ण रूप से चार छंदों में स्वीकार किया गया था। मुस्लिम लीग के दबाव में इसे पहले बंद कर दिया गया था और बाद में केवल दो छंदों तक सीमित कर दिया गया। इसलिए यह आरोप लगाना कि हमारे द्वारा इसका विरोध किया गया, यह गलत है। हमारे लिए वंदे मातरम आज भी प्रेरणा, जनून व जज्बा है।...(व्यवधान) आपके (सत्तापक्ष के लिए कहा) लिए भी होगा लेकिन इन्होंने जो शब्द कहें हैं, वे बिल्कुल डेरोगेटरी हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री द्वारा आर0एस0एस0 का जिक्र बार-बार किया गया है। हम आर0एस0एस0 के हैं तो हमें उस पर गर्व है। ये वीर सावरकर जी का जिक्र करते हैं तो वे स्वतंत्रता सेनानी थे। (***)...(व्यवधान) राजस्व मंत्री जी को मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब देश आजादी की ओर बढ़ रहा था तो क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी या जन संघ था? उस समय तो केवल काँग्रेस पार्टी व मुस्लिम लीग थी।(***)...(व्यवधान)

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं।

18.02.2026/1250/एच.के.-एन.जी./4

श्री विपिन सिंह परमार : (***)...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार जी आपका विषय आ गया है।...(व्यवधान)

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस प्रकार से गलत हिस्ट्री नहीं बोल सकते।...(व्यवधान)

श्री विपिन सिंह परमार : माननीय लोक निर्माण मंत्री, मैंने आपके बारे में क्या कहा है? ...(व्यवधान) जब आपके बोलने का समय आएगा, तब आप बोल लेना।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार, आपका जो भी कंसर्न था, वह आ गया है।...(व्यवधान)

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, (***)... व्यवधान

Speaker : I will give you a chance (Shri Vikramaditya Singh ji). ...(Interruption) I will give you time to speak, Shri Vikramaditya Singh ji.

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं सत्तापक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि (***)...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार, अब ये बातें रैफरेंस में नहीं आएंगी।..(व्यवधान)

श्री विपिन सिंह परमार : नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय, प्लीज।...(व्यवधान)

(सत्तापक्ष के कुछ माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।)

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

18.02.2026/1255/एच.के./ए.पी./01

अध्यक्ष जारी .....

अध्यक्ष : जो-जो बातें reference में आई, उसका जबाव आ गया है। ...(व्यवधान)...(व्यवधान) ऐसा नहीं है। ...(Interruption) This will not go on record. ...(Interruption) (***) and rest of the story will not go on record. ...(Interruption) No, this will not go on record. ...(Interruption) Please, please ...(Interruption) This will not go on record. जब आपका समय आएगा आपने अपनी जो भी बातें बोलनी होगी बोल लेना। इस समय आपको जो कुछ objectionable लग रहा था, उसका जिक्र आपने कर दिया है, अब माननीय लोक निर्माण मंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय विपिन सिंह परमार जी का बहुत मान-सम्मान करते हैं और इसलिए भी करते हैं क्योंकि वे इस सदन की कुर्सी पर बैठे हैं। परंतु मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इतिहास को अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ कर सदन में प्रस्तुत न किया जाए। यह आपकी गरिमा, हमारी गरिमा और इतिहास की गरिमा के भी खिलाफ है। यह इतिहास में दर्ज है कि वर्ष 1913 में सावरकर जी जब जेल में थे, उन्होंने ब्रिटिश राज को अनकंडीशनल अपॉलजी दी थी। इसके बाद जब उन्होंने माफीनामा प्रस्तुत किया, तभी उन्हें जेल से रिहा किया गया था। यह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि हिंदू महासभा ने पंजाब प्रांत की यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। उस समय विभाजन की जो आप बात करते हो, उस विभाजन में सबसे बड़ा योगदान किसी का है या योगदान किसी दल या सोच का है तो वह सबको पता है और सब लोग इनको जानते भी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं लम्बी बात नहीं कहना चाहता कि इतिहास के पन्नों में सब कुछ दर्ज है। यहां पर मसला आर0डी0जी0 ग्रांट का है। माननीय नेगी जी इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से रख रहे है और इतिहास सब चीज़ों को जानता है। मेरा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आग्रह है कि we should stick to the facts. मैं इस विषय पर पहले बोल चुका हूं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर हमको bi-partisan तरीके से हिमाचल की आवाज को दिल्ली में रखना है, और यह कार्य हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहिए। यदि हम इतिहास और विभाजन की राजनीति में उलझेंगे तो इसका सबसे

18.02.2026/1255/एच.के./ए.पी./02

बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता को होगा। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस प्रकार ध्रुवीकरण की राजनीति से बचा जाए और अपने इतिहास को हमारे ऊपर थोपने का प्रयास न किया जाए, धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री दीप राज जी। एक मिनट रुकिये। मेरा आपसे आग्रह है कि आपको लगता है किसी विषय पर या किसी सदस्य द्वारा गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया है या कोई ऐसा मुद्दा है, जिस पर आप स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो आपका जो अगला

स्पीकर है he can touch that issue instead बीच-बीच में बार-बार उठने से समय अधिक लगेगा और we have to wind-up this debate today. माननीय श्री दीप राज जी।

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय आपने मुझे नियम-102 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया आपका धन्यवाद। इस विधान सभा में मेरा चौथा वर्ष है और इस चौथे वर्ष में मुझे दो नई चीजें देखने को मिली। पहली यह कि इस बार मुख्यमंत्री जी ने "व्यवस्था परिवर्तन" का नाम नहीं लिया। जबकि पिछले तीन वर्षों से लगातार यह नारा दिया जा रहा था। दूसरी बड़ी उपलब्धि यह रही कि इस वर्ष हमें संविधान को प्रत्यक्ष रूप से हिमाचल प्रदेश विधान सभा में देखने का अवसर मिला। पहले हम केवल लोक सभा में टीवी पर राहुल गांधी जी को संविधान की प्रति पकड़े हुए देखा करते थे। लेकिन प्रश्न यह है कि जो लोग संविधान लेकर सदन में बैठे हैं या जब संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, वहीं प्रदेश में सत्य बोलने के बजाय लोगों को गुमराह करते हैं, रोना-धोना करते हैं और सनसनी फैलाते हैं। अध्यक्ष महोदय, कई बार संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। हमारे बीच कल एक अर्थशास्त्री जी बैठे थे। वह कह रह थे कि कांग्रेस किस प्रकार आज 50 सीटों से 100 सीटों तक पहुंच गई।

श्री ए0टी0 जारी .....

18/02/2026/1300/AT/YK /01

श्री दीप राज जारी :

हम 50 से 100 के आंकड़े की बात नहीं करते अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी दो सीटों से आज लगातार तीसरी बार सत्ता में है और आगे भी लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली है। अगर आप लोगों ने संविधान पहले ढंग से पढ़ा होता तो आज आपकी यह दूरदर्शिता नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से पिछले तीन साल के अपने कार्यकाल के प्रबंधन को आर्थिक आपदा का नारा देकर किस तरह हिमाचल प्रदेश में सनसनी फैलाई गई।

अध्यक्ष महोदय, जैसे ही 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आती है उसी समय हमारे यहां आत्मनिर्भर सत्ताधारी और आत्मनिर्भर बुद्धिजीवी जो आज यहां बैठे भी नहीं हैं। मेरा आपसे यह भी निवेदन है कई बार हम कुछ अच्छी राय देते हैं तो उनको भी सुन लें और यहां पर बैठने का कष्ट करें। आत्मनिर्भर बुद्धिजीवीयों ने सबसे पहले अखबारों और मीडिया में सनसनी फैलाई कि अब कर्मचारियों को डी0ए0 नहीं मिलेगा, टी0ए0 नहीं मिलेगा, एरियर नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी और विकास का कोई भी काम नहीं होगा। इसके बावजूद कहा गया कि हमें 6000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। यह रिपोर्ट आपके ही अधिकारियों और आत्मनिर्भर बुद्धिजीवियों की थी।

यह किस तरह की सनसनी है? एक समय टीवी पर सनसनी नाम का न्यूज चैनल आता था जिसमें कहा जाता था चैन से सोना है तो जाग जाओ उसी तरह की सत्तापक्ष ने सनसनी पूरे प्रदेश में फैलाई हुई है। लेकिन कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आर0डी0जी0 का खतरा है, लेकिन हम आर्थिक तंगी से उभरेंगे, हम डी0ए0 भी देंगे, एरियर भी देंगे, पेंशन भी देंगे, सैलरी भी देंगे और जो बचा हुआ बजट है, वह भी सब देंगे। तो 15 दिन पहले जो बात कही गई थी, वह सत्य थी या आज जो कही जा रही है वह सत्य है? यह इनकी कार्यप्रणाली और संवैधानिक कुर्सी पर बैठे व्यक्ति पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। हमारे आदरणीय नेगी जी इतिहास की लंबी-चौड़ी कहानी सुना रहे थे। अध्यक्ष महोदय, इतिहास सबने पढ़ा है, आंकड़े सबके पास हैं। आज

18/02/2026/1300/AT/YK /02

टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि चैट जी0पी0टी0 या अन्य ग्रोक ऐप में कुछ भी डालो, सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध हो जाता है। हम यहां इतिहास पढ़ने या सुनाने नहीं आए हैं। हमको तो यह चाहिए कि हम एक नया इतिहास बनाए, इतिहास रोने-धोने और गुमराह करने का नहीं बल्कि आत्मनिर्भर होने का इतिहास हम बनाएं।

अध्यक्ष महोदय, आत्मनिर्भर कैसे होंगे? आत्मनिर्भर तो अनुशासन से आती है। सत्ता पक्ष का एंबीशन बहुत बड़ा है। हम तो पहली बार आए हैं, हम बुजुर्गों से सीखेंगे। लेकिन

इन्होंने इतने एंबिशन बना दिये हैं और आत्मनिर्भर बुद्धिजीवी भी इनके साथ हैं, सब से बड़ा प्रश्न चिन्ह इन पर है और हम आपस में एक दुसरे को बोले जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी भी सदन में आ गये, आदरणीय मुख्यमंत्री जी फिल्मों के बहुत ज्यादा शौकीन हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अनिल कपूर जी के बड़े फैन हैं क्योंकि जैसे ही सत्ता आई, तो सत्ता आते ही मुख्यमंत्री जी नायक फिल्म की भूमिका में आ गए। सत्ता में आते ही कहा गया कि हमने मिल्क सेस लगाया, वाटर सेस लगाया, एक्साइज सेस लगाया, ग्रीन एनर्जी की बात कही गई। पिछले तीन वर्षों से लगातार ...(व्यवधान) सेस की बात कर रहा हूं।

Speaker : Please don't disturb.

श्री दीज राज : तीन वर्षों से लगातार हिमाचल प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया गया कि मानो विकास की गंगा-जमुना प्रदेश में बह रही हो। मेरे करसोग विधान सभा क्षेत्र में जितनी घोषणाएं की गईं सड़कों की, गेस्ट हाउस की, कभी वहां आकर देखिए आई0टी0आई0 बिल्डिंग में वहां 20 नहीं, 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं। यही आपकी नायक वाली भूमिका थी। अध्यक्ष महोदय, यह भूमिका हिमाचल तक नहीं रुकी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान चुनाव में गए और वहां हिमाचल प्रदेश की उपलब्धियां गिनाईं। कहा गया कि हिमाचल सफल हो गया है, स्टार्टअप शुरू हो गए हैं, तरह-तरह के कर लगाकर हिमाचल प्रदेश की आय बढ़ा दी है, हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और वर्ष 2032 तक देश का सर्वप्रथम आय वाले राज्य बन जाएंगे। ...(व्यवधान) आपने अपनी 10 साल की प्लानिंग बनाई थी, सबसे अमीर राज्य बनने की। यह एंबीशन राजस्थान तक नहीं रुका, ये बिहार भी पहुंचे

के0एस0द्वारा जारी .....

18-02-2026/1305/केएस/वाईके/1

श्री दीप राज जारी ---

वहां भी इन्होंने गुणगान में कोई कमी नहीं छोड़ी । हरियाणा में भी इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारे पड़ोसी राज्यों को बरगलाने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। और तो और

उत्तराखंड जा कर भी इन्होंने प्रचार किया । ...(व्यवधान) हां, अवस्थी जी ने तो अमेरीका में भी प्रचार किया कि हम हिमाचल में आत्मनिर्भर हो गए हैं। इसका अंजाम यह हुआ कि जब अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली जाता हूं, इधर-उधर की स्टेट के कई विधायक मेरे भी दोस्त हैं। जब वे मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि और भाई आत्मनिर्भर, क्या हाल-चाल है? आप लोगों ने तो हिमाचलियों का नाम ही आत्मनिर्भर करवा दिया। जनता को तो आत्मनिर्भर करवाया ही करवाया था। अनिल कपूर की नायक फिल्म से ज्यादा प्रेरित तो ये लोग अनिल कपूर की मि0 इंडिया मूवी से हैं। अध्यक्ष महोदय, मि0 इंडिया फिल्म में अनिल कपूर के पास एक घड़ी होती है और उसको वे जिसको भी पहनाते हैं वह गायब हो जाता है। तीन साल का इनका जो हवाई विकास है, जो इन्होंने पूरे देश में गा-गा कर अपनी दस गारंटियों की गाथा सुनाई और हिमाचल प्रदेश को विकसित करने की बात कही, जैसे ही आर0डी0जी0 के थोड़े से पैसे की बात आई, वह मि0 इंडिया वाली घड़ी पूरे हिमाचल के विकास को लगा दी गई।

अध्यक्ष महोदय, मि0 इंडिया की तरह थोड़े समय में हमारे ये अनिल कपूर साहब के फैन भी गायब हो जाएंगे। मैडम कमलेश जी, मेरा तो आपसे निवेदन है, गोबर के लिए नम्बर दे रहे थे, बेलिराम को सच में पैंशन दे दो। उनकी दो बेटियां हैं जिनकी उन्होंने अभी लोन ले कर शादी की है। ...(व्यवधान) यह हंसने वाली बात नहीं है। आप लोग यहां पर माननीय सदन में बैठे हैं। कोई व्यक्ति जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी सरकार की सेवा में लगाई है आज बुढ़ापे में उसको पैंशन के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। क्या हम विधान सभा में हंसने आए हैं? यह आपके कारनामे हैं और आपको आज आइना दिखाया जा रहा है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, अर्थशास्त्र क्या निकाला? हिमाचल प्रदेश की बात की जाती है, सेब की बात की जाती है। क्या आपको पता भी है कि पूरे देश में सेब की कितनी खपत है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड मिलकर भी देश की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश की 26 लाख मीट्रिक टन सेब की डिमांड है। जिसमें से 21 लाख मीट्रिक टन हिमाचल

प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड राज्य पैदा करते हैं और पिछले दो सालों से इनके कूप्रबन्धन और इनकी दिशाहीन कार्यप्रणाली की वजह से हिमाचल प्रदेश में सेब की फसल की क्या हालत हो गई है? एक जुमला बना दिया गया लेकिन अमेरीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के लिए जो सब्सिडी दी गई वह मात्र 5.00 लाख मीट्रिक टन के लिए दी गई है। आप सभी के पास मोबाइल है, आप कभी उसमें आंकड़े देख लिया करो और रिपोर्ट्स को चैक कर लिया करो। उसमें से भी 3.00 लाख तक के लिए अगले तीन वर्षों के लिए 85 रुपये प्लस 35 रुपये, यह प्राइज़ रहेगा और यह तीन साल बाद रिवाइज़ होगा। और तो और हिमाचल प्रदेश में स्टार्टअप के नाम पर क्या हुआ? सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्टार्टअप के माध्यम से ही हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी ठीक होनी थी। स्टार्टअप के नाम पर हिमाचल प्रदेश में हमारे प्रदेश के युवाओं को इंसैंटिव दिया गया और उसके नाम पर आज वे ड्राइवर बना दिए गए हैं। स्टार्टअप का मतलब लोगों को रोज़गार पैदा करना होता है, लोगों के लिए एक आम आदमी रोज़गार पैदा करता है। लेकिन यहां तो हमारा युवा बेचारा खुद ही ड्राइवर बन कर गाड़ी घुमा रहा है। हमें इतिहास में नहीं पड़ना है , हमें तो इतिहास बनाने के लिए काम करना है। आपने प्रिंसिपल स्टैंड की बात कही, सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि सनसनी फैलाना बंद करें, उकसाना बंद करें, फुसलाना, रोना-धोना और गुमराह करना बंद करें। मेरा यहां पर इन आत्मनिर्भर बुद्धिजीवियों से यह भी निवेदन है कि सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर हमें आत्मनिर्भर होना है तो उसके तीन प्रिंसिपल हैं। हमें उनके साथ भी काम करना है। आप यहां पर आर0डी0जी0 की बात कर रहे हैं। आपने तीन साल में क्या हमें बताया कि हम जनता के हित के लिए कोई योजना ले कर आए हैं, उसमें आप भी हमारा समर्थन करो, हमें गाइड करो। ज्ञान तो सर, कहीं से भी मिल सकता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले हमें घरेलू इको सिस्टम का निर्माण करना होगा। क्योंकि जो निर्णय हो गया वह तो हो गया।

श्रीमती अ0व0द्वारा जारी ---

18.02.2026/1310/AV/AG/1

श्री दीप राज ------जारी

अब घरेलू ईको सिस्टम का निर्माण करके हमें हिमाचल प्रदेश में जो स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी चाहिए थीं; वे नहीं की गईं। इन्फ्रास्ट्रक्चर हो या भूमि, लॉजिस्टिक या रेगुलेटरी सुधारों के माध्यम से उद्योगों को सक्षम बनाना हो; पहला तो यह है। दूसरा, हमारे देश की वैश्विक दृष्टि के साथ कार्य करना होगा और निर्यात का अनुशासन बढ़ाना होगा; तब जाकर हम सब लोग इसमें आगे बढ़ पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने हर जगह से चेयरमैन और ए0डी0जी0 बनाएं; बहुत अच्छी बात है। आपकी सरकार है, आप बनाएं। हम तो आपके साथी हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। परंतु एक-आधा करसोग से भी बना देते। वहां से प्रत्याशी को न बनाते, परंतु 36-37 वर्षों से जो आपके साथ श्री पृथ्वी सिंह जी अध्यक्ष हैं; उनको ही बना देते। इस बहाने करसोग का किसी-न-किसी माध्यम से विकास भी हो जाता।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रदेश में सरकार के कुप्रबंधन के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। इसलिए आप जनता को भ्रमित करना बंद कीजिए। आप वास्तविक आंकड़ों को घुमाना बंद कीजिए और केवल प्रदेश की जनता के हित की बात कीजिए। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनावकाश हेतु 02.15 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

18.02.2026/1415/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

(माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 02.15 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई)

अध्यक्ष : मेरे पास पहले जो लिस्ट थी उसमें 5 माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी से बोलने हेतु शेष थे लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी रिवाइज्ड लिस्ट दे दी और उसमें

भी 5 नाम शामिल किए गए हैं। यदि प्रत्येक माननीय सदस्य को 10 मिनट का समय दिया जाए तो लगभग डेढ़ से दो घंटे का समय लगेगा और अभी लगभग 3 घंटे का समय शेष बचा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया संक्षेप में अपने विचार रखें।

अब मैं माननीय सदस्य श्री राम कुमार चौधरी जी को चर्चा में भाग लेने हेतु बुला रहा हूं।

श्री राम कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। नियम 102 के अंतर्गत माननीय पार्लियामैंट अफेयर मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन जी द्वारा जो सरकारी संकल्प लाया गया है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रदेशहित का संकल्प है। प्रदेश के व्यय और इनकम के बीच जो गैप है उसे पाटने के लिए जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) की भावना के अनुरूप दी जाती थी, उसे बंद किया गया है। इस संबंध में मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं।

हिमाचल प्रदेश पहले एक 'सी स्टेट' था लेकिन बाद में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। पूर्व की कांग्रेस सरकारों के समय में यह राशि कितनी मिलती थी, इस विषय पर मेरे सामने बैठे मित्रों ने बड़े जोर-शोर से चर्चा की कि उस समय राशि कम थी। इसके संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि उस समय जो विधायक क्षेत्रीय विकास निधि की ग्रांट मिलती थी, आप भी उस समय विधायक थे, हमारी विधायक क्षेत्रीय विकास निधि लगभग 5 लाख रुपये से प्रारंभ हुई थी। जो सड़क उस समय 15000 रुपये में बनती थी, आज वह लगभग 3 लाख रुपये में बन रही है। इसलिए उस समय का बजट, उस समय की इनकम और उस समय के खर्च के आधार पर जो अमाउंट निर्धारित होता था, वह कम था। इसी कारण रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी कम मिलती रही होगी। पिछले शासनकाल में बहुत अधिक ग्रांट मिली और टैक्स का भी पैसा मिला, लेकिन इसके बावजूद भी माननीय पूर्व मुख्य मंत्री महोदय यह दावा कर रहे थे कि उन्होंने पूर्ण विकास किया। **एन0एस0 द्वारा जारी ....**

18-2-2026/1420/एन0एस0-ए0एस0/1

श्री राम कुमार-----जारी

मैं दून विधान सभा क्षेत्र के बारे में बात करना चाहूंगा कि हमने वर्ष 2016 में जो योजनाएं शुरू की थीं,

(श्री संजय रत्न, सभापति पदासीन हुए)

चाहे बद्दी हॉस्पिटल था, चाहे बी0एम0ओ0, चंडी था, आई0टी0आई0, पट्टा, कुठाड़ या चाहे हमारे पुलों के निर्माण कार्य थे तो एक भी कार्य जो वर्ष 2016 में शुरू किया था, पिछली सरकार के समय वर्ष 2022 तक कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि आपको इतनी ज्यादा ग्रांट मिली तब आपने क्या किया? जब दून विधान सभा क्षेत्र में पैसा नहीं लगा तो बाकी जगहों पर भी यही हाल होगा। यहां पर यह भी कहा गया कि आर0डी0जी0 हमारी ही बंद नहीं हुई बल्कि अन्य 17 प्रदेशों की भी बंद हुई है। मैं अपने मित्रों से जानना चाहता हूं कि आप मुझे यह बताएं कि क्या आप प्रदेश के हितैषी हैं या केवल भारत सरकार/बी0जे0पी0के हितैषी हैं? यह लड़ाई केवल कांग्रेस पार्टी या मौजूदा सरकार की नहीं है। यह लड़ाई पूरे हिमाचल की जनता की है क्योंकि इस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बंद होने से पूरे प्रदेश की वित्तीय स्थिति डगमगा जाएगी और यह आने वाला समय बताएगा। प्रदेश में जैसे ही हमारी सरकार बनी तो मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए बहुत कड़े पग उठाए, चाहे करों में वृद्धि थी, शराब के ठेकों की नीलामी में वृद्धि थी। बिजली बोर्ड पहली बार प्रोफिट में आया लगभग 3800 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार ने पिछले समय से ज्यादा कमाए। विपक्ष के मित्र कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी दावा करते हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर हैं। यह सरकार का आत्मनिर्भर होने की ओर एक कदम था। सरकार ने आय को बढ़ाया और खर्चों को कम किया। डवलपमैंट भी की और प्रदेश में दो बड़ी प्राकृतिक आपदाओं को भी झेला। पहली आपदा के दौरान भारत सरकार की टीम ने लगभग 9200 करोड़ रुपये का आकलन किया था और उसमें प्रदेश को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। मैं विपक्ष के मित्रों को यह बताना चाहता हूं क्योंकि आदरणीय जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री व वित्त मंत्री रहे हैं और वे इस स्थिति को समझते हैं यहां तक कि सभी वरिष्ठ सदस्य इस स्थिति को समझते हैं। पिछले

18-2-2026/1420/एन0एस0-ए0एस0/2

कल यहां पर 2-3 माननीय सदस्य इस तरीके से वकालत कर रहे थे कि जैसे आर0डी0जी0 के विरोध में किसी कोर्ट में डिबेट कर रहे हों और सरकार के खिलाफ काम कर रहे हों। पूरे प्रदेश की जनता इनका चेहरा देख रही है। वर्ष 2017-22 तक एच0आर0टी0सी0 के ड्यूज अभी तक पेंडिंग हैं और हमारी सरकार ने ये ड्यूज पे किए हैं। हमें इस बारे में श्री जय राम ठाकुर जी बताएं कि ये क्यों पेंडिंग हैं?

सभापति महोदय, अब मैं रेलवे की बात करना चाहूंगा। जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना तो उस समय स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने अनाउंस किया और कहा कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है। हमारे पास अपने संसाधन नहीं हैं। हमारे पास जंगल हैं जिनको हम काट नहीं सकते हैं। हमें केवल एक्साइज से थोड़ी इनकम होती है। यहां पर और कोई आय का साधन नहीं है। यहां पर नदियां हैं और उन पर बड़े बांध बने हैं जहां हाइड्रो प्रोजैक्टस चले हैं तो उन पर भी भारत सरकार का कब्जा है। यहां तक कि जो प्रोजैक्टस हमारे फ्री हो चुके हैं यानी उनका बैंक का ऋण उतर गया है तो उनकी रॉयल्टी भी हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर बढ़वानी पड़ी। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। भारत सरकार को चाहिए था कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, गरीब राज्य है और इनके पास इनकम के कोई साधन नहीं हैं और जो प्रोजैक्टस फ्री हो गए हैं उनको हिमाचल प्रदेश सरकार को हैंडओवर करना चाहिए था ताकि हमारी आय में इजाफा हो तथा प्रदेश को चलाने में हमें उनकी सहायता मिले।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

18.02.2026/1425/RKS/AS-1

श्री राम कुमार जारी...

इन्होंने कहा कि रेलवे परियोजनाओं में श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 90:10 की योजना लागू की है। मैं बद्दी का उदाहरण देना चाहूंगा। बद्दी में रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो भूमि अधिग्रहित की गई उसके मुआवजे की राशि 50 प्रतिशत प्रदेश सरकार और 50 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वहन की गई है। यह 50:50 की योजना है। यह भी कहा गया कि हमने इसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकारें थीं तब कभी किसी कांग्रेस नेता ने यह नहीं कहा कि यह योजना केंद्र सरकार की है इसलिए आप केंद्र सरकार का धन्यवाद करें। क्या प्रत्येक योजना के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद करना जरूरी है? हमारा देश एक संघीय ढांचे पर आधारित है और यहां से एकत्रित कर केंद्र सरकार के पास जाते हैं। ये कहते हैं कि पहले राज्यों को केंद्रीय करों में 32 प्रतिशत हिस्सा मिलता था और अब यह बढ़ाकर 41 प्रतिशत कर दिया गया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूर्व में कर प्रणाली अलग थी, स्टेट टैक्स, सी0एस0टी0 तथा सेंट्रल टैक्स अलग-अलग वसूले जाते थे। स्टेट टैक्स राज्य को और सेंट्रल टैक्स केंद्र को प्राप्त होता था। उसके बाद वैट की व्यवस्था आई जिसमें राज्य का कर सीधे राज्य को और केंद्र का कर केंद्र को जाता था। ये कहते जब से जी0एस0टी0 की व्यवस्था लागू हुई है तो अब स्थिति भिन्न हो गई है। वर्ष 2022-23 में केवल बद्दी से लगभग 825 करोड़ रुपये भारत सरकार को प्राप्त हुए। वर्ष 2023-24 में यह राशि 756 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2024-25 में 693 करोड़ रुपये रही। यह कहते हैं कि जी0एस0टी0 में वृद्धि हुई है और हमें अब 2300 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। किंतु बद्दी, ऊना, परवाणू और पांवटा साहिब जैसे औद्योगिक क्षेत्रों से प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपये जी0एस0टी0 के रूप में केंद्र को प्राप्त हो रहे हैं। यदि जी0एस0टी0 संग्रह में वृद्धि हुई है तो उसमें हमारा भी वैधानिक हिस्सा है। हमें संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। मैं माननीय जय राम ठाकुर जी से भी कहना चाहूंगा कि यह विषय प्रदेश हित से जुड़ा है। किसकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, यह अलग विषय है किंतु आप बहुत जल्दी में लग रहे हैं। जब से हमारी सरकार बनी है तब से आप इस संवैधानिक सरकार को गिराने के चक्कर में पड़े हैं। पहले हमारे ऊपर इनकी आपदा आई और फिर दूसरी आपदा यह आ गई। जो पूर्व में आपदा आई

थी उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में भी इन्हें दिक्कत हुई। तीसरी आपदा वर्ष 2025 में आई लेकिन वह पैसा भी हमें अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी लेकिन वह पैसा अभी तक नहीं मिला। जब आपदा के कारण देश में कहीं भी 10 घर गिर जाते थे तो माननीय प्रधान मंत्री जी उस क्षेत्र का दौरा करते थे। मेरे चुनाव क्षेत्र में 4 गांव पूरी तरह ध्वस्त हो गए, 452 घर तबाह हो गए लेकिन वहां पर किसी केंद्रीय मंत्री या सांसद का दौरा नहीं हुआ। अगर वहां पर सांसद आए भी तो उन्होंने एक फूटी कौड़ी भी राहत के नाम पर लोगों को नहीं दी। हमारी सामाजिक संस्थाओं और मैंन खुद अपनी जेब से उन लोगों को राशन, अस्थाई तौर पर आवास का प्रबंध और पशुओं को चारा उपलब्ध करवाया। हमने इस विषय में मुख्य मंत्री जी से बात की और पूर्व में जहां आपदा पीड़ितों को मकान निर्माण हेतु लगभग डेढ़ लाख रुपये की सहायता दी जाती थी उसे बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 लाख रुपये कर दिया। भारत सरकार ने केंद्रीय बजट में पड़ोसी देशों के लिए एक-एक हजार करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है। नेपाल को एक हजार करोड़ रुपये, अफगानीस्तान, बांग्लादेश और भूटान को भी करोड़ों रुपये की राशि देने का प्रावधान किया है। मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। हिमाचल प्रदेश की अपनी संस्कृति है। हिमाचल प्रदेश के अपने संसाधन नहीं हैं इसलिए आपको हिमाचल प्रदेश की तरफ जरूर देखना चाहिए। हमारे चार सांसद दिल्ली में दूम दबाकर बैठे हैं। उन्होंने एक बार भी हिमाचल प्रदेश के हितों की बात नहीं की है। मेरा आग्रह है कि हम इस मुद्दे पर सभी सदस्य इकट्ठा होकर माननीय प्रधान मंत्री जी से मिलें। क्योंकि यह जो रिकॉमेंडेशन हुई है यह एक कठपुतली की तरह हुई है, संविधान के खिलाफ हुई है। इस संस्तुति को ठीक करने की पावर हमारी संसद को है। अभी इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर राजनीति नहीं की जाए। हमारे मुख्य मंत्री, उप-मुख्य मंत्री और मंत्रीगण ने कई मर्तबा कहा कि हम श्री जय राम ठाकुर जी की अध्यक्षता में दिल्ली जाने को तैयार हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें क्या बुराई है? आज पूरा प्रदेश हमारी ओर देख रहा है। लेकिन आप तो हर समय यह चाहते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी का गला घोंट दें।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

18.02.2026/1430/बी.एस./डी.सी.-1

श्री राम कुमार जारी...

पहले आपने हमारे लोगों को खरीदा, सरकार को गिराने का असफल प्रयास किया और उसके बाद आप फाइनेंशियल आपदा लाकर प्रदेश सरकार को निष्फल करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और आने वाले समय में भी पूरे मुकाबले के साथ डट करके हम चुनाव में आपके सामने खड़े रहेंगे। मैं बहुत लंबी बात नहीं करते हुए, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश में आर्थिक स्त्रोत बढ़ाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। लगभग 10 हजार बीघा में बद्दी में मिनी चंडीगढ़ की तर्ज पर एक शहर बसाने का निर्णय लिया।

सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह जमीन इस माह 30 तारीख तक हाउसिंग बोर्ड के नाम हो जाएगी। मैं मुख्य मंत्री से चाहूंगा कि इस बजट में इसको अनाउंस कर ले क्योंकि सैकड़ो करोड़ रुपये हमें इस स्कीम से आने वाला है।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त हरें।

श्री राम कुमार : सभापति महोदय मैं केवल दो मिनट और लूंगा। मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा कि जो हमारी पुरानी इंडस्ट्री एरियाज हैं, चंडीगढ़ की तर्ज पर तेलंगाना की तर्ज पर जैसे पुराने इंडस्ट्रीयल एरियाज हैं जिन्हें 30 साल 40 साल उन इंडस्ट्रीज को हो गए हैं और जो हमारे मेन रोड पर इंडस्ट्रीज लगी हैं उनको अगर आप कुछ अमाउंट फिक्स करके उनको फ्री होल्ड कर दें और उनको आप कमर्शियल कर दें तो प्रदेश की आय में सैकड़ो करोड़ रुपये की वृद्धि लगभग 6 महीने के अंदर हो जाएगी।

अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमारे सामने वाले मित्र रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए सरकार का साथ दें। यह जरूरी नहीं है कि संविधान में वह चीज मेंशन हो ग्रांट- ग्रांट है

लेकिन जो हमारा गैप है उसको भरने की यह ग्रांट है। यदि इसके लिए हम मिलकर लड़ेंगे तो प्रदेश की इसमें भलाई होगी। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

18.02.2026/1430/बी.एस./डी.सी.-2

सभापति : माननीय सदस्य, डॉ0 जनक राज जी अब इस चर्चा में भाग लेंगे।

डॉ0 जनक राज : सभापति महोदय, धन्यवाद, नियम-102 के तहत पिछले दो दिनों से जो चर्चा इस सदन में चल रही है आपने उसमें मुझे भाग लेने का मौका दिया आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, परसों जो संकल्प इस माननीय सदन में लाया गया है यह असलियत में सरकार के द्वारा अपनी आर्थिक नीतियों की विफलताओं के ऊपर पर्दा डालने का प्रयास है। यह कटु सत्य है कि हिमाचल के वर्तमान हालातों के लिए केवल यही नहीं पूर्व की कांग्रेस सरकारें भी जिम्मेदार हैं। मैं प्रत्यक्ष तौर पर यह बात कहता हूं। यह कांग्रेस की आर्थिक अक्षमता राजनीतिक स्वार्थ और प्रशासनिक स्थिरता का परिणाम है। आज हिमाचल इस स्थान पर आकर खड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि भारत सरकार का बजट केवल हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं परंतु पूरे देश के लिए आया था और भारत सरकार का बजट पूरे देश के विकास का रोड मैप है जिसमें राज्यों में करों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में बढ़ोतरी, पर्यटन, रेलवे और डिजिटल कनेक्टिविटी सबके लिए अवसर दिए गए हैं। सभापति महोदय, यह बजट भारत को एक खपत डिपेंडेंट इकोनामी से प्रोडक्शन ग्रोइंग इकोनामी में बदलने का बजट है। यह बजट विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट है। अवसर अनेकों हैं लेकिन अफसर का लाभ केवल वही उठा पता है जिसके पास दृष्टि हो, नीति हो और नियत हो।

सभापति महोदय, बार-बार एक बात यहां कही जा रही है कि संघीय ढांचे में फेडरल सिस्टम में हमारा ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मैं कुछ तथ्य आपके माध्यम से प्रदेश के साथ केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है ऐसी बात यहां हमेशा कही जाती है। मैं बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हिमाचल को केंद्र के द्वारा 24 करोड़ 317 रुपये की सहायता भिन्न-भिन्न हिस्सों में मिली जिसमें कुल राजस्व प्राप्तियां करों से और जो ग्रांट-इन-एड आई हैं। वर्ष 2024-25 में 23,411 करोड़ रुपये और वर्ष 2023 से आज दिन

तक अगर हम गिने तो लगभग 70,000 करोड़ रुपये का केंद्र का सहयोग भिन्न-भिन्न योजनाओं और ग्रांट-इन-एड के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को दिया गया है, यह बार-बार कहते हैं

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

18.02.2026/1435/DT/HK-1

डॉ0 जनक राज जारी...

और अभी मुझ से पूर्व के वक्ता ने कहा कि भारत सरकार ने कब्जा किया है। कौन से संविधान में ऐसा लिखा है कि भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच ऐसी बातें होनी चाहिए? इस देश की एक-एक संपति पर भारत के राष्ट्रपति का नाम दर्ज है। भारत सरकार ने कब्जा नहीं किया है बल्कि हम भारत सरकार का हिस्सा हैं। मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है और अगर किसी को लगता है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास क आढ़े आ रही है या इसके विकास में रोढ़ा अटका रही है, उसके लिए हम आपके साथ मिलकर सदन के भीतर से लेकर बाहर तक केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए तैयार हैं। लेकिन केंद्र सरकार आपकी अव्यवहारिक चुनाव घोषाएं पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सत्ता पक्ष के साथियों के लिए आर0डी0जी0 का अर्थ है -रो-धो और गुमराह करो। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के विकास में खर्च किया जाने वाला अधिकतर पैसा अब केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष देख-रेख में खर्च होगा। अब राज्य सरकारों को अपनी मनमर्जी से पैसा व्यय करने की शक्तियां सीमित कर दी गई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हम संघीय ढांचे में रहते हैं। हमे विकसित भारत के ध्यय की ओर बढ़ना है। मुझ से पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से वित्त आयोगों पर टिप्पणियां की और कहा कि अब तक जो पंद्रह वित्त आयोग आये सभी में आर0डी0जी0 का उल्लेख हुआ। बिल्कुल, सभी वित्त आयोग की सिफारिशों में कभी आर0डी0जी0 को बढ़ाया गया और कभी घटाया गया। एक पंक्ति जो हमेशा प्रत्येक वित्त आयोग ने कही उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 11वें वित्त आयोग ने Chapter-II, Page

No. 46 में कहा "State should draw up a monitorable fiscal reform programme and aimed at reduction of Revenue Deficit of the State". उसके बाद 12वें वित्त आयोग ने कहा "Revenue deficit should be eliminated by the 2008-2009. उसके बाद 13वें वित्त आयोग ने कहा "Revenue deficit to be progressively reduced and eliminated, followed by revenue surplus by 2013—14". फिर 14वें वित्त आयोग ने कहा " Fiscal deficit to be reduced to 3% of GDP and revenue deficit to be zero by 2017 ". परन्तु किसी ने भी

18.02.2026/1435/DT/HK-2

इस पर ध्यान नहीं दिया। यह बात आज की नहीं है यह बात वर्ष 2000 से शुरू हुई है। मैं यहां पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 15वें वित्ता आयोग ने जरूर आर0डी0जी0 दी थी पर 15वें वित्त आयोग ने Chapter-I 'Approach and Recommendation', Point No. V में क्या कहा है। "We have provided grants-in-aid for local bodies, disaster relief and States with a post devolution revenue deficit. As the recommendation of this report are only for one year, we have refrained from given any State-specific grants but have provided a road-map for sector-specific grants and performance-based incentives that we expect to address in greater detail in the final report". उस पर क्या कार्रवाई हुई? मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि मुझ से पूर्व एक वक्ता ने कहा "जब भारत बना था"- मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि भारत बना नहीं हैं, यह भारत आदिकाल से है और आदिकाल से भारत का नाम इस धरती पर है। उनके लिए मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि उन्हें यह बोलना चाहिए था कि जब भारत में लोकतांत्रित व्यवस्था की स्थापना हुई थी। मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि रिकार्ड से भी इस बात को ठीक किया जाए क्योंकि भारत बनने वाली बात नहीं है।

सभापति महोदय, 15वें वित्त आयोग के Volume-I, Point No. 6, Para- 7.8 में सभी राज्यों को कहा गया था कि अपना State Finance Commission बनाएं और State Finance Commission की जो रिकोमेंडेशन्ज हैं वे explanatory memorandum के साथ विधान सभा में प्रस्तुत की जाए-वह कहां है? वह किसके सामने प्रस्तुत हुई? वित्त आयोग ने सदैव मित्त व्यततताओं पर जोर देने के लिए कहा परंतु वर्तमान सरकार द्वारा मित्रों पर

व्यय करने पर जोर दिया गया। वित्त वर्ष 2026-2027 आने वाला है और माननीय मुख्य मंत्री अगले वित्त वर्ष का बजट प्रस्तुत करेंगे। पिछले बजट की एक लाईन अभी भी मुझे याद है कि Himachal is going through a worst economic phase in the history of Himachal. क्योंकि इनको पहले से ही मालूम था कि ये चीजें बंद होनी है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

18.02.2026/1440/एच.के.-एन.जी./1

डॉ0 जनक राज..... जारी

यह एकाएक लिया गया निर्णय नहीं है। सर्वदलीय बैठक के दौरान भी एक पार्टी के नेता ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने इसे एकाएक बंद कर दिया। यहां पर पूरे हिमाचल के जन प्रतिनिधि, अधिकारी व अन्य सभी लोग बैठे हुए हैं और सभी चैक करें कि क्या यह एकाएक बंद की गई है या यह एक नीतिगत फैसला है? मुख्य मंत्री जी द्वारा हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2027 में आत्मनिर्भर बनाने का दावा किया गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह आर्थिक दृष्टि पर किया गया था या केवल एक राजनैतिक प्रस्तुति थी? जब तक सहायता मिलती रही तब तक सब शांत था और जब अनुशासन की बात आई तो स्वर बदल गए। मेरे पिताजी एक बात कहते हैं और मैं अपनी लोकल बोली में उसे कहना चाहता हूं कि 'बहणा भी कोखा, पुटने भी दाड़ी'। इसका मतलब यह है कि बैठना भी गोद में है और उखाड़नी भी दाड़ी है। सत्तापक्ष ने भी ठान लिया है कि बार-बार केन्द्र सरकार के कामों की आलोचना ही करनी है। हम संघीय ढ़ांचे में रह रहे हैं और इसका सम्मान करते हैं। संघीय ढ़ांचे में किसी भी राज्य का सर्वोच्च पद महामहीम राज्यपाल का होता है। इसी माननीय सदन में दो दिन पहले माननीय राज्यपाल अपने अभिभाषण में आर0डी0जी0 पर लिखे गए सभी बिंदुओं को गैर संविधानिक करार दे चुके हैं, तो आज हम चर्चा किस बात की कर रहे हैं? मैं स्पष्टतौर पर कहना चाहता हूं कि यदि आर0डी0जी0 की मांग न करके हिमाचल प्रदेश की सहायता करने के लिए किसी और मद में मांग करने की जरूरत है तो हम सभी सरकार के साथ

खड़े हैं। मुख्य मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि हम श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में चलेंगे। भई, श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में क्यों चलेंगे? जब प्रदेश की जनता ने आपको नेतृत्व दिया है तो यह आपकी जिम्मेदारी है

18.02.2026/1440/एच.के.-एन.जी./2

श्री जय राम ठाकुर जी ने जो भी प्रदेश के लिए करना होगा, वह उन्होंने पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आज आप श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में जाने की बात क्यों कह रहे हैं? क्या आपने श्री जय राम ठाकुर जी से पूछ कर गारंटियां दी थीं? आपने जो भी अव्यवहारिक घोषणाएं की हैं तो क्या उसमें आपने श्री जय राम ठाकुर जी की सहमति ली थी? सत्तापक्ष के लोग अपनी जिम्मेवारी से भागने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भरता का नगाड़ा किसी दूसरे की पीठ पर बजाने का प्रयास किया गया है और यह सब उसी की पीड़ा है।

सभापति महोदय, मैं नियम-102 के तहत लाए गए प्रस्ताव के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह एक विशुद्ध राजनीतिक प्रस्ताव है। जब इसके अंत में वोटिंग होगी तब हम चाहे हां कहें या न कहें और चाहे पक्ष में बात करें या विपक्ष में करें तो उसका वोटिंग में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। सत्तापक्ष को यदि सच में हिमाचल प्रदेश व इसके विकास की चिंता होती तो आप माननीय सदन में किसी अन्य नियम के तहत प्रस्ताव लाते और उसके तहत केन्द्र सरकार से किसी अन्य मद में सहायता की मांग करते। यहां पर केवल आर0डी0जी0 बहाल होने की बात नहीं है। क्योंकि 16वें वित्तायोग द्वारा जो सिफ़ारिशें दी गई हैं, उन्हें भारत के महामहीम राष्ट्रपति भी नहीं बदल सकते हैं। सत्तापक्ष के लोग कहते हैं कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे और कभी कहते हैं कि हम संघीय ढ़ांचे में रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सत्तापक्ष के लोगों को यदि सही में प्रदेश के लिए मदद चाहिए तो आपको जिस सेगमैंट में मदद चाहिए उसकी बात कीजिए। आप लोग लूज़ कैश की बात

क्यों कर रहे हैं? It is sort of loose cash which is given to अपना बच्चा आपने पढ़ने के लिए भेज दिया।

Chairman : Please wind-up.

18.02.2026/1440/एच.के.-एन.जी./3

डॉ0 जनक राज : सभापति महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित बात करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के ऐसे हालात हैं कि जो ट्राइबल डवलपमैंट प्लान के तहत हमें पिछले वर्षों में 50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष मिलता रहा है, उसको काट कर प्रदेश सरकार ने 15 करोड़ रुपये कर दिया है। प्रदेश सरकार को जब आर0डी0जी0 मिलती थी, तब इन्होंने मेरे चुनाव क्षेत्र के लिए क्या किया जो आज मैं आपके प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हो जाऊं? मेरे विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों में सैंकड़ों पद रिक्त पड़े हुए हैं, आपदा प्रभावितों को मुआवजा नहीं मिला है, सड़कें टूटी हुई हैं, बसों का आवगमन बंद है, सरकारी विभागों में सैंकड़ों पद खाली हैं और कुछ पंचायतों को लाडा के तहत धनराशि मिलती थी लेकिन तीन सालों से वह भी बंद कर दी गई है। लाडा की राशि तो आर0डी0जी0 से लिंक नहीं थी?...(घण्टी)...

Chairman : Please wind-up.

डॉ0 जनक राज : सभापति महोदय, मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं। क्या यह सत्य नहीं है कि आर0डी0जी0 के समानांतर केन्द्र सरकार आज भी हिमाचल प्रदेश को अनेकों मदों में सहायता कर रही है? क्या यह सही नहीं है कि आर0डी0जी0 का उपयोग राजस्व सुधार व वित्तीय अनुशासन के लिए होना चाहिए था? लेकिन राज्य सरकार ने उस अवधि में उस पैसे का क्या किया? जब प्रदेश सरकार स्वयं मानती है कि हम केन्द्र सरकार की सहायता के बिना नहीं चल सकते तो बार-बार केन्द्र सरकार पर असहयोग करने का आरोप क्यों लगाते हैं?

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

18.02.2026/1445/वाई.के./ए.पी./01

नियम-102 पर चर्चा जारी ...डॉ0 जनक राज जारी.....

सभापति महोदय,

खर्चों की आग लगाई खुद ने, धुआं भी खुद उड़ाया,

अब इल्ज़ाम हवाओं पर लगा रहे है कि यह आग हवा ने बढ़ाई।

सभापति महोदय, घर और शासन चलाने के लिए अनुशासन, संतुलन और दूरदर्शिता चाहिए। जब शासन जिद पर अड़ा हो और निर्णयों को आंकड़ों की वास्तविकता के बजाय राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और नारों पर आधारित कर दे तो परिणाम वही होते हैं, जो आज हिमाचल देख रहा है। सभापति महोदय, हिमाचल किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी राजनीतिक दल की जिद की भेंट नहीं चढ़ सकता। यह 75 लाख हिमाचलवासियों के जीवन और हमारी पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। इस समय प्रदेश को टकराव की नहीं, आत्ममंथन की आवश्यकता है। दोषारोपण की नहीं, सुधार की आवश्यकता है। हमें राजनीतिक शोर नहीं, बल्कि स्पष्टता की आवश्यकता है। नेतृत्व की भी परिपक्वता इसी में है कि वह अपनी गलती को माने, उस पर सुधार करे। अन्यथा इतिहास दर्ज करेगा कि आपके पास अवसर थे, संसाधन थे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था परंतु कमी आपकी इच्छा शक्ति और आत्मविश्लेषण की रही। सभापति महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

18.02.2026/1445/वाई.के./ए.पी./02

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री संजय अवस्थी जी।

श्री संजय अवस्थी : धन्यवाद सभापति महोदय, हमारे साथी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा नियम-102 के तहत जो संकल्प लाया गया है, उस पर चर्चा हो रही है और मैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। पीछले कल हमने देखा कि विपक्ष के साथी बाहर कुछ और कहते हैं और सदन में कुछ और कहते हैं। जो बात आर0डी0जी0 पर करनी चाहिए थी जिसके लिए आज जो यह संकल्प लाया गया है इसका उद्देश्य केवल यही था कि आर0डी0जी0 ग्रांट, जिसे बंद करने का प्रस्ताव 16वें वित्त आयोग द्वारा लोकसभा को दिया गया है, उस पर विपक्ष का क्या रुख है और वे किस तरह इस प्रस्ताव को रोकने के लिए अपना सहयोग देंगे। लेकिन अब तक जितने भी वक्ता बोले हैं, उन्होंने इस विषय पर स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि आर0डी0जी0 ग्रांट बंद होनी चाहिए या जारी रहनी चाहिए, इस पर किसी ने भी चर्चा नहीं की। उन्होंने केवल इधर-उधर की बातें की। वर्ष 1952 में जब हिमाचल प्रदेश की प्रथम सरकार बनी, तब प्रदेश को भाग-ग श्रेगी का राज्य बनाया गया था। वर्ष 1956 में डॉ0 परमार जी की अध्यक्षता में जब पुनर्गठन आयोग बना तो उस समय हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 10 लाख से कम थी और कुल आय लगभग 86 लाख रुपए थी। ऐसे राज्य, जिनके अपने संसाधन नहीं थे, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर थे, जैसे पानी और वन। उनका दोहन तो हुआ लेकिन उसका लाभ उन राज्यों को नहीं मिल पाया। लेकिन प्रदेश के हिस्से में कुछ नहीं आया। ऐसे प्रदेश के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत दी जाने वाली Revenue Deficit Grant अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन विपक्ष के साथियों ने अपने संबोधन में कहीं भी एक बार भी नहीं कहा कि हां वे इस विषय पर हमारे साथ हैं और आर0डी0जी0 ग्रांट जारी रहनी चाहिए इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी.....

18/02/2026/1450/AT/YK /01

श्री संजय अवस्थी जारी...

आर0डी0जी0 ग्रांट कंटिन्यू होनी चाहिए और रहनी चाहिए। इसके लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे। इस बात को पूरे प्रदेश की जनता सुन रही है और इनसे अपेक्षित भी था। क्योंकि जो आपका इतिहास रहा है मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि जब स्टेटहुड की बात हो रही थी, तब मैं स्वर्गीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और उस समय के मुख्यमंत्री डॉ0वाई0एस0 परमार जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। उनके प्रयासों से हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला। उस समय उनके साथियों का नारा था कि स्टेटहूड मारो ठुड। ऐसी विचारधारा और ऐसे विचारों से उतप्रोत, यह जो दल, आज इनसे कोई अपेक्षा भी नहीं थी और यही अपेक्षा थी कि ये इसमें अपनी नकारात्मक भूमिका निभाएंगे। कहीं-न-कहीं मैं समझता हूं कि यह इनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। वर्तमान सरकार पर फिजूलखर्ची के आरोप अधिकतर वक्ताओं ने लगाए। हमारे विपक्ष के साथियों ने सिर्फ एक बात पकड़ी और उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो तीन वर्ष का प्रदेश सरकार का कार्यकाल रहा, इसमें फिजूलखर्ची हुई। एक ऐसा प्रदेश जिसे विरासत में लगभग 90,000 करोड़ रुपये का कर्ज मिला और इन तीन वर्षों में दो भयंकर आपदाओं से प्रदेश को जूझना पड़ा। केंद्र से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। बावजूद इसके जो प्रभावित परिवार थे, जिसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र के परिवार भी थे। माननीय मुख्य मंत्री का यह वित्तीय प्रबंधन था, यह उनकी मानवता के प्रति सोच थी कि उन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद एक कुशल फाइनेंस मिनिस्टर की तरह न केवल राहत पैकेज की घोषणा की बल्कि उसे धरातल पर लागू करते हुए लाखों प्रभावित परिवारों को 4,500 करोड़ रुपये की राशि वितरित की और न सिर्फ राशि वितरित की बल्कि जो रिलीफ मैन्युअल था, जिसमें राशि बहुत कम मात्रा में दी जाती थी, उसमें भी बदलाव लाया। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का वित्तीय प्रबंधन और उनकी दूरदर्शी सोच है। इस बात के लिए इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए था और उनका साथ देना चाहिए था। लेकिन आज भी ये इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आज प्रदेश की जनता ने इन्हें तीन वर्ष पूर्व सत्ता से बाहर कर दिया। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उनके समय में जो 54,000 करोड़ रुपये आर0डी0जी0 के रूप में प्राप्त हुए और 16,000 करोड़ रुपये जी0एस0टी0 का जो कंपनसेशन हमारा

18/02/2026/1450/AT/YK /02

अधिकार था वह मिला। कुल मिलाकर 70,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता इन्हें मिली। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह 70,000 करोड़ रुपये की राशि इनको मिली। इन्होंने यह राशि कहां पर खर्च की? उस समय हिमाचल प्रदेश पर 48,000 करोड़ रुपये का कर्ज था। यह चाहते तो 70,000 करोड़ रुपये से न सिर्फ वह कर्ज चुकाते बल्कि जो हमारे कर्मचारी बंधुओं है उनको जो देय 12,000 करोड़ रुपये की राशि जो ये हमें छोड़कर गए, उसका भी भुगतान ये कर सकते थे और डी0ए0 अपने समय में दे सकते थे। लेकिन इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने हजारों करोड़ रुपये की बिल्डिंग बनाई जो आज भी खाली है और जिनका कोई उपयोग नहीं है। सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर आज ढांचे खड़े कर दिए। यह इनका वित्तीय प्रबंधन था। आज यह माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। नालागढ़ क्षेत्र में लगभग 5,000 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि उद्योगपतियों को अत्यंत रियायती दरों पर आवंटित की गई। कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट दी गई और यह प्रदेश हित की बात करते हैं, इनके द्वारा पांच वर्षों तक बिजली शुल्क में पूर्ण छूट दी गई। 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त वेयरहाउस जैसी सुविधाएं प्रदान की गईं। क्या इसे सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन कहा जाता है?

आपका कोई अधिकार नहीं है कि आज वित्तीय प्रबंधन हिमाचल प्रदेश की सरकार पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। इसके विपरीत मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार

के0एस0द्वारा जारी .....

18.02.2026/1455/केएस/एजी/1

श्री संजय अवस्थी जारी ----

का वित्तीय प्रबन्धन आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हमारी सरकार को पिछले तीन वर्षों में केवल 17 हजार करोड़ रुपये आर0डी0जी0 के रूप में प्राप्त हुए। सीमित साधनों के बावजूद सरकार ने कठोर वित्तीय अनुशासन अपनाया और अपने संसाधनों से 26,683

करोड़ रुपये जुटाए और मात्र 23 हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया है। लगभग 26 हजार करोड़ रुपये ब्याज और मूलधन के रूप में वापिस किए गए। जो ऋण आपने लिया था, जिस पर ब्याज लगा था, जो आपकी देनदारी थी, वह हमने 26 हजार करोड़ रुपये के रूप में वापिस की। यह वित्तीय प्रबन्धन माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का है, यह आपको सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, आर0डी0जी0 कोई अनुग्रह नहीं है बल्कि यह संवैधानिक अधिकार है। यह संवैधानिक अधिकार किस तरह से है, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन श्री जगत सिंह नेगी जी ने यहां पर किया और मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन यह ज़रूर कहना चाहूंगा कि जो 17 राज्यों की आर0डी0जी0 बंद की गई है, हिमाचल प्रदेश उस सूची में नहीं होना चाहिए था और उसके कई कारण हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग 70 प्रतिशत वन सम्पदा है और 30 प्रतिशत हमारी भूमि का यहां पर उपयोग हो रहा है। हमारी भौगोलिक परिस्थितियों और जन-भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह गलत फैसला है। उत्तराखंड और पूर्वात्तर राज्यों का गठन भी विशेष परिस्थितियों में हुआ था। यहां तर्क दिया जा रहा है कि 17 राज्यों की आर0डी0जी0 बंद हो चुकी है लेकिन हमें आज हिमाचल प्रदेश के हित की बात करनी है। हिमाचल प्रदेश की आर0डी0जी0 कंटीन्यू होनी चाहिए जिसमें हम आपका साथ चाहते हैं और यही हमारी आपसे अपेक्षा है। जी0एस0टी0 लगने से पहले हिमाचल प्रदेश का टैक्स कलैक्शन 13-14 प्रतिशत था जो अब 8 प्रतिशत रह गया है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की आबादी 75 लाख है इसलिए हमारा टैक्स कलैक्शन कम है। हिमाचल कंज्यूमर स्टेट नहीं है और जो कंज्यूमर स्टेट नहीं होता उसमें जी0एस0टी0 का कोई फायदा नहीं होता। जी0एस0टी0 कंपनसेशन की

18.02.2026/1455/केएस/एजी/2

भागीदारी बहुत कम होती है और यही वजह है कि आज जी0एस0टी0 लगने से हिमाचल प्रदेश का नुकसान हुआ है। आज हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। मैं यह याद भी दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था लेकिन आज तक भी हमें बी0बी0एम0बी0 एरियर के रूप में जो 4500 करोड़ रुपये का हमारा हक है, वह

नहीं मिला है। पिछले पांच वर्षों में इस सम्बन्ध में आपके क्या प्रयास रहे? 4500 करोड़ रुपये जो हिमाचल के लोगों की पूंजी है, जो हिमाचल प्रदेश के विकास के कार्यों में लगनी थी, उसके लिए आपके क्या प्रयास रहे हैं, इसके बारे में भी आप सदन को अवगत करवाएं। हम पंजाब से शानन परियोजना वापिस लेने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने वकीलों की फीस का मामला सदन के समक्ष रखा लेकिन यह बात नहीं कही कि उनको प्रदेश सरकार ने किसलिए अंगेज किया था? आपके द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने उन्हीं एडवोकेट्स के माध्यम से कानूनी लड़ाई जीती और जो हमारी वाइल्ड फ्लावर हॉल की प्रॉपर्टी थी, ना सिर्फ वह वापिस ली बल्कि 200 करोड़ रुपये का एरियर भी उन्हीं वकीलों की वजह से वसूल किया गया जिनका आपने यहां पर नाम लिया।

पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की लागत स्वाभाविक रूप से अधिक होती है और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने हर घर तक बिजली, पानी और सड़क पहुंचाई है। यही कारण है कि आर0डी0जी0 जैसी व्यवस्था की आवश्यकता बनी है। आप 1 लाख करोड़ रुपये की बात कर रहे थे। क्या आज जो यह कर्ज है, यह क्या हमारे तीन वर्ष के कार्यकाल में ही हुआ? इसमें आपकी भी भागीदारी है। यह इसलिए बढ़ा क्योंकि आपके द्वारा रेवन्यू जनरेशन के कोई प्रयास नहीं किए गए। आपके द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बने। यह माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच थी, यह व्यवस्था परिवर्तन था और आज तीन वर्षों में यह इन्होंने सीमित पूंजी में करके दिखाया है। आज विकास कार्यों की गति इन्होंने रुकने नहीं दी है। मानवता का जो चेहरा इन्होंने पूरे विश्व को दिखाया है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

18.02.2026/1500/AV/AG/1

श्री संजय अवस्थी -------- जारी

इन्होंने पद ग्रहण करने के बाद पहले दिन ही जिस प्रकार से सुख आश्रय कोष का गठन करके अनाथ बच्चों को संरक्षण दिया; मैं समझता हूं कि 'ऐसा न भूतो, न भविष्यति'; और हमें यह सीखने तथा एप्रीशिएट करने की जरूरत है। लेकिन आप लोग यहां पर तानें देकर बाते कर रहे हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश अपने सीमित संसाधनों के बावजूद उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। यहां पर मात्र 10 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि होने के बावजूद हम सेब उत्पादन में अग्रणी हैं। हमारी सेब की एक वर्ष में 5,000 करोड़ रुपये की आर्थिकी रहती है। परंतु ट्रेड एग्रीमैंट से आपने हमारे बागवानों व कृषकों के ऊपर कुठाराघात किया है। आपने उनके भविष्य को अंधकारमय बनाने का प्रयास किया है। आपके ट्रेड एग्रीमैंट के अंतर्गत विदेशों से जो सेब या दूसरा कृषि उत्पाद आएगा, उससे हमारे बागवानों और कृषकों को होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आपने अपने सम्बोधन में इस प्रकार की बात कहीं पर नहीं कही है। माननीय सुखविन्दर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में यह प्रदेश की निष्ठावान सरकार है। हमारे मुख्य मंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और इन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी चुनाव पूर्व की गई कमिटमैंट्स को पूरा किया। हमारी सरकार 10 गारंटीज में से 7 गारंटीज पूरी कर चुकी है जिसके अंतर्गत आज कर्मचारियों को ओ0पी0एस0 मिल रही है।

आज प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी को बढ़ाने हेतु कई योजनाएं धरातल पर लाई जा रही हैं। आपने देखा होगा कि प्राकृतिक खेती के अंतर्गत चाहे वह मक्की है या गेहूं है; उसका न्यूनतम मूल्य 40 रुपये और 60 रुपये किया है। इसके अतिरिक्त हल्दी की फसल के लिए सरकार द्वारा हमारे किसानों को 90 रुपये न्यूनतम मूल्य दिया जा रहा है और इस तरह से हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर किसानों को इतना अधिक न्यूनतम मूल्य दिया जा रहा है।

18.02.2026/1500/AV/AG/2

इसके अतिरिक्त अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो आज हिमाचल प्रदेश के होस्पिटल्ज में रोबॉटिक सर्जरी हो रही है। आपके समय में क्या था? माननीय श्री विपिन सिंह परमार, आप अपनी सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। उस समय यहां पर केवल दो नेफ्रोलॉजिस्ट्स हुआ करते थे। लेकिन आपने उनको एन0ओ0सी0 देकर स्टेट से बाहर भेज दिया। उस समय हिमाचल प्रदेश के किसी एक भी स्वास्थ्य संस्थान में नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं बचा था। मैं यह आपके समय की बात बता रहा हूं। आप यहां उनके फायदे के लिए आए थे या प्रदेश की जनता के फायदे के लिए आए थे; यह आपको सोचना है।

हमारे प्रदेश में लगभग 70 प्रतिशत वन भूमि है जहां पर उद्योग स्थापित करना सम्भव नहीं है। जी0एस0टी0 लगने के बाद हमारे राज्य की कर लगाने की स्वतंत्रता भी सीमित हो गई है। हमारे आय के संसाधन सीमित है और आर0डी0जी0 हमारे बजट की लगभग 12.07 प्रतिशत हिस्सा थी। नागालैण्ड के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य है जहां पर आर0डी0जी0 का इतना बड़ा महत्व है। मेरा यह मानना है कि आज हमें अपनी संकुचित सोच को खत्म करके तथा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश हित में सोचना है। यही सोच हमारे प्रदेश को विकसित करेगी। मुख्य मंत्री जी का यह संकल्प है कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2027 तक आर्थिक रूप से सक्षम, आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बने। इसके अतिरिक्त वर्ष 2032 तक हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में आर्थिक दृष्टिकोण से एक अग्रणी राज्य बनकर उभरे। उसके लिए आज आर0डी0जी0 का होना बहुत जरूरी है। इसलिए उसके लिए मैं यह अपेक्षा करता हूं कि नियम-102 के अंतर्गत माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है; आप इस बारे में अपनी सहमति जताएं।

सभापति महोदय, मैं इस पर अपनी सहमति जताते हुए आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री लोकेन्दर कुमार चर्चा में भाग लेंगे।

श्री लोकेन्दर कुमार टी सी द्वारा जारी

18.02.2026/1505/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

श्री लोकेन्दर कुमार : सभापति महोदय, नियम 102 के अंतर्गत आदरणीय उद्योग मंत्री जी द्वारा जो संकल्प लाया गया है, उस पर चर्चा के लिए मैं अपने आप को शामिल करता हूं। सभापति महोदय, पिछले 2 दिनों से यहां लगातार चर्चा हो रही है और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के सभी साथी अपने विचार रख रहे हैं। मैं पहली बार का विधायक हूं और विधायक के रूप में मेरा चौथा वर्ष चल रहा है। जैसा कि पहले वक्ता ने कहा कि हम सभी लोगों को एकजुट होकर इस विषय पर कार्य करना चाहिए। मैं उसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र है और यह बंजार विधान सभा क्षेत्र जिला कुल्लू के अंतर्गत आता है। पिछले 3 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र पर वित्तीय संकट आ रहा है और हमें एक भी रुपये की सहायता नहीं मिली। हमारी विधायक क्षेत्रीय विकास निधि को रोक दिया गया। मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि कितनी विधायक निधि दी जा सकती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आनी अस्पताल का कार्य चल रहा था जिसके लिए 66 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित था। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में 12 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे लेकिन आज की स्थिति में इसका कार्य पूर्णतः बंद है और ठेकेदार कार्य छोड़कर चला गया है। दलाश अस्पताल की भी स्थिति यही है। वहां से भी ठेकेदार कार्य बंद करके चला गया। मुख्य मंत्री जी आनी और बागा-सरांह दौरे पर आए। वहां आई0टी0आई0 की कक्षाएं प्रारंभ कर दी गईं और आई0टी0आई0 भवन का उद्घाटन भी कर दिया गया, लेकिन आज तक वहां बिजली नहीं है और ट्रांसफार्मर भी स्थापित नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यह सरकार कार्य कर रही है, उसमें प्रदेश की 75 लाख की आबादी और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक हम कैसे यह कह पाएंगे कि हमारा पैसा नहीं आ रहा है। जबकि केंद्र से जो धन आया है, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के रूप में, प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में, जल शक्ति योजना के रूप में या अन्य मदों के अंतर्गत आया हो, उसका कोई हिसाब प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है और न ही देने की मंशा है। आज मुझे यहां अपनी बात

रखने का मौका मिला है। हमारे ट्राइबल क्षेत्र के लोगों को पहले वर्ष में ही संपूर्ण राशि मिल जाती है जबकि आज उन लोगों को यह निधि नहीं मिल रही है। हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय जगत सिंह नेगी जी विचारधारा पर चर्चा कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि

18.02.2026/1505/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

हम विपक्ष के लोग उस विचारधारा से संबंध रखते हैं जिसमें नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट का सिद्धांत है। हमारे लिए राष्ट्र पहले है, पार्टी बाद में है और स्वयं सबसे बाद में है। इनके लिए (पक्ष की ओर इशरा करते हुए) मैं पहले है। आप मेरा पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि देख लीजिए। मेरे परिवार का संबंध जनसंघ से रहा है और मेरी मासी ने वर्ष 1977 में चुनाव लड़ा था।

Chairman : Please don't disturb.

श्री लोकेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी सदस्यता सबसे अधिक है। भारत में 20 से ज्यादा राज्यों में हमारी सरकारें हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि वर्ष 2047 तक यह देश विकसित राष्ट्र बने। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुंदर ठाकुर जी के वक्तव्य का भी उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम लोग पहली बार जीतकर आए हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि कुल्लू से आप कैसे जीत कर आए हैं? मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता कि आप पहली बार किन परिस्थितियों में जीते थे। हम चुनाव जीतकर आए हैं, मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया और जनता ने मुझे चुनकर यहां भेजा। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तथा आदरणीय जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं, जिनके नेतृत्व में मैंने चुनाव लड़ा और मैं यहां पहुंचा। आज हम विपक्ष में रहते हुए भी अपना दायित्व निभा रहे हैं।

सभापति महोदय, यहां पर आत्मनिर्भर भारत व हिमाचल की बात की जा रही है। हमारी साथी जब चुनाव में गए तो इन्होंने एक सभा में कहा कि मुझे मालूम है, मुझे अपने हाइड्रो की जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे

मिलेगी, इसका आकलन किया जाएगा। हमने यह बिजली दिल्ली से श्री नरेन्द्र मोदी जी से नहीं लेनी है, हमें मालूम है कि 300 यूनिट फ्री बिजली किस प्रकार उपलब्ध कराई जाएगी लेकिन आज वे अधिकारी कहां है जो कह रहे थे कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे।

एन0एस0 द्वारा जारी ....

18-2-2026/1510/एन0एस0-ए0एस0/1

श्री लोकेन्दर कुमार -----जारी

आज वे अधिकारी कहां हैं जो 1500 रुपये देने वाले थे। यहां पर हमारी सरकार के पैसों के ऊपर बात की जा रही थी। अभी कह रहे थे कि पिछली बार 54,000 करोड़ रुपये कहां खर्च हुए? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमकेयर योजना, सहारा योजना, उज्जवला योजना और बहुत सारी ऐसी योजनाएं दी गईं परन्तु आज सारी-की-सारी कटघरे के अंदर हैं। इन योजनाओं का पैसा नहीं मिला है और यहां पर आर0डी0जी0 की बात कर रहे हैं। यहां पर मेरे एक साथी ने ठीक कहा कि इनको लग रहा है कि पैसा आए और बांटने के लिए अकाउंट में आ जाए। आर0डी0जी0 बंद क्यों हुई हैं और इसमें क्या दिक्कतें रही हैं? इसके बारे में आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने कहा, डॉ0 जनक राज जी ने कहा और आगे हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य इस बात को कहेंगे। 17 प्रदेशों की आर0डी0जी0 बंद हुई है लेकिन दिक्कत सिर्फ हिमाचल में हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी आर0डी0जी0 बंद हो गई है। मैं आनी की बात करना चाहता हूं। वहां पर वर्ष 2023 में बाढ़ आई। समेज और श्रीखंड में भी बाढ़ आई। वहां के लिए 1.77 करोड़ रुपये की सैंक्शन आई कि वहां पर दीवार लगाई जाएगी। दीवार कहां लग रही है जहां दोस्त का घर है। यह अच्छी बात है कि दोस्त के घर को बचाना चाहिए और सेंक्शन किस रूप में आई है flood protection works on the Kurpan Khad (Khudd), right bank at Village Bagipul in District Kullu, Himachal Pradesh. मैं पूछना चाहता हूं कि लेफ्ट बैंक में जो लोग रहते हैं क्या वे आदमी नहीं हैं? केदस में जो लोग रहते हैं क्या वे आदमी नहीं हैं? कोयल, सिंगार, आनी बाजार में जो लोग रहते हैं क्या वे आदमी नहीं हैं? आज वहां पर लोग रो रहे हैं और सिर्फ एक व्यक्ति को

बचाने के लिए 5 करोड़ रुपये का एस्टिमेट दिया गया है। आप बताएं कि यह दीवार सारी जगह में लगेगी या नहीं? इनको आर0डी0जी0 चाहिए ताकि ऐसी मनमानी कर सकें।

यहां पर अभी जोगिन्द्रनगर की बात की जा रही थी और मेरे क्षेत्र में भी महिला मंडलों को पैसे दिए गए। किसी महिला मंडल को 1 लाख रुपये दिए और आपने ये पैसे चुन कर दिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के महिला मंडल आए हैं। यहां पर दूध की बात कही जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आनी में दूध की पेमैंट दो महीने बाद भी नहीं आ रही है। माननीय सुन्दर सिंह ठाकुर जी लोगों को शिवरात्रि के दिन भी पैसे नहीं मिले थे। मैंने यह

18-2-2026/1510/एन0एस0-ए0एस0/2

बात विधायक प्राथमिकता की बैठक में भी कही थी। मुझे मुख्य मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि दस दिनों के अंदर पैसा मिल जाएगा। मेरे क्षेत्र के 36 लोगों की मृत्यु समेज और आनी में बाढ़ के दौरान हुई थी। ग्रीनको कंपनी के द्वारा जिला शिमला के लोगों को पैसा दिया गया। मैंने विधायक प्राथमिकता की बैठक में यह बात बोली। मैंने बागासराहां में भी यह बात कही थी कि उनको भी पैसा देना पड़ेगा। ...(व्यवधान) लोग आज स्वर्ग में हैं परन्तु अभी तक उनको 2 लाख रुपये नहीं मिले। मैं पूछना चाहता हूं कि ये पैसे कब तक मिलेंगे? आज भी समेज के लोग इन पैसों का इंतजार कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा कि हमें नोंक-झोंक नहीं करनी है। मैं माननीय सुन्दर सिंह ठाकुर जी को मुबारिकवाद देना चाहता हूं कि इनको नोंक-झोंक के कारण मंत्री पद मिलने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप आउटर सिराज को अभिन्न अंग मानते हुए उसका ध्यान रखेंगे। आप पर्यटन के क्षेत्र में आउटर सिराज का ध्यान रखेंगे। आप भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे क्षेत्र में जो रोपवे लगना है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि अगर इधर विरोध हो रहा है तो मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊं। आप उसको आनी की ओर भी मोड़ सकते हैं और आनी की ओर भी देख सकते हैं। उसके लिए पूर्व सरकार श्री जय राम ठाकुर जी ने 7करोड़ रुपये दिए हैं। सभापति महोदय, सरकार बार-बार आत्मनिर्भर होने की बात कर रही है कि हम वर्ष 2027 में आत्मनिर्भर होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आज युवा लोग हमें

पूछ रहे हैं कि 58 साल की पक्की नौकरी कहां है? कब हमें पक्की नौकरी मिलेगी लेकिन आज आप लोग चुप हैं।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

18.02.2026/1515/RKS/डीसी-1

श्री लोकेन्दर कुमार जारी

कल यहां श्री बलबीर सिंह वर्मा जी बात कर रहे थे कि गरीबों को 2 लाख शौचालय आबंटित किए गए। वर्ष 2014 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत गरीबों को कई शौचालय प्रदान किए गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये शौचालय किन लोगों को मिले? मैं आरक्षित विधान सभा से संबंध रखता हूं। मुझे याद है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दबे-कुचले लोगों को घर और जमीन देने के नाम पर वोट लिये हैं। वर्ष 2014 के बाद स्वच्छ भारत मिशन के तहत अधिकतर लोगों ने अपने घरों में शौचालय बनाए। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों को घर भी मिल रहे हैं। इस सरकार का चौथा साल चला हुआ है। इन तीन सालों में एक बार वैलफेयर कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें गरीब लोगों को घर व सोलर लाइट्स देने का प्रावधान किया जाता था। आज गरीबों लोगों को सोलर लाइट्स देने का प्रावधान नहीं किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज आनी विधान सभा क्षेत्र का हक कहां है? मेरा विधान सभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारे लोग भी हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में अपना सहयोग देते हैं। हम भी हिमाचल प्रदेश की प्रगति के लिए अग्रसर हैं। लेकिन यहां ऐसा लग रहा है जैसे सत्तापक्ष के लोग ही हिमाचल के हितैषी हैं। ये 'स्टेटहुड, मारो ठुड' की बात करते हैं। 6 अप्रैल, 1980 को भारतीय जनता पाटी अस्तित्व में आई। आपने झूठा प्रोपोगंडा करने व मीडिया में अपना नाम चमकाने के लिए तीन दिन का सत्र बुलाया ताकि आम जनता तक आपकी बात पहुंच जाए। आपको पंचायती राज चुनाव भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से करवाने पड़ रहे हैं। जब मैंने कुछ बातों का अपनी विधान सभा में विरोध किया; मैंने कहा कि 'मित्रो, आम जनता और हम सभी लोगों को पैसे मिलना चाहिए'। लेकिन मुझे इस बात

का खामियाजा तब भुगतना पड़ा जब इसके लिए मुझे 50 लाख रुपये का नोटिस भेजा गया। मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ। मैंने गरीब के हक की बात की थी। मैंने कहा था कि पोखनी में पुल बनना चाहिए। मैंने कोहल, कदेश और आनी के आसपास दीवार लगाने की बात की थी लेकिन मुझे 50 लाख रुपये का नोटिस थमा दिया गया। कांग्रेस के लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि लोकतंत्र का गला कैसे घोंटा जाता है। श्री विपिन सिंह परमार जी बाद में इस पर अपनी बात रखेंगे। मैं आर0डी0जी0 पर जरूर आपका समर्थन करता लेकिन आपने हमारी विधायक क्षेत्रीय विकास निधि रोकी है। हमें अपने

18.02.2026/1515/RKS/डीसी-2

अढ़ाई-तीन सौ लोगों को पैसे देने हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में निरमंड के लोग आज भी टैंटों में रह रहे हैं। ...(व्यवधान) उनके पास जमीने हैं लेकिन उन्हें मकान बनाने के लिए पैसे नहीं मिले हैं। आपने यहां भाषण दिए कि हम उन्हें 5-5 हजार रुपये किराया देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उन्हें कब किराया दिया? ...(व्यवधान) आप मुझे बताएं कि किसको किराया मिला है? यह कैसा नैक्सस चला हुआ है कि कांग्रेस के लोग पटवारियों को कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के किसी व्यक्ति के घर में अगर कोई छोटी-सी दरार पड़ी हो तो उसे गिरा दो। मैं इसका उदाहरण दे सकता हूं लेकिन मैं उस पंचायत का नाम बजट भाषण के उपरांत लूंगा। उन लोगों को 8-8 लाख रुपये मिल गए लेकिन जो लोग सच में गरीब हैं उन्हें अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। आप अपना अतीत देखिए, आपने हमेशा गरीब लोगों को दबाने और कुचलने का काम किया है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल, जय आउटर सिराज।

18.02.2026/1515/RKS/डीसी-3

सभापति : अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री इस चर्चा में भाग लेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : सभापति महोदय, मैं नियम-102 के अंतर्गत सरकारी संकल्प पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आज इस भवन में हिमाचल प्रदेश के भविष्य, इसकी आर्थिक स्थिरता और जो लाखों नागरिकों के अधिकार छिने जा चुके हैं उस विषय पर अपनी बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह केवल पैसे का मुद्दा नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश के आत्मसम्मान, अधिकार और विकास की दिशा निर्धारित करेगा। हिमाचल प्रदेश की अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। यहां ऊंची पहाड़ियां, नदियां, बिखरी हुई आबादी, सीमित संसाधन और सीमिति राजस्व स्रोत हैं। यहां विकास की लागत मैदानी राज्यों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। यहां सड़क बनाने के लिए काफी पैसा खर्च होता है। यहां पर अस्पताल स्थापित करना भी बहुत कठिन काम है। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाना बहुत चुनौतिपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में समय-समय पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

18.02.2026/1520/बी.एस./डी.सी.-1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी...

इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए राजस्व घाटा अनुदान जो हिमाचल प्रदेश के लिए कोई कृपा नहीं थी बल्कि हमारी आवश्यकता और हमारा अधिकार था। लेकिन आज इस अनुदान की समाप्ति ने राज्य की आर्थिक रीड की हड्डी है उसको तोड़ दिया है। मैं इस सदन के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं, हमारे विपक्ष के साथी भी यहां बैठे हैं। मैं उनसे भी यह पूछना चाहता हूं क्या हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक कठिनाइयां समाप्त हो गई है? क्या राज्यों के खर्चे अचानक काम हो गए हैं? क्या हमारे संसाधन और आए में वृद्धि हुई है? क्या राज्य बिना किसी सहायता के अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है? यह गंभीर सवाल हैं। इस बारे में ना तो 16वें वित्तायोग ने सोचा और न ही हमारे विपक्ष के साथियों ने। क्योंकि सभापति महोदय यहां आवाज ही किसी ने नहीं उठाई है। यदि इन सभी प्रश्नों को जिन्हें मैं पूछ रहा हूं, अगर इनका उत्तर नहीं है तो फिर यह अनुदान क्यों बंद किया गया? मेरा सिर्फ यही एक क्वेश्चन है? यह निर्णय हिमाचल

प्रदेश जैसी पहाड़ी राज्यों की जो परिस्थिति है इसको अनदेखा करता है यह केवल वित्तीय नीति नहीं है बल्कि राज्य के विकास की जो गति है उसको भी प्रभावित करता है।

सभापति महोदय, आर0डी0जी0 की समाप्ति से दूरगामी और बड़े गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। इससे जो हमारे डेवलपमेंट वर्क हैं, उन पर बहुत असर पड़ेगा। हमारे गरीब लोग हैं उनकी जो स्कीमें हैं उन पर फर्क पड़ेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव पड़ेगा। राज्य पर कर्ज का बोझ और अधिक आएगा। युवाओं के रोजगार के अवसर हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा और आधारभूत संरचना के लिए विकास में भी बाधा आएगी। क्या गवर्नमेंट आफ इंडिया अपने नागरिकों को यह संदेश देना चाहती है कि जो हमारी कठिनाई हैं उनका कोई मूल्य नहीं हैं? यह जो फैसला लिया गया बेशक 17 राज्यों में लिया गया लेकिन हमारी हिली स्टेट है। इसको विशेष नजर से देखना चाहिए था। अगर हम सरकारी संघवाद का प्रश्न करें तो हम बार-बार बात करते हैं लेकिन सरकारी संघवाद का

18.02.2026/1520/बी.एस./डी.सी.-2

अर्थ केवल नीतियों की घोषणा नहीं है बल्कि राज्यों की वास्तविक जरूरतों का सम्मान करना है। पहाड़ी राज्यों की विशेष परिस्थितियां होती हैं, आय सीमित होती है और व्यय अधिक होता है। इसलिए उन्हें विशेष वित्तीय सहायता देना राष्ट्रीय जिम्मेवारी है। अगर संतुलित करें तो क्षेत्रीय विकास के बिना देश का समग्र विकास संभव ही नहीं है। यदि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य कमजोर होंगे तो राष्ट्र की प्रकृति पर भी प्रभाव अवश्य पड़ेगा। यह केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है सामाजिक न्याय का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, यह विषय केवल वित्तीय घाटे का नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय का भी है। हिमाचल प्रदेश के लोग कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी देश के विकास में हमेशा योगदान देते हैं। हमारे सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। हमारे लोग पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पादन करते हैं। हमारा जिला शिमला ही है केवल मात्र तकरीबन 5,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू पूरे देश को देता है। हमारे नागरिक पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज जब राज्य को समर्थन की आवश्यकता है तो उसे कमजोर करना, मैं इसे न्याय संगत नहीं समझता हूं। राज्य की वित्तीय स्थिति का जो प्रभाव है, जो राजस्व

घाटा अनुदान की समाप्ति से राज्य को अपने खर्चे पूरे करने के लिए अधिक उधार लेना पड़ेगा। इससे भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उस पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं। जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसमें मनरेगा बंद कर दी गई है। उसमें 19/10 का रेशियो लाया गया। मैं पूरा डाटा लेकर आया हूं। पहले जो मनरेगा में मजदूरी और प्रशासनिक खर्च का पैसा 100 प्रतिशत सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और अब अगर हम 10 प्रतिशत दे तो तकरीबन हमें 1250 करोड़ रुपये की ग्रांट आती है। आप समझ लीजिए अगर 10 प्रतिशत प्लस उसके और एक्सपेंसिज हम लोग देते हैं। करीबन 500 से 600 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान मनरेगा में हमारी स्टेट को, हम लोगों को देना पड़ेगा। जिसे देने में हम लोग असमर्थ रहेंगे। मैं समझता हूं इस पर भी विपक्ष के साथी विचार करें। अब स्थिति वित्तीय अनुशासन के लिए भी चुनौती बनेगी और राज्य के विकास की दीर्घकालिक लक्षण को प्रभावित करेगी

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

18.02.2026/1525/DT/HK-1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी...

यह स्थिति वित्तीय अनुशासन के लिए भी चुनौती बनेगी और राज्य के दीर्घकालिक लक्ष्यों को भी प्रभावित करेगी। यह हमारी मांग है और हम हमेशा इसके लिए बोल रहे।र मुख्य मंत्री महोदय भी बार-बार इसके बारे में बोल रहे हैं। श्री जय राम ठाकुर जी विपक्ष के नेता हैं हम इनकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार के पास चलने के लिए तैयार हैं। हम कम-से-कम एकजुट होकर हिमाचल प्रदेश के हित के लिए माननीय प्रधान मंत्री से मिलें, वित्त मंत्री महोदया से मिलें और जो आर0डी0जी0 को बंद न होने दें। यह बात ठीक है कि हमारे विपक्ष के साथियों ने यह बात भी बोली की आर0डी0जी0 देश के अन्य 16 राज्यों की भी बंद की गई है तो हिमाचल कौन सा अनोखा राज्य है जिसकी आर0डी0जी0 बंद की गई है। यह बात हमारे विपक्ष के साथियों ने बोली है परन्तु हिमाचल को इसकी भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर अलग दृष्टि से केंद्र सरकार को देखना चाहिए। यह पक्ष-विपक्ष का मामला नहीं। इसके लिए हम सभी मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लिए एक न्यायपूर्ण और संतुलित नीति बनाई जाए। मैं

इस सदन में के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस निर्णय पर पुनः विचार किया जाए। हिमाचल प्रदेश के लिए वैकल्पिक और पर्याप्त वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जाए और पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष वित्तीय नीति भी बनाई जाए। राज्य की विशिष्ठ भौगोलिक परिस्थित को ध्यान में रखते हुए इस पर हमें आगे काम करना चाहिए। यह केवल हिमाचल प्रदेश का मुद्दा नहीं है बल्कि यह न्यायपूर्ण संघीय व्यवस्था का प्रश्न है। राज्य की जिम्मवारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कल हमारे बड़े भाई समान श्री रणधीर शर्मा जी ने आर0डी0जी0 के संबंध में अपनी बात इस सदन में कही और मैं समझता हूं कि विपक्ष में केवल एक इंसान है जिन्होंने तर्कसंगत बात कही और इस बात को बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। इन्होंने नीति की बात कही। ठीक है, अगर हमारी आर0डी0जी0 बंद हुई तो इस पर हम सभी को मिलकर विचार करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि हम हिमाचल प्रदेश को कैसे आगे ले जाएं और अपने आय के साधनों को हम कैसे बढ़ायें? हम अपने राजस्व संसाधनों को कैसे मजबूत करें? पर्यटन क्षेत्र को कैसे मजबूत करें? जल और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को कैसे बढ़ाया जाए? हम कृषि और बागवानी को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? इन सभी बातों पर हमें विचार करना होगा। कल श्री रणधीर शर्मा जी ने कहा कि लॉटरी को प्रदेश में फिर चलाना चाहिए। हम भी इसी के पक्ष में हैं लेकिन उसमें आप सभी विपक्ष के साथियों का साथ भी बहुत जरूरी है। हमें आने वाले

18.02.2026/1525/DT/HK-2

समय में अपनी आय के साधन बढ़ाने हैं। पूर्व सरकार में भांग की खेती को वैध करने पर बात हुई थी हमारी सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है और उसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही उससे संबंधित बिल इस सदन में 'ले' भी कर दिया जायेगा। हम विपक्ष के अपने साथियों से यह अपेक्षा जरूर करेंगे कि उस पर हमारी मदद जरूर करें-केवल आलोचना ही न करें।

हम भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा-118 के संबंध में एक बिल इस सदन में लेकर आये। उस बिल में कुछ भी गलत नहीं था लेकिन केवल विरोध करने के लिए ही विपक्ष ने उस बिल का विरोध किया। Himachal for Sale की कोई बात उसमें नहीं थी। केवल उसके प्रावधानों में थोड़ा सा बदलाव करने की बात की गई थी ताकि जिस Ease of Business की बात हम करते हैं वह हिमाचल प्रदेश में हो सके। इसलिए मेरा विपक्ष के

साथियों से यही अनुरोध है कि कोई भी बिल वर्तमान सरकार द्वारा इस सदन में लाया जाता है तो पहले उस बिल को समझे और अगर उस बिल से राजस्व लाभ हिमाचल प्रदेश के लोगों को हो रहा है तो उसमें हमारा साथ दें। आत्म निर्भर और एक सुदृढ़ हिमाचल यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश को आत्म निर्भर बनाने की बात वर्तमान सरकार द्वारा की जाती है तो उसका यह अर्थ नहीं है कि राज्यों को उनका उचित समर्थन ही बंद कर दिया जाए। मैं विपक्ष के साथियों से एक बात और पूछना चाहता कि ये लोग इस सदन में स्पष्ट करें कि जो राज्य की आर0डी0जी0 बंद हो रही है उसके पक्ष में हैं या उसका विरोध करते हैं? यह बात जनता समक्ष इनको स्पष्ट कर देनी चाहिए। विपक्ष के साथियों को हां या न में इसका जवाब देना चाहिए। प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी ने भी आर0डी0जी0 पर अपने विचार इस सदन में रखे हैं। उनको अपने भाषण में प्रदेश की जनता को स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए कि जो प्रदेश की आर0डी0जी0 बंद हुई है उसके पक्ष में हैं या उसके खिलाफ खड़े हैं ताकि जनता को क्लीयेरटी आ सके। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता है कि हम सभी दलगत राजनैतिक से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए आगे आएं और इनकी रक्षा करें और इसके हितों के लिए एक जुट हो जाएं। यह समय आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है बल्कि राज्य के भविष्य को सुरक्षित करना है। हमें मिलकर राज्य के अधिकारों के लिए मांग उठानी पड़गी।

18.02.2026/1525/DT/HK-3

सभपति महोदय, वर्ष 2023 और 2025 में प्रदेश में जो आपदा आई उसमें प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने प्रदेश के अन्य संसाधनों से राशि काट कर प्रभावित लोगों की मदद की है। हो सकता है कि इस कार्य में कहीं कमी भी आई हो। हमारे आनी निर्वाचन क्षेत्र के माननीय विधायक इस संबंध में बोल रहे थे, मैं उनसे यही कहूंगा कि हो सकता है कि कुछ स्थानों में राहत पहुंचाने में कुछ कमी राज्य सरकार की ओर से रह गई हो क्योंकि यह इतनी बड़ी व्यवस्था है तो कहीं-न-कहीं कमी रह ही जाती है। इसलिए उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। **अगर आप को लगता है कि किसी का हक उसे नहीं मिला है तो उसके संबंध में आप लिखित तौर पर सरकार को दें जो भी प्रभावित परिवार रह गये होंगे उनको राहत पहुंचा दी जायेगी।**

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

18.02.2026/1530/एच.के.-एन.जी./1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री..... जारी

सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है बल्कि देश की प्राकृतिक धरोहर भी है। हिमाचल प्रदेश देश की सांसकृतिक पहचान और देश के विकास में महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज जब राज्य को समर्थन की आवश्यकता है तब भारत सरकार व विपक्ष के लोगों को इस आवाज को अनसुना नहीं करना चाहिए। मेरा आग्रह है कि हम सब मिल कर एक संकल्प लें कि राज्य के वित्तीय अधिकारों की रक्षा करेंगे, जनता के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे और हिमाचल प्रदेश के सम्मान व विकास को सुनिश्चित करेंगे।

सभापति महोदय, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप न लगाकर इस मुद्दे पर पूरी एकजुटता से काम किया जाएगा। यह बहुत गंभीर मुद्दा है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इफैक्ट करेगा। मेरा आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश के हित के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जय हिन्द, जय हिमाचल।

18.02.2026/1530/एच.के.-एन.जी./2

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री सुरेन्द्र शौरी भाग लेंगे।

श्री सुरेन्द्र शौरी : सभापति महोदय, नियम-102 के तहत माननीय संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) द्वारा प्रस्तुत किए गए सरकारी संकल्प पर पिछले तीन दिनों से चर्चा चल

रही है। इसकी चर्चा में मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मुझे लगता है कि आर0डी0जी0 पर लाया गया सरकारी संकल्प केवल मात्र प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास है। मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर इस प्रकार का नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि केन्द्र सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है। लेकिन मैं इस माननीय सदन में हकीकत बताना चाहता हूं। अभी 16वें वित्तायोग की सिफ़ारिशें आई हैं और इससे पहले वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक 15वें वित्तायोग की सिफ़ारिशों के अनुसार आर0डी0जी0 के तहत देश के सभी 17 राज्यों के लिए पूरे पांच वर्षों में 2,94,514/- करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार से लगभग पूरे देश के सभी 17 राज्यों को हर वर्ष लगभग 60 हज़ार करोड़ रुपये की आर0डी0जी0 केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही थी। इस बार सभी 17 राज्यों के लिए आर0डी0जी0 को बंद कर दिया गया है। यह एक नीतिगत फैसला लिया गया है और इसके बारे में हमारे साथियों ने विस्तार से बात की है। मैं बताना चाहता हूं कि आर0डी0जी0 को बंद करने के बाद केन्द्र सरकार ने अपने बजट में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 4 लाख 20 हज़ार करोड़ रुपये के बजट को 1 लाख 29 हज़ार करोड़ रुपये बढ़ाकर 5 लाख 49 हज़ार करोड़ रुपये कर दिया है।

सभापति महोदय, मैं माननीय सदन के समक्ष यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 191 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं और इनके तहत प्रदेश को केन्द्र सरकार से भरपूर पैसा मिल सकता है। लेकिन प्रदेश सरकार चाहती है कि आर0डी0जी0 के तहत हमारे स्टेट के अकाऊंट में सीधा पैसा आ जाए और उसको हम यहां पर सब्सिडी के रूप में

बांट दें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं केन्द्र सरकार द्वारा आर0डी0जी0 से भी ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश को दिया जाएगा लेकिन उसके लिए प्रदेश सरकार को इन 191 योजनाओं में डी0पी0आर्स0 बनानी पड़ेंगी। प्रदेश की खुशाहली के लिए, प्रदेश को समृद्ध करने के लिए

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

18.02.2026/1535/वाई.के./ए.पी./01

श्री सुरेन्द्र शौरी जारी .....

योजनाओं को प्रभावी ढंग से चलाना आवश्यक है। मेरे पास 191 योजनाओं की सूची है जो Centrally Sponsored Schemes में आती हैं। इनके लिए केंद्र से अधिक बजट मिलेगा और इसकी भरपाई भी होगी। मैं अभी देख रहा था कि वर्ष 2025-26 के लिए आर0डी0जी0 ग्रांट 3200 करोड़ रुपये आई है। हमें यह भी पता है कि यह ग्रांट हमें टेपरिंग में आएगी। अगर आर0डी0जी0 ग्रांट को जारी भी रखा जाता तो हिमाचल प्रदेश के लिए इसके तहत कितनी ग्रांट आती, 3200 करोड़ रुपये की जगह 2800 करोड़ रुपये आते, उसके बाद 2600 करोड़ रुपये आते, उसके बाद 2,000 करोड़ रुपये आते। लेकिन प्रदेश के अंदर इस तरह का शोर मचाया जा रहा है कि 45,000 करोड़ रुपये, 60,000 करोड़ रुपये का घाटा आर0डी0जी0 ग्रांट न मिलने से हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। जबकि हकीकत तो कुछ ओर है। इसलिए सभापति महोदय, वास्तविकता को लागों के समक्ष लाया जाए। आर0डी0जी0 ग्रांट जिस घटनाक्रम से आ रही थी, तो कुल कितना पैसा बना था और उसके बदले में केन्द्र सरकार की Centrally Sponsored Schemes में कितने प्रतिशत की वृद्धि प्रदेश में हुई है। इसके लिए प्रदेश सरकार और अधिकारियों को मेहनत करनी होगी, डी0पी0आर0 बनानी पड़ेगी और पैसा लाना पड़ेगा। सभापति महोदय, इस विषय में एक और बात कही जा रही है कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल सरकार को कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा माहोल बनाया जा रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश के लिए वर्ष 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी तब से हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। इसमें हिमाचल को केवल 10

प्रतिशत का हिस्सा ही देना पड़ता है, जबकि अन्य राज्यों को 40 प्रतिशत देना होता है। सभापति महोदय, इसकी सूची बहुत लंबी है। केंद्र से हिमाचल को लगातार सहायता मिली है। एम्स बिलासपुर के लिए 3000 प्लस करोड़ रुपये दिये गये, अटल टनल के लिए 3200 करोड़ रुपये, पिछले तीन वर्षों में हिमाचल सरकार को 6000 करोड़ रुपए एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 के तहत दिए गए। वर्ष 2023 की आपदा के दौरान 2006 करोड़ रुपये दिये गये। इसके

18.02.2026/1535/वाई.के./ए.पी./02

अतिरिक्त पीछले वर्ष "प्रधानमंत्री आवास योजना" के तहत 18,000 मकान दिये गये। पी0एम0जे0एस0वाई0 के लगातार चार चरणों में 2800 करोड़ से अधिक की योजनाएं दी गई। लगातार केंद्र सरकार द्वारा Centrally Sponsored Schemes के तहत प्रदेश को कितना पैसा दिया गया है। इस वर्ष पी0एम0जे0एस0वाई0 के लिए 3100 करोड़ की स्कीमें प्रदेश को दी गई हैं। इस तरह ही वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो प्रदेश में कांग्रेस सरकार के लिए रेल बजट 27 प्रतिशत ज्यादा दिया गया है। इसी तरह आई0आई0टी0 ऊना और केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 1300 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। पी0जी0आई0 सैटेलाईट सैंटर ऊना के लिए 450 करोड़ की स्वीकृति, धर्मशाला-शिमला फोरलेन के लिए 1000 करोड़ रुपये की स्वीकृति, हिमाचल प्रदेश के लिए 2 लाख शौचालय दिये गये, जल जीवन मिशन के तहत 10 लाख घरों में पानी की सुविधा, दी गई, 4,63,000 परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिये गये, "आयुष्मान योजना" के तहत 11.50 लाख लाभार्थी है और हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पूरा एन0एच0एम0 के बजट पर निर्भर करता है। इस तरह केंद्र सरकार से कितनी ऐसी Centrally Sponsored Schemes हैं जिनके तहत हिमाचल प्रदेश को पैसा आ रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखते हैं। जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हम अपने भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर के खड़ा करेंगे। इसे हकीकत में बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार मेहनत की है। वर्ष 2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 से अधिक हैं और दोगुणा हो गये हैं। मेडिकल कॉलेज वर्ष 2014 से पहले 384 थे और आज 705 से अधिक हैं।

मेडिकल सीटें जो पहले 51000 थी आज एक लाख से ज्यादा हैं। यह जो आंकडे मैं आप सबको बता रहा हूं।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

18/02/2026/1540/AT/YK /01

श्री सुरेन्द्र शौरी जारी...

मैं सूची पढ़ रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि वर्ष 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी एक सपना देखा कि हम वर्ष- 2027 में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे और वर्ष-2032 तक उसे सबसे अमीर राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर देंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने वर्ष-2047 तक विकसित राष्ट्र होगा और उसके लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। पूरे देशों के अंदर कैसे हमारा राष्ट्र वर्ष 2047 तक दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बन सकता है। इसके लिए एक्सपट्र्स की टीम खड़ी की गई है और लगातार इस क्षेत्र में मेहनत की जा रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा कि वर्ष 2027 तक प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, उसके लिए क्या किया गया? मैं इस माननीय सदन से पूछना चाहता हूं कि जब नई सरकार बनी थी, लगभग साढ़े तीन वर्ष पहले तब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हकीकत पता चली तो श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। जब ऐसा मालूम पड़ा तो उसी दिन प्रदेश में एक ऐसी कमेटी का गठन क्यों नहीं किया गया जिसमें एचपी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट, एम0एल0ए0 और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए थे और प्रदेश का रेवेन्यू हम कैसे जनरेट करेंगे, हमारे पास कितनी संभावनाएं हैं, कहां-कहां पोटेंशियल है। हमें लक्ष्य रखना चाहिए था कि एक वर्ष के अंदर अपना रेवेन्यू 10,000 करोड़ रुपये पार करेंगे। उसके लिए हकीकत में काम करना पड़ेगा। जिस तरह मोदी जी केंद्र में काम कर रहे हैं उसी तरह काम करना पड़ेगा। रोजगार कैसे बढ़ेगा, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती।

सभापति महोदय, मैं अपने चुनाव क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। मेरी बंजार विधानसभा में टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल है लेकिन सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। जब

पूरा देश आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो आयुष उत्पादों का एक हब हिमाचल प्रदेश बन सकता है। हमारे जंगलों में अपार जड़ी-बूटियां हैं। उनके लिए प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे? हमारा रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? मैं कहना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में

18/02/2026/1540/AT/YK /02

सात-आठ हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। उनसे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है? सोलर एनर्जी में कितना स्कोप है? हमें वास्तव में एक्सपर्ट टीम बनाकर मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ आर0डी0जी0 पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि हमें सस्ते काम से आर0डी0जी0 आएगी और आत्म निर्भर बनना होता तो उसके लिए वास्तविकता में और धरातल पर काम करना पड़ेगा। आज हालत यह है कि सिर्फ सपने देखे जा रहे हैं।

Chairman: Please wind-up.

श्री सुरेन्द्र शौरीः सभापति महोदय, इस सरकार ने रेवेन्यू जनरेट करने के नाम पर गरीब जनता पर बोझ डाला है। टैक्स बढ़ाए गए, स्टांप ड्यूटी बढ़ाई गई, अस्पताल की पर्ची के पैसे बढ़ाए गए, किराया बढ़ाया गया, बिजली के बिल बढ़ाए गए, न जाने कितने टैक्स लगाकर गरीबों पर आर्थिक बोझ पड़ा है । वास्तव में रेवेन्यू कैसे जनरेट होना चाहिए, उस दिशा में धरातल पर कोई प्रयास नहीं हुआ है। इसलिए आज यदि आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है तो धरातल पर काम करने की जरूरत है। पोटेंशियल खोजने की जरूरत है कि कहां-कहां पोटेंशियल छिपा है। इसलिए वित्तीय अनुशासन लाने की आवश्यकता है। फिजूलखर्ची रोकने की आवश्यकता है, जिसका जिक्र मेरे साथियों ने भी किया है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा कि सरकार ने क्या किया और किस तरह वित्तीय अनियमितताएं बढ़ी हैं। लेकिन सभापति महोदय, इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि विभिन्न विभागों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे रोकना पड़ेगा। वित्तीय अनुशासन लाने की आज

गंभीर आवश्यकता है। हमें माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ेगी। हर अधिकारी की लायबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, ताकि अपने विभाग में न्यूनतम व्यय हो

के0एस0द्वारा जारी .....

18.02.2026/1545/केएस/एजी/1

श्री सुरेन्द्र शौरी जारी ---

और पैसे की बचत होनी चाहिए। जब से हम विधायक बने हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से विभागों के अंदर वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं। कई विभागों में, ऑफिसिज़ के अंदर किस तरह से गाड़ियां दौड़ती हैं। मैं अपने कुल्लू का उदाहरण दूं तो वहां पर एस0पी0 और डी0सी0 ऑफिस में एन0एच0पी0सी0 की दो-दो गाड़ियां हैं उसके बावजूद भी डी0सी0 अपनी गाड़ी ले कर घूमते हैं और जो वहां दूसरी गाड़ियां हैं वह उनके रिश्तेदारों और मित्रों के लिए हैं और उनमें वे ही घूमते रहते हैं। जितने भी विभाग हैं, उनके बाहर हम देखते हैं कि 15-20 साल पुरानी गाड़ियां खड़ी रहती हैं और जिस समय उनकी बोली लगाकर वे बिक जानी चाहिए, उस वक्त नहीं बिकती और कई-कई वर्षों तक खड़ी रहती हैं। उनकी तुरंत ऑक्शन होनी चाहिए। यह बात तो छोटी है लेकिन बहुत गम्भीर है और हर विभाग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब कार्रवाई नहीं होती तो दुख होता है। जब विभागों के अंदर 15 करोड़ के फ्रॉड टैंडर लगते हैं और उन पर कोई एन्क्वायरी नहीं होती तो दुख होता है। साल्वेज के टैंडर के नाम पर हरे पेड़ काटे जाते हैं। तब कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रदेश को बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की ज़रूरत है। जब किसी अधिकारी को टांगा जाएगा तब सारे लाइन हाजिर हो जाएंगे।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री सुरेन्द्र शौरी : सभापति महोदय, आज प्रदेश को सख्त से सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। यह प्रदेश हमारा भी है और हमारा प्रदेश डूब रहा है, हमें भी इसका दुख होता है इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि सिर्फ आर0डी0जी0 पर निर्भर मत रहिए, आत्मनिर्भर बनिए। नई स्कीमों के लिए सैंटर से पैसा लाएं, हम उसमें आपका सहयोग करेंगे। 17 राज्यों में से 16 राज्य तो चिल्ला ही नहीं रहे हैं कि हमारी आर0डी0जी0 बहाल की जाए। यह एक नीतिगत फैसला है जो कि वर्ष 2020 में होना था लेकिन कोरोना की वजह से इसको आगे पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया। यह सभी के ज़हन में था कि यह एक ना एक दिन बंद होनी है लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिछले तीन सालों में कोई कठोर कदम नहीं उठाए गए।

18.02.2026/1545/केएस/एजी/2

आज विकास पूरी तरह से ठप्प है। आर0डी0जी0 का असर तो 1 अप्रैल, 2026 के बाद देखने को मिलेगा लेकिन हमारे चुनाव क्षेत्रों में तो पहले से ही काम बंद पड़े हैं। तीन सालों से कोई काम नहीं हो रहे हैं।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री सुरेन्द्र शौरी : सभापति महोदय, जो काम जहां थे, वहीं रुके पड़े हैं। सड़कों का काम बंद पड़ा है। आई0पी0एच0 की सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। पूरे क्षेत्र के बुरे हाल है। आर0डी0जी0 के इम्पेक्ट के बाद तो भगवान ही जाने कि आगे क्या हालात होंगे।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री सुरेन्द्र शौरी : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

18.02.2026/1455/केएस/एजी/3

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी भाग लेंगे।

श्री सुरेश कुमार : सभापति महोदय, नियम-102 के अंतर्गत जो संकल्प संसदीय कार्य मंत्री जी ले कर आए हैं,मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी को बधाई देना चाहता हूं कि वे इस महत्वपूर्ण बहस को सदन में लाए और पूरे प्रदेश की जनता के लिए इस बहस को खुला किया।

सभापति महोदय, प्रदेश की जिस जनता ने हमें यहां चुनकर भेजा है हम उसके प्रति उत्तरदायी हैं और उसको यह जानने का हक है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निभाते हुए मुख्य मंत्री जी ने इस कार्य को किया और जहां यह प्रदेश के प्रति आपके दायित्व का निर्वहन दर्शाता है वहीं प्रदेश की जनता के प्रति आप अपनी जिम्मेवारी को किस तरीके से निभा रहे हैं, इस बात को भी दर्शाता है। सभापति महोदय, आज हम यहां चर्चा कर रहे हैं, आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

18.02.2026/1550/AV/AG/1

श्री सुरेश कुमार-------- जारी

सभापति महोदय, आज हम यहां पर चर्चा के दौरान एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और यह आरोप-प्रत्यारोप का विषय नहीं है। यह किसी पार्टी विशेष या सरकार विशेष का विषय भी नहीं है। यह विषय हिमाचल प्रदेश और हमारे युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है तथा यह विषय हिमाचल प्रदेश की गाथा लिखने से संबंधित है। हमें इस विषय के प्रति बहुत गम्भीर होने की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्री ने इस विषय को सार्वजनिक किया। उन्होंने प्रदेश की जनता के समक्ष राज्य की वित्तीय स्थिति को रखा है। उसके लिए उन्होंने वित्त विभाग की तरफ से एक प्रेजेंटेशन रखी। प्रदेश की आर्थिक स्थिति के अंतर्गत कि हमारे पास कितना धन है और हमें भविष्य में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है तथा सुधार के तौर पर हमें कौन-कौन से मैयर्ज अपनाने पड़ेंगे; उस प्रेजेंटेशन में इन्होंने ये तमाम बातें रखीं। उसमें विपक्ष को भी बुलाया गया मगर उसमें हमारे विपक्ष के साथी नहीं

आए। आदरणीय श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि हमें चिट्ठी नहीं मिली। जब चिट्ठी सार्वजनिक कर दी गई तो इन्होंने कहा कि हमें वह समय पर नहीं मिली। लेकिन जब उसका समय भी बता दिया तो कहा गया मैं उस दिन बाहर था। मान लिया कि आपकी कोई मजबूरी या आपके ऊपर कोई दबाव रहा होगा जो आप नहीं आए। लेकिन आपको आना चाहिए था। प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में जहां सत्ता पक्ष को जानना जरूरी है वहीं विपक्ष को जानना भी जरूरी है; परंतु आप नहीं आए। उसके उपरांत सरकार की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उस बैठक में सभी पार्टीज को बुलाया गया। उसमें मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को भी बुलाया गया क्योंकि यह प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल है। उसमें सी0पी0आई0(एम), बी0एस0पी और आम आदमी पार्टी को भी बुलाया गया। हालांकि उनका यहां पर कोई भी उम्मीदवार जीतकर नहीं आया लेकिन वोट प्रतिशत में उनका हिस्सा है तथा प्रदेश के लिए उनकी भी कोई जिम्मेवारी बनती है। इसलिए उनको भी इस बैठक में शामिल करना हमारी सरकार ने अपना दायित्व समझा और उनको भी बुलाया गया। वहां विपक्ष के लोग आए तथा उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय श्री राजीव बिन्दल भी आए। इनकी तरफ से विपक्ष के नेता आदरणीय श्री जय राम ठाकुर के साथ 8 सदस्य आए थे। लेकिन जब अंदर चर्चा पर पहलू

8.02.2026/1550/AV/AG/2

रखने आरम्भ हुए तो उस वक्त श्री राजीव बिन्दल जी खड़े होकर कहने लगे कि मैं इसमें भाग नहीं ले सकता। वहां पर श्री जय राम ठाकुर जी थोड़ी देर बैठे रहे। फिर वे इस असमंजस में थे कि मैं उठ जाऊं या बैठा रहूं। अगर चले जाएंगे तो प्रदेश की जनता को जवाब देना पड़ेगा और अगर बैठे रहे तो अपने पार्टी नेतृत्व को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए उस असमंजस में ये वहां पर थोड़ी देर बैठे रहे और फिर कहा कि मैं इस बारे में सदन के अंदर बात करूंगा। उसके बाद इन्होंने वहां से वॉकआउट कर लिया।

उसके पश्चात हमारी सरकार इस विषय को सदन के अंदर नियम-102 के तहत लेकर आई। सदन में यह बहस जारी है और पिछले दो दिनों से आर0डी0जी0 के ऊपर जो विपक्ष का रवैया है; उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोर्ट में कोई केस आया है। हम उस

केस की पैरवी कर रहे हैं और ये लोग उस केस के विरोध में खड़े हैं; यहां इस प्रकार की दलीलें दी जा रही हैं। यहां पर इस प्रकार के आंकड़े लेकर आ रहे हैं। अरे! इसमें दलील की तो जरूरत ही नहीं है। हम मात्र इतना कह रहे हैं कि प्रदेश को जो 50,000 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद केंद्र सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है क्या वह मिलनी चाहिए या नहीं; मात्र इतनी-सी बात है।

टी सी द्वारा जारी

18.02.2026/1555/टी0सी0वी0/ए0एस0-1
श्री सुरेश कुमार.... जारी

लेकिन आज आप आंकड़े लेकर आ रहे हैं। आप तरह-तरह की ग्रांट की सूची लेकर आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को इतना पैसा फ्ंला-फ्ंला स्कीम को मिला है। यह पैसा तो तब से मिल रहा है जब से हिमाचल प्रदेश बना था और हिमाचल प्रदेश को आगे भी मिलता रहेगा। सेंटर स्पोंर्स्ड स्कीम का पैसा कौन रोक सकता है, वह तो मिलना ही है लेकिन यहां चर्चा आर0डी0जी0 के बारे में हो रही है। यहां माननीय सदन में जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं सभी के पास संविधान की प्रति उपलब्ध है और उसकी धारा- 275 (1) को अपने-अपने तरीके से इंटरप्रिएट किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि धारा 275(1) में आर0डी0जी0 शब्द नहीं लिखा है लेकिन उसमें अनुदान घाटा-पूर्ति का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है। अब आप अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं जबकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो राजस्व घाटा है उसकी पूर्ति केंद्र सरकार करेगी। इसके बावजूद भी इसमें दलीलें दी जा रही है। इस संबंध में तरह-तरह की बातें की जा रही हैं। पिछले दिनों हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि यह व्यवस्था 20 वर्ष पहले ही बंद हो जानी थी और इस संबंध में चिट्ठी भी आ चुकी थी। यदि चिट्ठी 20 वर्ष पहले आ चुकी थी तो उस समय तो उनके पिताजी मुख्य मंत्री थे। उन्हें उस चिट्ठी के बारे में उन्हें बता देते और वे उसके अनुसार प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाते, खर्चों को कम करते या कोई ऐसी योजना लेकर आते जिससे हिमाचल प्रदेश की आमदनी बढ़ती। उन्होंने उस समय इस विषय को क्यों नहीं बताया? अब कहा जा रहा है कि दिल्ली चलो, हम फार्मूला बता देंगे।

फार्मूला हमें भी आता है लेकिन इस समय मुख्य प्रश्न यह है कि प्रदेश हित में जो आर0डी0जी0 मिलती थी, आप उसके पक्ष में हैं या नहीं। आज इसी विषय पर चर्चा हो रही है। मेरे एक साथी ने कहा कि यह व्यवस्था वर्ष 2020 में खत्म हो गई थी लेकिन इसलिए जारी रही क्योंकि कोरोना आ गया था। यदि वर्ष 2020 में यह समाप्त हो गई थी और उस समय आपकी सरकार थी तो आप यह बता दीजिए कि आपने उस अवधि में कौन-कौन से सुधार किए। आपने कौन-कौन से खर्च कम किए और आय बढ़ाने के कौन-कौन से स्रोत विकसित किए?

आदरणीय जयराम ठाकुर जी को 54 हजार करोड़ रुपये प्राप्त हुए, यह बात सार्वजनिक रूप से कही जा रही है। इसके अतिरिक्त 16000 करोड़ रुपये जी0एस0टी0 कंपनसेशन के रूप में प्राप्त हुए अर्थात कुल मिलाकर लगभग 70000 करोड़ रुपये प्राप्त

18.02.2026/1555/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

हुए। उस समय आपकी डबल इंजन की सरकार थी, यहां भी आपकी सरकार थी और केंद्र में भी आपकी सरकार थी। आर0डी0जी0 भी मिली, जी0एस0टी0 कंपनसेशन भी मिला और ऋण भी लिया गया। जब आपको यह ज्ञात था कि टेपरिंग हो रही है और भविष्य में आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है तब आपको उसी समय आवश्यक कदम उठाने चाहिए थे।आप बताइए कि आपने कौन से खर्च कम किए, आय बढ़ाने के लिए कौन से प्रयास किए? पिछली सरकार से आपको लगभग 48000 करोड़ रुपये का कर्ज प्राप्त हुआ था। यदि आपने उससे मूलधन को वापस करते तो उससे प्रदेश पर ब्याज का बोझ कम होता। यदि उस समय यह सभी कदम उठाए जाते तो आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती थी। माननीय सदस्यों द्वारा यहां कहा गया कि हमें अधिक धन मिला तो यह हमारा सौभाग्य था यानी यदि ज्यादा धनराशि मिली तो क्या इनको ज्यादा ऐश करने की गारंटी मिल गई थी। यदि आपको अधिक धन मिला था और यह भी ज्ञात था कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति प्रभावित होने वाली है तो आपको ऐसे कार्य करने चाहिए थे जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरती और खर्चों में कमी आती लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इस स्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं और इस बहस में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है मानो पिछले 3 वर्षों में ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हुई है।

एन0एस0 द्वारा जारी ....

18-2-2026/1600/एन0एस0-ए0एस0/1

श्री सुरेश कुमार-----जारी

इस प्रदेश के अंदर हमारी सरकार 3 वर्ष पहले आई है। यहां पर आपकी भी सरकारें रहीं और हमारी भी सरकारें रही हैं तो क्या ये उनकी जिम्मेवारी नहीं थी? क्या यह सुक्खु सरकार की ही जिम्मेवारी है? क्या ये सब कुछ हमने किया है? आज इसको इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं और ऐसा नेरेटिव बनाया जा रहा है लेकिन प्रदेश की जनता देख रही है। आज यहां पर आंकड़े पढ़े जा रहे हैं। पिछले दिनों माननीय जय राम ठाकुर जी ने भी कहा कि जिस समय माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उस समय इतनी ग्रांट मिली। उसके बाद दूसरी सरकार को इतना मिला। मैं कहना चाहता हूं कि यह तो अनुदान घाटा है और यह उसी गैप को पूरा करने के लिए मिलेगा, यह कभी कम तो कभी ज्यादा मिलेगा। आज जैसे हम और आप इन आंकड़ों को इस माननीय सदन के अंदर पढ़ रहे हैं तो आज से 50 वर्षों के बाद जब विधान सभा सत्र चल रहा होगा तो उस समय भी ऐसे ही आंकड़ें पढ़े जाएंगे और लोग सोचेंगे कि आर0डी0जी0 जब बंद हो रही थी तो उस समय सरकार व विपक्ष का क्या रोल था। ये सारी बातें उस वक्त पढ़ी जाएंगी। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।

सभापति महोदय, आर0डी0जी0 17 राज्यों की बंद हुई है लेकिन सब राज्यों की वित्तीय स्थिति अपनी-अपनी है। हम उनके साथ अपने आपको कम्पेयर नहीं कर सकते हैं। 17 राज्यों की परिस्थिति अलग-अलग है। हिमाचल प्रदेश का बजट 12.7 प्रतिशत आर0डी0जी0 के ऊपर निर्भर करता है। आप कर्नाटक की बात करते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि कर्नाटक का शेयर 0.7 प्रतिशत है। फिर हम कर्नाटक को हिमाचल से कैसे कम्पेयर कर सकते हैं? उनके पास अपने साधन हैं, मिनरल्ज हैं और उनको ये सब मैटर नहीं करता है लेकिन हिमाचल जैसे छोटे व पहाड़ी राज्य को ये सब मैटर करता है। हमारा सारा काम ही इस ग्रांट से चलता है। हमारे पास आय के और साधन नहीं हैं। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में इनकम के क्या साधन हैं? हमारे पास जंगल और पानी है। जंगल को हम काट नहीं सकते और हमारे पानी पर जो हाइड्रो पॉवर प्रोजैक्टस बने हैं उन पर भी हमारा

अधिकार नहीं है लेकिन उन्हें हमारी आमदनी का साधन माना जा सकता है। उसके लिए भी पॉलिसी बनी है। हिमाचल प्रदेश को 12 प्रतिशत बिजली मिलेगी यानी एक प्रोजैक्ट लग गया उससे 12 प्रतिशत बिजली हम लेते रहेंगे। अगर 8 वर्षों में कोई प्रोजैक्ट फ्री हो जाता है तो वह प्रोफिट कमाना शुरू कर देता है। ऐसा

18-2-2026/1600/एन0एस0-ए0एस0/2

करते-करते एस0जे0वी0एन0एल0 जैसी कंपनियां हमारे पानी का यूज करके 90,000 करोड़ रुपये का टर्नओवर लेकर बैठी हैं और हमारे प्रदेश का बजट केवल 58,000 करोड़ रुपये का है। हम उस पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक पहल शुरू की है। अब 12:18: 40 का फॉर्मूला है और हमें उसी हिसाब से हाइड्रो पॉवर प्रोजैक्टस में अपनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आदरणीय सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी जब मुख्य मंत्री बने तब उन्होंने कहा कि प्रदेश के हालात अच्छे नहीं हैं। हालांकि, जब हमारी मीटिंग हुई तो कहा कि सार्वजनिक तौर पर हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि प्रदेश के लोग सोचेंगे कि पता नहीं कैसे हालात हैं। उन्होंने कहा कि श्रीलंका की तरह हालात हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए ये उनकी चिंता थी और वे सरकार, विपक्ष और प्रदेश की जनता को भी अगाह करना चाहते थे कि हालात अच्छे नहीं हैं। ये इन्होंने उस वक्त कहा जब ये मुख्य मंत्री बने। उस वक्त तो यह उनकी जिम्मेवारी नहीं थी। उसके बाद इन्होंने इसमें सुधार आरम्भ किए। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने अपने आर्थिक संसाधनों को जुटाने का प्रयास नहीं किया। हमारी सरकार ने ऐसे प्रयास किए हैं और कर रही है जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरे।

सभापति महोदय, मैंने यहां पर 12: 18: 40 फॉर्मूले की बात की है कि बिजली के प्रोजैक्टों में प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़े और इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी तथा इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। हमने बी0बी0एम0बी0 में अपना हिस्सा मांगा है और इसके लिए केस कोर्ट में चला है

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

18.02.2026/1605/RKS/डीसी-1

श्री सुरेश कुमार ... जारी

लेकिन उसमें भी अड़चनें डाली जा रही हैं। अब यह मसला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचारधीन है। हमें बहुत जल्द इस केस में भी सफलता मिलेगी और प्रदेश की आमदन में और बढ़ोतरी होगी। हमने पानी पर सैस लगाया। आज उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों ने भी वाटर सैस लगाया है किंतु जब हिमाचल प्रदेश ने यह कदम उठाया तो केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में इस पर स्टे ले लिया गया। जो यहां पानी बह रहा है उससे बिजली उत्पादन हो रहा है और यह पानी दूसरे राज्यों को भी जा रहा है। वे राज्य इस पानी से राजस्व अर्जित कर रहे हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश को इससे कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। हम बहुत जल्द इस केस को जीतने वाले हैं और इससे हमारे प्रदेश की आर्थिकी और सुदृढ़ होगी। इसी प्रकार, हमने जे0एस0डब्ल्यू0 से संबंधित विषय में भी सफलता प्राप्त की है। JSW मामले में प्रदेश को 401 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है तथा भविष्य में प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये की संभावित आय होने वाली है। माननीय सदस्यों ने कहा कि हमने एडवोकेट जनरल की बड़ी संख्या नियुक्त कर दी है। एडवोकेट जनरल पूर्व में भी नियुक्त होते रहे हैं। अंतर केवल इतना है कि हमारी सरकार ने उन्हें प्रभावी ढंग से कार्य में लगाया है। आज हम इन एडवोकेट जनरल की बदौलत वाइल्ड फ्लावर हॉल की प्रापर्टी को सरकारी कब्जें में लेने में सफल हुए हैं। इस प्रोपर्टी से हमें सालाना 200 करोड़ रुपये की इंकम होने वाली है। हमारी सरकार ने यह कदम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उठाया है। यहां मुफ्त सुविधाएं बांटने की बात कही गई। हमने कहा कि जो हमारे टैक्स पेयर्ज, मंत्री या विधायक हैं उन्हें बिजली सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़नी चाहिए। इस पहल का फायदा यह हुआ कि पहली बार बिजली विभाग फायदे में आया। हमारी सरकार ने यह काम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया है। हम आत्मनिर्भर हिमाचल की बात कर रहे हैं लेकिन आप इस बात का उपहास उड़ा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश वर्ष 2027 में आत्मनिर्भर और वर्ष 2023 में देश का समृद्ध राज्य बनेगा और इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। हमने जो सपना देखा है हम उस सपने को पूरा करेंगे लेकिन आप इस सपने का भी मजाक उड़ा रहे हैं।

इससे पता लगता है कि आप हिमाचल प्रदेश के हित के लिए कितने गंभीर हैं। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आया था। भारतीय जनता पाटी द्वारा पूर्व में हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया गया था। ...(व्यवधान) लेकिन प्रदेश की जनता

18.02.2026/1605/RKS/डीसी-2

ने इस ओप्रेशन को फेल कर दिया। जनता ने दोबारा हमें जनादेश दिया और हम आज उसी मेजोरिटी के साथ यहां बैठे हैं। जब आपका ओप्रेशन लोटस सफल नहीं हुआ तो हमारी सरकार को दूसरे तरीके से कमजोर करने का प्रयास आरंभ हुआ। हमारी आर0डी0जी0 को खत्म करने की कोशिश की गई ताकि हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पर कमजोर किया जाए। यहां पर ऐसा माहौल बनाया जाए ताकी वर्तमान सरकार को अस्थिर किया जाए। आपके पास उस वक्त पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा था यदि उस समय आपने अच्छे सुधार किए होते तो आज हम आत्मनिर्भर बने होते। हमारे अपने संसाधन होते और आज जिस बहस के लिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं शायद उसकी जरूरत नहीं होती। आपको जो पैसा मिला, आपने उसका दुरुपयोग किया। आपने अनावश्यक संस्थान खोलकर प्रदेश के ऊपर आर्थिक बोझ डाला। आपने कई योजनाएं ऐसी लाई जिनसे सिर्फ आपके मित्रों को ही फायदा पहुंचा।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

18.02.2026/1610/बी.एस./डी.सी.-1

श्री सुरेश कुमार जारी...

यहां पर ऐसी योजनाएं लेकर आए जिससे आपके मित्रों को फायदा हो और उस सारे पैसे की बर्बादी आपने की।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार : वह इसलिए, क्योंकि आप मिशन रिपीट करना चाहते थे। लेकिन उससे मिशन रिपीट नहीं हुआ। अपने प्रदेश का जो आर्थिक खजाना था उसको खाली किया गया और प्रदेश की जनता ने आपके मिशन रिपीट को मिशन डिफीट में बदल दिया।

यह कार्य आपने किया। आज हिमाचल प्रदेश की यह जरूरत है और प्रदेश के लोगों की भी यह जरूरत है और आज वे देख रहे हैं कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह जो बहस चली यह केवल चार दिवारी के अंदर ही है। इस बहस को प्रदेश की जनता देख रही है और प्रदेश की जनता यह भी देश रही है कि कौन प्रदेश के हितों के साथ खड़ा है और कौन हितों के विरोध में बात कर रहा है, कौन हिमाचल के साथ खड़ा है और कौन हिमाचल का विरोध कर रहा है। इन सारी बातों को प्रदेश की जनता देख रही है। आज जो आर0डी0जी0 का मुद्दा है हम सबको मिलकर जो हिमाचल प्रदेश से प्यार करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश की जनता से प्यार करते हैं उन सब को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और अपने अधिकार के लिए हमें केंद्र के पास जाना चाहिए। अभी जो बजट है वह पास नहीं हुआ है अभी उस बजट में गुंजाइश है तो हमें अपनी बात रखनी चाहिए ताकि प्रदेश को प्रदेश का हिस्सा मिल सके।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आनी बात समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार : और वह हमारे प्रदेश के लोगों के ऊपर खर्च हो। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विपिन सिंह परमार : सभापति महोदय, आपने मुझे आर0डी0जी0 के ऊपर अपना पक्ष रखने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। जो इस माननीय सदन में आर0डी0जी0 पर चर्चा हो रही है यह परसों से हो रही है और जब यह संकल्प नियम -102 के तहत माननीय सदन में लाया गया तो ऐसा लग रहा था कि इस पर विस्तार से चर्चा होगी। जिन्हों ने एफ0आर0एम0 और एफ0आर0बी0एम0 तथा कैग की रिपोर्ट ने हिमाचल

प्रदेश की सरकार को अलर्ट किया है उसका भी चर्चा में उल्लेख किया जाएगा। परंतु चर्चा की दिशा कहीं और ही मोड़ दी गई है। यानी संकल्प आत्म मंथन का नजर नहीं आ रहा है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है इसके द्वारा सत्ता पक्ष की ओर एक राजनीतिक दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है ऐसा यहां पर प्रतीत हो रहा है और यह संकल्प पूरी तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ अलग-अलग तथ्यों के साथ प्रस्तुत

किया गया है परंतु अगर इस संकल्प की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार की जो वित्तीय विफलताएं हैं, यह जो आर0डी0जी0 है यह 31 मार्च, 2026 को समाप्त होगी। परंतु हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट पिछले दो सालों से है। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट का जो पैमाना है वह किसी भी प्रदेश सरकार की जो ट्रेजरी होती है और वह वर्तमन में पूरी तरह से बंद है। उसका तो यहां पर हवाला ही नहीं दिया जा रहा है और न ही जिक्र ही नहीं हो रहा है। यानी की 10,000 रुपये से ज्यादा उस ट्रेजरी से राशि नहीं निकाली जा सकती।

सभापति महोदय, सरकार तो उस समय जागी जब 1 फरवरी, 2026 को आदरणीय सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया उसके बाद ये जागे और फिर अलग प्रकार के वक्तव्य आना शुरू हो गए। सोशल मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया में आना शुरू हो गए और फिर जिक्र किया गया कि यह तो हमारा संवैधानिक, कांस्टीट्यूशनल राइट है। अब जो संकल्प यहां पर प्रस्तुत किया गया है उस संकल्प में तो आर्टिकल-275 और आर्टिकल-280 का जिक्र किया है, आर्टिकल- 275 में तो ग्रांट-इन-एड का जिक्र हुआ है और आर्टिकल-280 में फाइनेंस कमीशन का जिक्र होता है। कहा जा रहा है कि यह सौगात नहीं हमारा अधिकार है, पक्ष भी रखा जा रहा है और केन्द्र सरकार को डराया और धमकाया भी जा रहा है।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

18.02.2026/1615/DT/HK-1

श्री विपिन सिंह परमार जारी...

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं एक योद्धा के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा हूं। आप अपनी भूमिका निभाईये परंतु जो आपके रत्न है और वे जिस तरह से आपके पक्ष में बातें रख रहे हैं वे रत्न आपके शुभचिंतक नहीं हैं। यह कहा जा रहा है कि वित्त आयोग केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन में शब्दों का प्रयोग सोच-समझ करना चाहिए। सत्ता पक्ष के साथी कह रहे हैं कि आर0डी0जी0 हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा लग रहा है कि इनके रत्न जैसे किसी जनसभा में खड़े होकर लोगों के मनों तक पहुंचने के लिए अपनी बातें रख रहे हों। मैं यही कहना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से गलत बात है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि हिमाचल

प्रदेश में ब्रेक डाउन तो हो गया है। 10000 करोड़ रुपये के जो यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट हैं उनका नोटिस भी केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। वे लोग जरूर फंसेंगे जिनके दफ्तरों से केंद्रीय पोषित योजनाओं के गलत यू0सीज0 बनाकर दिए गये हैं। यह सबसे बड़ा अपराध है। जब वे फाइल्स खुलेंगी तो जिन लोगों के द्वारा वे फाइल्स आगे सरकाई गई हैं उनका क्या हाल होगा? इसलिए हमें बताएं कि वह पैसा कहां लगाया गया? केंद्रीय पोषित योजनाओं की राशि वेतन की अदायगी में व्यय की गई, पेंशन में व्यय किया गया-जिसका रोना-धोना आज आर0डी0जी0 के रूप में इस सदन में किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमारे हक को छीन लिया गया है। केंद्रीय पोषित योजना के अंतर्गत बिलासपुर में रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो 500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आया उस पैसे को भी प्रदेश सरकार के अन्यत्र ही व्यय किया गया। जब केंद्र सरकार को इस बात का पता चला तो उसके द्वारा सख्ती दिखाई गई। क्योंकि पैसा किसी योजना के लिए दिया गया लेकिन वह पैसा प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्ज की पेंशन देने के लिए लगाया जा रहा है। अगर यह ब्रेक-डाउन नहीं है तो क्या है? क्या मुख्य मंत्री जी उनके जो मंत्री मंडल के साथी हैं क्या उन्होंने पहले कभी मुख्य मंत्री जी को इस संबंध कभी नहीं जगाया? ये लोग केंद्र की योजनाओं और संस्थाओं के विरोध में खुलकर बोलते हैं। कभी कठपुतली शब्द का प्रयोग करते हैं- कभी कहते हैं कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को कोई खैरात नहीं दे रही।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

18.02.2026/1615/DT/HK-2

क्या एफ0आर0बी0एम0 केंद्र सरकार की कोई कठपुतली है? मुख्य मंत्री महोदय आपको इस संदर्भ में पहले जगाया गया था। आर0डी0जी0 की जो व्यवस्था है यह शर्त तदर्थ व्यवस्था है। यह किसी राज्य का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यह एक गेप को पूरा करने की व्यवस्था है। एफ0आर0बी0एम0 ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी थी लेकिन आपने और आपके अधिकारियों ने उस पर गौर नहीं किया और क्या कहा कि राजस्व घाटा शून्य किया जाए। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में ब्रेक डाउन है। राजस्व घाटा शून्य नहीं हुआ और राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत के भीतर रहना चाहिए उसके ऊपर कोई प्रयास नहीं हुआ। राज्य कर्जे की निर्भरता से बाहर निकलना चाहिए उसपर भी प्रयास नहीं हुआ। एफ0आर0बी0एम0 ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी थी

इसलिए शायद आपने ट्रेजरी बंद कर दी। उन्होंने राजस्व घाटा वर्ष 2023 में 5559 करोड़, रेवन्यू डेफिसिट 2.68 प्रतिशत और

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

18.02.2026/1620/एच.के.-एन.जी./1

श्री विपिन सिंह परमार..... जारी

फिसिकल डेफेसिट 5.43 प्रतिशत और डेब्ट की रेशो 40 प्रतिशत से अधिक थी। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप लोग कहां पर सोये हुए थे? सरकार को सी0ए0जी0 की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है। वर्ष 2022-23 में वर्तमान सरकार सत्ता में आ चुकी थी और 9,377/- करोड़ रुपये आर0डी0जी0 मिलने के बाद भी राजस्व घाटा 6,336/- करोड़ रुपये था।...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी, मैं आपके आंकड़ों का ही जिक्र कर रहा हूं। जब आप उत्तर देंगे तब बोल लेना।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023-24 में 8,058/- करोड़ रुपये मिले थे और राजस्व घाटा 5,559/- करोड़ रुपये था। सी0ए0जी0 की चेतावनी को मैं माननीय सदन में रखना चाहता हूं।...(व्यवधान) सत्तापक्ष के लोग बार-बार केन्द्र सरकार की ओर इशारा कर रहे हैं परंतु केन्द्र सरकार की योजनाओं से जो पैसा मिल रहा है वह बहुत ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, सी0ए0जी0 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केन्द्र सरकार से आए हुए पैसे से किए हुए कामों का प्रदेश सरकार ठीक समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दे रही है। प्रदेश सरकार ने जल्दबाजी में निर्णय लिया और 10 हज़ार के झूठे यू0सी0 दिए गए। प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से मिले 31.85 करोड़ रुपयों का उपयोग ही नहीं किया है और यह ऑन रिकॉर्ड है। इसके अलावा शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों में बड़े-बड़े दावे ठोके जा रहे हैं। यहां पर मेरा भी नाम लिया गया कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो क्या किया। मैं उन विषयों को बाद में रखुंगा लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में 510

करोड़ रुपये कम खर्च हुए हैं। इसी प्रकार कृषि विभाग में केन्द्र पोषित योजनाओं का 216 करोड़ रुपये कम खर्च हुए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 150 करोड़ रुपये भी खर्च नहीं हो सके। प्रदेश सरकार ने 2990 उपयोगिता प्रमाण पत्र भी अभी तक नहीं दिए हैं। यह प्रदेश सरकार का हाल है

18.02.2026/1620/एच.के.-एन.जी./2

एफ0आर0बी0एम0 और वित्त से संबंधित योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार को कह रहे हैं कि ये तो कटपुतली हैं।...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी, ये विषय आर0डी0जी0 से ही जुड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक सेहत को ठीक करने के लिए केन्द्र सरकार चिंतित है लेकिन प्रदेश सरकार को चिंता नहीं है। आर0डी0जी0 31 मार्च, 2026 को समाप्त हो जाएगी। मुख्य मंत्री जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आप हिमाचल प्रदेश का दौरा करते हैं और आपने श्री जय राम ठाकुर जी के समय में शुरू किए संस्थानों को क्यों बंद किया? जब आपकी हकूमत आई तो आपने अपनी इच्छा व सुविधा के अनुसार अनेक संस्थान खोल दिए। मुख्य मंत्री जी, आपने हिमाचल प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं को फंड करना बंद कर दिया है। आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने कहा है कि हिम केयर योजना के तहत लगभग 700 करोड़ रुपये की देनदाारियां लम्बित हैं। हालही में मुझे हिमाचल प्रदेश के एक व्यक्ति का टेलिफोन आया और वह फैक्टर-4 हीमोफिलिया बीमारी से ग्रसित है। मैंने स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारी से फोन पर बात की और उनका मुझे फोन वापिस नहीं आया। माननीय सदस्य, श्री राकेश कालिया ने ठीक कहा है कि

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

18.02.2026/1625/वाई.के./ए.पी./01

श्री विपिन सिंह परमार जारी .....

अध्यक्ष महोदय, हम अधिकारियों को टेलीफोन करते हैं पर पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। वह बच्चा जो पीड़ा में है, उसके लिए 14,000 रुपये का इंजेक्शन विभाग उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोविड के दौरान माननीय श्री बिक्रम ठाकुर जी के विभाग ने मुख्य मंत्री जी को एक योजना शुरू करने को कहा कि "मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना" शुरू की जाए। हिमाचल प्रदेश में गरीब बच्चियों की शादी के लिए "मुख्यमंत्री कन्यादान योजना" शुरू की जाए। परंतु आज ये सारी योजनाएं बंद पड़ी हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह वित्तीय कुप्रबंधन है और इसी वित्तीय कुप्रबंधन के कारण यहां पर शोर मचाया जा रहा है और शोर भी उस तरीके से मचाया जा रहा है कि इसके लिए विपक्ष जिम्मेवार है। आप हिमाचल प्रदेश के मुखिया हैं, इस व्यवस्था को ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। यदि संकल्प लिया है तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की भी बात करनी चाहिए। तीन साल बीत गए लेकिन नदियों और खड्डों की हालत देखिए। इसके लिए आप कोई नीति नहीं बना रहे हैं। मैंने होली-उतराला का जिक्र भी किया था, उसे नेशनल हाईवे और सी0आर0एफ0 में शामिल करिये। होटल से हटकर के ग्रीन पैच और एडवेंचर टूरिज्म स्कीम इत्यादि, इनकी हिमाचल में अनगिनत संभावनाएं हैं। सुखे हुए पेड़ और जंगलों में नदियों के किनारे बहते हुए आए है, वे करोड़ों रुपये के हैं। उसके ऊपर सरकार की कोई योजना नहीं है। देखो आप लेना तो चाहते है लेकिन कर्ण बनकर के कह रहे हैं कि मैं चक्रव्यूह से निकलकर के शोर्यवान के रूप में यह साबित करूंगा। याद रखना जो आपके सलाहकार है, वे सरकार हितैषी नहीं हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका समय हो रहा है, आप बजट स्पीच न बोले।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, यह एफ0आर0बी0एम0 और कैग से जुड़ा मामला है और बहुत बड़ा बर्निंग इश्यू है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। मैं एक ही बात जानना चाहता हूं कि एडवाइजर का क्या काम है? सेवानिवृत अधिकारी कोई ही बता दीजिए जिन्होंने हिमाचल

प्रदेश के हित में दिल्ली जाकर के किसी भी विभाग में हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखा हो। रिटायर अधिकारी पेंशन भी ले रहे हैं और कोठियां और गाड़ियां भी उन्हें मिली हैं। लेकिन

18.02.2026/1625/वाई.के./ए.पी./02

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इतने अधिक एडवाइजर और चेयरमैन लगा दिये। अगर हमने लगाए थे तो उस समय हम आर्थिक संकट में नहीं थे। आपकी सरकार आज आर्थिक संकट में है। आपको तो अभी पेंशन और तनख्वाह देने के लाले पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम विधायकों को विधायक निधि मिलती है, उसके भी लाले पड़े हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं विचार-विमर्श करूंगा। मैं इसलिए यह सारी बातें इस माननीय सदन में रखना चाहूंगा कि आज ठेकेदार पकोड़े और समोसे तलने पर मजबूर हैं। मैं यह कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश के हजारों पेंशन धारक उन्हें पेंशन का लाभ और मेडिकल रिइम्बर्समेंट मिलना चाहिए। नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया गया था पर आज उन्हें 5,000 रुपय में पशु मित्र, कृषि मित्र और वन मित्र बनाकर रखा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पांच मिनट में समाप्त करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको दौड़ाया जा रहा है, लड़कियां गिर रही है

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

18/02/2026/1630/AT/YK /01

श्री विपिन सिंह परमार जारी...

क्या इसका संबंध आर0डी0जी0 से है या नहीं? यदि आप हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में एक विकसित राज्य के रूप में लाना चाहते हैं तो उसका आधार ठीक नहीं है। आज हिमाचल कंगाली की ओर बढ़ रहा है। मुझे श्री जय राम ठाकुर जी का वह समय याद आता है जब हिमाचल प्रदेश आबाद हो रहा था ...(व्यवधान) वह आपके लिए है मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे रिकॉर्ड पर अवश्य लाया जाए आबाद इन्होंने कहा अपने मुंह से। आबाद वह होता है जहां चाहे वह किसान है, चाहे वह बागबान है, चाहे

वह युवा और नौजवान है, चाहे वह गरीब कल्याण है। कोविड जैसी घातक बीमारी आई, तब भी श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के आगे खड़े हुए और जीवन रक्षक के रूप में काम किया। कोरोना काल में पूरे देश में यदि कोरोना से लड़ने का अच्छा प्रमाण प्रस्तुत किया गया, तो वह भाजपा और श्री जय राम ठाकुर की सरकार ने किया। इसे भी मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं उनके अनुसार प्रदेश का आम वर्ग दुःखी और प्रताड़ित है। यहां कहा जा रहा है कि बहुत कर्ज ले लिया गया। कर्ज के विषय में हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने विस्तार से बात रखी है। परन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने दोनों फाइनेंस कमीशनों की रिकमेंडेशन के अनुसार हिमाचल प्रदेश का खुलकर सहयोग किया। मैं यह भी देख रहा था कि जिन 17 राज्यों के लिए फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी और वर्ष 2021-22 में राशि सैंक्शन हुई थी तो उसमें केरल भी था और उसे सर्वाधिक राशि मिली थी, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार भी थी, श्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है यह मैं कहना चाहता हूं। परंतु अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान), मुख्यमंत्री जी, आप नीति आयोग की बैठकों में नहीं जाते, अपना पक्ष नहीं रखते। आर0डी0जी0 के विषय में भी जब हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट आया, तब सरकार की छवि खराब हुई। आज ट्रेजरी बंद है। अपने 26 वर्षों के राजनीतिक जीवन में पहली बार मुझे अपनी विधायक निधि की राशि निकलवाने के लिए डी0सी0 महोदय से लेकर पालमपुर के ट्रेजरी ऑफिसर को फोन करना पड़ता है। उसके बाद डायरेक्टर को फोन करना पड़ता है और फिर भी फाइनेंस

18/02/2026/1630/AT/YK /02

सेक्रेटरी तो फोन नहीं उठाते। क्या यह व्यवस्था परिवर्तन है? यह स्थिति 26 वर्षों में पहली बार देख रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें जगाने का प्रयास कर रहा हूं। अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि यहां कुछ साथी मुझे देख-देख कर प्रश्न पैदा कर रहे थे कि आप भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। तो हमने हिमकेयर योजना चलाई, सहारा योजना चलाई, मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना चलाई, और शिमला में किडनी ट्रांसप्लांट का काम शुरू किया। यह सब कार्य आर0डी0जी0 के दौरान ही किए गए।

Speaker: Please wind-up.

श्री विपिन सिंह परमार: अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के आरोप लगाना उचित नहीं है। अंत में, अध्यक्ष महोदय क्षमा करें, मैं सभापति कह रहा हूं क्योंकि यहां कुर्सी बार-बार बदल रही है आपकी कुर्सी कहीं ठीक स्थान पर न आ जाए उसके लिए आपको शुभकामनाएं, आपने मुझे समय दिया,उसके लिए आभार। परंतु जिस प्रकार आप इसकी पैरवी कर रहे हैं, मैं आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता।

के0एस0द्वारा जारी .....

18.02.2026/1635/केएस/एजी/1

श्री विपिन सिंह परमार जारी ---

केंद्र की सरकार तथा वित्तायोग को कठपुतली कहा गया। यहां से युवा मंत्री श्री विक्रमादित्य जी बाहर चले गए हैं। मैं खैरात शब्द रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। विक्रमादित्य जी ने कहा कि जो वित्तायोग की रिकमेंडेशन्ज़ हैं, वह राष्ट्रपति जी को दी जानी चाहिए। उसके बारे में कोई भी उल्लेख नहीं हुआ है। मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं - 16th Finance Commission submits reports to President Droupadi Murmu ji, और यह 17 नवम्बर, 2025को प्रस्तुत हुई है जो कि मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं और फोटो भी साथ में हैं। विक्रमादित्य जी पता नहीं कहां चले गए, आजकल वे ज्यादा ही व्यस्त हैं। मैं इसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

अध्यक्ष : परमार जी, हो गया। यह रिकॉर्ड पर आ गया।

श्री विपिन सिंह परमार : हो कैसे गया अध्यक्ष महोदय? उन्होंने मना किया कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है और एक मंत्री महोदय को तो कभी आर0एस0एस0 बुरी लगने लगती है, वीर सावरकर बुरे लगने लगते हैं, वंदे मातरम बुरा लगने लगता है। तो मैं यह पढ़ रहा हूं कि "जब भी कोई वित्तायोग अपनी सिफारिशों को लोकसभा में ले जाता है तो

उससे पहले महामहिम राष्ट्रपति को मिलने जाते हैं। वहां जा कर राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट दी जाती है और उसके बाद संसद में ले की जाती है। आज मुझे एक भी तस्वीर दिखाई नहीं दी।" यह माननीय विक्रमादित्य जी ने यह कहा है। सर, इसको पढ़िये, आपका स्टाफ होगा, वैसे आप भी पढ़े-लिखे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि 16वें वित्तायोग का प्रतिनिधि मण्डल महामहिम राष्ट्रपति जी को मिलने गया था। अभी तो ये सिफारिशें लोकसभा के अंदर गई हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस रिपोर्ट को अपने बजट भाषण के दौरान पढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में मैंने ये सारी बातें यहां पर रखने का प्रयास किया है। ये जो ट्रेज़री की पोजीशन है, इसको मुख्य मंत्री जी सुधारिये और महोदय, भारतीय संस्कृति और सनातन पर इस तरीके से आक्रमण मत कीजिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप हमसे बहुत सीनियर हैं। अध्यक्ष जी, आपका आभार, धन्यवाद।

18.02.2026/1635/केएस/एजी/2

अध्यक्ष : अब इस संकल्प के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जवाब देंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 01 फरवरी को बजट पढ़ा जा रहा था और वित्त मंत्री तथा मुख्य मंत्री होने के नाते मेरा यह दायित्व था कि उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुना जाए। न्यूज़ पेपर में काफी पहले से बजट के बारे में कई चर्चाएं आ रहीं थीं। उसी दिन वित्त मंत्री जी ने 16वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को ले किया। जब वह रिपोर्ट ले हुई उसको अपलोड होने में थोड़ा समय लगा और हमने सोचा कि जैसे ही वह रिपोर्ट अपलोड होगी उसके पन्नों को, पहलुओं को, एक-एक चीज़ को हम पढ़ेंगे। मेरी अपने कई अधिकारियों से बात हुई, चर्चा हुई। पता लगा कि आर0डी0जी0 बंद कर दी गई है। मैंने कहा कि हम चार बार वित्तायोग के पास गए, चार बार वित्त मंत्री के पास गए, हमेशा से हमारा यह अनुरोध रहा कि आप पांच वर्षों में, वर्ष 2026 से 2031 तक आर0डी0जी0 एक समान रखना। हमें पनगढ़िया जी ने कहा कि इस बार जो टेपरिंग के कारण नुकसान हुआ है, हम उसको एक समान रखेंगे और वित्त मंत्री जी ने भी कहा। फिर हमने अपने फोरैस्ट की बात की कि हमारे प्राइवेट

जंगल जो एक हेक्टेयर से नीचे हैं, जो ओपन फोरैस्ट की डैफिनेशन में आते हैं, उसके लिए भी हमें उसके प्वाइंट दीजिए जिसके हमें .5 प्वाइंट मिले। मैं यह इसलिए कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक यह कह रहे हैं कि हमारे करों में बढ़ोत्तरी हुई है। वह 12वें, 13वें, 14वें या 15वें वित्तायोग के समय में बढ़ोत्तरी ही होती आई है, वह कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। इस संदर्भ में मैंने उस दिन कहा कि अगर आर0डी0जी0 बंद हुई है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

18.02.2026/1640/AV/AG/1

मुख्य मंत्री-------- जारी

तो दिनांक 1 फरवरी, 2026 हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक काला दिन माना जाएगा। मेरा उस समय यह प्रयास था कि मैं पहले इस बारे में अपने मंत्री मण्डल और सभी अधिकारियों से फीडबैक लूं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी इस सभागार के सदस्य हैं, उनसे मैं अनुरोध करूं। कुछ स्टेटमैंट्स हमारे प्रदेश के सांसदों द्वारा भी दी गईं। लेकिन मैंने उस बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं की परंतु हमारे एक सांसद कह रहे थे कि आप लोन की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए हमारे वित्त मंत्री जी के पास चलिए। हमने अपना लोन रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसैस एक महीने पहले शुरू कर दिया था और उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब सवाल यह पैदा होता था कि एक अधिकार जोकि सरकार का हक़ नहीं अपितु हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता का हक़ था। अगर यह आर0डी0जी0 वर्ष 2015 से 2020 तथा वर्ष 2020 से 2025 तक मिली तो उसमें तीन वर्ष श्री जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री रहे और 15वें वित्तायोग की दो वर्ष की आर0डी0जी0 काँग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल में मिली। यह किसी सरकार विशेष को थोड़ी न मिली। यह जनता की थी कि सरकार जनता की आशाओं के अनुरूप विकास करवाएगी। मैं आपको आर0डी0जी0 का महत्व भी बताना चाहता हूं। हमारे संविधान में आर0डी0जी0 का महत्व बताया गया है और

मैं आपको उस बारे में बताना चाह रहा हूं। मैं हमारे संविधान में निहित आर्टिकल-271(a) के प्रोविजन के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। इस आर्टिकल में निम्न प्रकार से बातें कही गई हैं जिनमें से कुछ बातें तो हमारे उप-मुख्य मंत्री जी ने पहले भी पढ़ी हैं। जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों द्वारा आर्टिकल-275 के बारे में दिए गए वक्तव्यों को मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा।

संविधान के आर्टिकल-275 पर संविधान सभा में दिनांक 8 और 9 अगस्त, 1949 को विस्तृत चर्चा हुई। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आर्टिकल-275 में ग्रांट्स एक संवैधानिक अधिकार है न कि एक चैरिटी है। संविधान सभा के कुछ प्रमुख सदस्यों द्वारा इस बारे में दिए गए वक्तव्य निम्न प्रकार से हैं :-

18.02.2026/1640/AV/AG/2

श्री बी0आर0 अम्बेडकर जी जोकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि 'The Article provides that Parliament may by law provide grants-in-aid of the revenues of such States as Parliament may determine to be in need of assistance, and different sums may be fixed for different States. It is quite possible that some provinces may not be able to meet their expenditure from their own resources, and therefore, there must be some provision made by which the Centre will assist these provinces. The Centre has larger source of revenue, and therefore, it is necessary that it should assist the provinces which are in need.'

श्री टी0टी0 कृष्णामचारी जी ने लिखा कि 'यह पूर्णतया आवश्यक है कि केंद्र के पास उन प्रान्तों को अनुदान देने की शक्ति हो जो सहायता की आवश्यकता में हो।'

श्री रोहिणी कुमार चौधुरी जी ने लिखा कि 'कुछ क्षेत्र अत्यंत निर्धन हैं। उन क्षेत्रों से प्राप्त होने वाला राजस्व नगण्य है किन्तु वहां होने वाले व्यय अत्यधिक हैं। अतः जब तक केंद्र

अनुदान प्रदान नहीं करेगा तब तक उन क्षेत्रों का समुचित प्रशासन करना सम्भव नहीं होगा।'

श्री महावीर त्यागी जी ने लिखा कि 'यदि कुछ क्षेत्र निर्धन हैं और अपने आपको बनाए रखने में सक्षम नहीं है तो संघ को उसकी सहायता करनी चाहिए।'

श्री कुलधर छलिहा जी ने लिखा कि 'ऐसे क्षेत्रों के समुचित प्रशासन और विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का भार केंद्र को अनिवार्य रूप से वहन करना चाहिए।'

संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इस आर्टिकल की पूरी तरह से व्याख्या की गई। मैं यह इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि यह हमारा अधिकार है। इसीलिए मैंने कहा

टी सी द्वारा जारी

18.02.2026/1645/टी0सी0वी0/ए0जी0-1
मुख्य मंत्री .... जारी

कि जब 15वें फाइनेंस कमिशन की रिपोर्ट आई, तब 3 वर्ष तक माननीय जयराम ठाकुर जी ने आर0जी0डी0 के द्वारा लोगों का विकास करवाया होगा और दो साल माननीय पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह के समय के 14वें वित्तायोग का पैसा था। आज हम अधिकार के रूप में इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हमने कहा कि इस विषय पर कैबिनेट में प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। कैबिनेट में प्रेजेंटेशन हुई, सभी मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे और विचार रखने के बाद यह निर्णय लिया गया कि इसे प्रदेश के सभी विधायकों के समक्ष रखा जाए। इसके अलावा जर्नलिस्ट के माध्यम से पब्लिक के समक्ष भी इस विषय को ले जाने का निर्णय लिया गया। हमने इस बारे में मुख्य सचिव को आदेश दिया। मुख्य सचिव ने प्रेजेंटेशन दी कि यदि आर0डी0जी0 बंद हो जाती है तो इससे राज्य को क्या-क्या नुकसान होंगे और आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

मैंने उन सभी विधायकों से कहा जो प्लानिंग की मीटिंग में आए थे कि कल आर0डी0जी0 के संदर्भ में बैठक आयोजित की जाएगी उसमें आप सभी आएं। इसमें मेरा कोई राजनीतिक लाभ नहीं था। मैंने केवल इसलिए आग्रह किया क्योंकि इसमें प्रदेश का हित जुड़ा हुआ था। हमने पूर्व मुख्य मंत्री जयराम ठाकुर जी से भी अनुरोध किया। हमारे पार्लियामेंट्री मिनिस्टर ने उन्हें फोन किया लेकिन ये किसी कार्य में व्यस्त थे या अन्य किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सके। इसके बाद मैंने कहा कि इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के विधान सभा सदस्यों से पुनः चर्चा की जाए और राय बनी कि ऑल पार्टी मीटिंग आयोजित की जानी चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग आयोजित की गई और डॉ0 राजीव बिंदल जी ने माननीय हर्षवर्धन चौहान जी से कहा कि वे सचिवालय नहीं आएंगे और यह बैठक किसी न्यूट्रल स्थान पर आयोजित की जाए। मैंने कहा कि सचिवालय किसी एक पार्टी का नहीं है, यह सरकार का संस्थान है, वहां आने में क्या आपत्ति है। इसके बाद हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा कि उनकी बात मान लेते हैं और अन्य स्थान पर बैठक कर लेते हैं। बाद में पीटरहॉफ में बैठक आयोजित की गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिंदल जी, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी, श्री राकेश सिंह

18.02.2026/1645/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

जी, श्री संजय चौहान जी, श्री कुलदीप तंवर जी, बी0एस0पी0 तथा आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए। सभी ने इस कानून व अधिकार की व्याख्या की। माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी तथा राजीव बिंदल जी ने अन्य विषयों जैसे सड़कों और विकास कार्यों की चर्चा की। वह सब ठीक है, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता लेकिन वास्तविकता यह थी कि वे इस मूल मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार नहीं थे। मैंने जयराम ठाकुर जी से आग्रह किया कि आप तो बैठ जाएं लेकिन वह कुछ समय बाद बाहर चले गए और कहा कि हम विधान सभा में इस विषय पर बोलेंगे। इसके बाद मैंने कहा कि विशेष सत्र बुलाया जाए। विशेष सत्र की फाइल राज्यपाल जी के पास भेजी गई लेकिन उन्होंने कहा कि बजट सत्र बुला लीजिए। आपने भी बजट सत्र का सुझाव दिया और हमने उसे स्वीकार किया। मैंने इस बजट सत्र में प्रदेश हित, प्रदेश की जनता, किसानों, युवाओं तथा महिलाओं के सम्मान के

लिए यह कहा कि हमें आर0डी0जी0 पर चर्चा करनी चाहिए। आज इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि वह प्रदेश हित में आर0डी0जी0 के पक्ष में है या नहीं। मुझे इस बात का दुःख है कि आप राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से हमारी आलोचना कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने कोई कार्य नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि आर0डी0जी0 के मामले में हमारे पास आज भी समय है। यह हमारा अधिकार है और हम सभी को इस अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। प्रदेश की जनता के साथ मिलकर हमें इस अधिकार की रक्षा करनी चाहिए।

मैं कुछ और तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि विधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा अनुच्छेद 275 पर दिए गए वक्तव्य स्वयं राज्यों को मिलने वाली वित्तीय सहायता के महत्व को वर्णित करते हैं। जैसा कि माननीय उपमुख्य मंत्री ने भी बताया कि इस प्रावधान में असम तथा अन्य जनजातीय क्षेत्रों के लिए गारंट-इन-एड की बात की गई है।

अध्यक्ष महोदय, यह तथ्य है कि भारत की संसद द्वारा संविधान का एनेक्टमेंट दिनांक 26 नवंबर 1949 को की गई थी तथा संविधान दिनांक 26 जनवरी, 1950 से पूरे देश में लागू किया गया। मैं इस सदन के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों का ध्यान संविधान के आर्टिकल 275(1) के तृतीय और चतुर्थ प्रावधान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ये ग्रांट्स असम राज्य एवं ट्राइबल एरियाज के विकास के लिए वित्तायोग के अवार्ड पीरियड से पहले **एन0एस0 द्वारा जारी ....**

18-2-2026/1650/एन0एस0-ए0एस0/1

मुख्य मंत्री -----जारी

यह ग्रांट-इन-ऐड बजटीय सपोर्ट के रूप में हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से मिला करती थी। इस बारे में आंकड़ों सहित विस्तृत जानकारी वित्तायोग की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय, आरम्भ में असम, जम्मू-कश्मीर और नागालैंड जैसे राज्यों को यह दर्जा दिया गया। समय के साथ-साथ जैसे-जैसे नए राज्यों का गठन किया गया उन्हें अतिरिक्त

सहायता देने की आवश्यकता को महसूस करते हुए स्पैशल कैटेगरी स्टेट्स का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश को वर्ष 1970-71 में, मणिपुर, मेघालय, व त्रिपुरा को वर्ष 1971-72 में, सिक्किम को वर्ष 1975-76 में और मिजोरम को वर्ष 1986-87 तथा उत्तराखंड को वर्ष 2001-02 में यह दर्जा दिया गया। वर्ष 2014 में विभाजन के बाद तेलंगाना को भी यह दर्जा दिया गया। मैं सदन का ध्यान विशेष रूप से 16वें वित्तायोग के अध्याय 9 के पैरा संख्याः 9.1 व 9.2 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो संविधान के अनुच्छेद 280 (3) और आर्टिकल 275 (1) का वर्णन करते हैं जिसे मैं सदन के समक्ष कोट करना चाहता हूं। संविधान का अनुच्छेद 280/3(ख) वित्तायोग को भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के निर्धारण के सिद्धांतों की सिफारिश करने का अधिकार देता है। इसके पूरक के रूप में अनुच्छेद 275 (1) इन अनुदानों के लिए प्रावधान करता है जिसमें उल्लेख किया गया है। ऐसी राशियां जिनका संसद विधि द्वारा उपबंध करें उन राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर आधारित होगा। जिन राज्यों के विषयों में संसद यह अवधारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है और विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न राशियां निहित की जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय, आर0डी0जी0 क्या होती है? मैं इसको सरल भाषा में आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर हमारी आय 40 रुपये है तो हम 40 रुपये को अपनी आय का अंश मान लेते हैं। दूसरा, जो हमारा share in Central Taxes होता है उससे हमें जितना रेवेन्यू आता है और टैक्सिस के रूप में जो शेयर मिलता है वह 40 प्रतिशत हो गया यानी कुल मिला कर 80 प्रतिशत हो गया। आय और व्यय के बीच का जो घाटा

18-2-2026/1650/एन0एस0-ए0एस0/2

होता है उसको छोटे राज्यों के राजस्व अनुदान (आर0डी0जी0) के रूप में माना जाता है। अब ये छोटे राज्यों के आर0डी0जी0 के रूप में माना जाता है तो आप ये बताइए कि जब 20 प्रतिशत के घाटे को पूरा करने के लिए आर0डी0जी0 का प्रावधान किया गया है तो वह कैसे पूरा होगा? कम-से-कम 15 प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी। यह केवल हमारे लिए

नहीं है, मुख्य मंत्री आएंगे और मुख्य मंत्री जाएंगे, सरकारें आएंगी और चली जाएंगी लेकिन यह परमानेंट बंद हो जाएगा जो वर्ष 1952 से इस प्रदेश को ग्रांट के रूप में मिलता आ रहा है। इस स्थिति में, मैं पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी को एक बात कहना चाहूंगा। आपने 15वें वित्तायोग में जोरदार तरीके से आर0डी0जी0 की बात की। आपने हमें कई बार कहा इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं। आपने कहा कि हमें पता था कि आर0डी0जी0 बंद हो जाएगी। 15वें वित्तायोग के सामने आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने मुख्य मंत्री के तौर पर दिनांक 26 मार्च, 2018 को जो भाषण दिया है, मैं उसका कुछ अंश पढ़ रहा हूंः- आप अवगत हैं कि हमारा राज्य अपने वित्तीय प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार, वित्तायोग एवं योजना आयोग के उदार अनुदानों पर निर्भर है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह निर्भरता हमारी सरकार बनने के बाद खत्म हो गई है? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा हमारी विशेष आवश्यकताओं और लोगों की आकांक्षाओं को देखते हुए प्रदान किया गया था। इसे पूर्ण राज्य बनाने के पीछे की Fiscal Viability नहीं थी, यह आपने कहा है। आपने ठीक कहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अब यह आकांक्षा समाप्त हो गई है? प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के कारण जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। क्या अब ये आवश्यकताएं अब समाप्त हो गई हैं जो आप 15वें वित्तायोग से कर रहे थे? हिमाचल प्रदेश Chronical Revenue Deficit State रही है और यह पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने कहा है। सरकार को विकास के लिए कर्जों पर निर्भर रहना पड़ता है। हम और आप इस बात को जानते हैं कि कर्ज लेने पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट केंद्रीय करों के हिस्से से predevollution deficit की पूर्ति नहीं हो पाती। आर्थिक रूप से कमजोर तथा सर्वदा राजस्व घाटे वाले राज्यों के लिए

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

18.02.2026/1655/RKS/डीसी-1

मुख्य मंत्री जारी....

ग्रांट की व्यवस्था का संविधान के अनुच्छेद 275 तथा 280 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। यह बात आपने कही है। अतः हम आयोग से पुरजोर निवेदन करते हैं कि समुचित ग्रांट की संस्तुति करें ताकि पोस्ट डेवोल्यूशन डेफिसिट को पूरा करने के लिए राज्यों के पास पूंजी निवेश के लिए समुचित धन उपलब्ध हो। लेकिन अभी आपने अपनी डिबेट में कह दिया कि आर्टिकल 275 और 280 में आर0डी0जी0 का प्रावधान नहीं है। जब आप मुख्य मंत्री थे तो संविधान के अधिकार बता रहे थे लेकिब अब आप मुख्य मंत्री नहीं है इसलिए इस बात से मुकर रहे हैं। श्री जय राम ठाकुर जी ने खुद 15वें वित्तायोग के सामने अपने भाषण में आर0डी0जी0 के प्रावधानों के बारे में बताया है। आपने हिमाचल प्रदेश के लिए इसको जरूरी बताया है। आप उस समय मुख्य मंत्री थे। आपको पता था कि आय-व्यय के रूप में हमारा प्रदेश अभी समर्थ नहीं हैं और हमें आर0डी0जी0 मांगनी चाहिए। हमने भी यही बात की है लेकिन अब यह कहना गलत है कि यह हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है। अब आप पूर्व मुख्य मंत्री है इसलिए आप कह रहे हैं कि यह हमारा अधिकार नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि यह हमारी जनता और गरीब लोगों का हक है। आपने वित्तायोग से निवेदन किया कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर साकारात्मक रूप से विचार किया जाएः-

- हम यथोचित धनराशि आबंटित करने की संस्तुति करें।
- राज्य के राजस्व व खर्चों का मूल्यांकन वित्तायोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इसलिए आयोग से अनुरोध है कि प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए पर्याप्त ग्रांट प्राप्त करने की संस्तुति करें ताकि पोस्ट डेवोल्यूशन डेफिसिट पूरा करने के बाद भी राज्य के पास निवेश के लिए समुचित धन उपलब्ध रहे।

आपने यह सही कहा है और हम भी आज यही कह रहे हैं। आपने उस समय प्रदेश हित की बात की है। लेकिन आज आप प्रदेश हित की बात से पीछे क्यों हट रहे हैं? ...(व्यवधान) अभी आप मुझे बोलने दीजिए। आप बाद में बोल लेना। ...(व्यवधान) मैं इनकी 15वें वित्तायोग में वित्त मंत्रियों के साथ 13 मार्च, 2020 को आयोजित बैठक में भाषण के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। ...(व्यवधान) ठाकुर साहब आपने बाद में बोल लेना। ...(व्यवधान) आपने अच्छा बोला है। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं आपका

विरोध नहीं कर रहा हूं। विरोध वाले कागज तो अभी बाद में आने हैं। अभी तो मैं आपकी अच्छी बातें बोल रहा हूं। हिमाचल प्रदेश जैसे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के करों में प्री डेवोल्यूशन हिस्से की पूर्ति नहीं हो पाती। यह आपने कहा है। अतः हम आयोग से पुरजोर निवेदन करते हैं कि समुचित ग्रांट की संस्तुति करें तथा पोस्ट डेवोल्यूशन को पूरा करने के बाद राज्य को पूंजी निवेश के लिए समुचित धन उपलब्ध करवाएं। आपने उस समय यही बात कही है।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी मुझे व्यवस्था देने दीजिए। आपको उत्तर देने में लगभग एक घंटा लग जाएगा इसलिए इस माननीय सदन की बैठक सायं 06.00 बजे तक बढ़ाई जाती है।

(सदन की बैठक सायं 06.00 बजे तक बढ़ाई गई।)

मुख्य मंत्री : इसके बाद 16वां वित्तायोग आया। आपने 16वें वित्तायोग में जो बोला है वह तो आपको याद होगा। ...(व्यवधान) ठाकुर साहब आपने अच्छा बोला है।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय आप इन्हें बोलने के लिए काफी समय देते हैं। लेकिन अभी मुझे बोलना है। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री एवं विपक्ष के नेता श्री जय राम ठाकुर जी 16वें वित्तायोग के अध्यक्ष डॉ0 अरविन्द पनगढ़िया जी के पास गए

श्री बी0एस0द्वारा जारी

18.02.2026/1700/बी.एस./एच.के.-1

मुख्य मंत्री जारी...

और कहा कि हिमाचल प्रदेश एक रिवेन्यू डेफिसिट स्टेट है, यह आपने कहा। यह मैंने नहीं कहा, यह इन्होंने कहा। भौगोलिक दृष्टि से यहां की परिस्थितियां इस प्रकार की है कि विकास कार्यों पर बहुत ज्यादा खर्च होता है। आपने बिल्कुल सही कहा और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। इस खर्च की यदि हम मैदानी इलाकों में हो रहे खर्च की तुलना करें तो एक ही प्रकार के प्रोजैक्ट में हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, आपने एक दम सही कहा यहां एक किलोमीटर सड़क बनाने के लिए हमारे प्रदेश में करोड़ों रुपये खर्च

होते हैं लेकिन मैदानी इलाकों में वहीं एक किलोमीटर सड़क लाखों रुपये में बन कर तैयार हो जाती है, हमने भी यही कहा। हम आपकी बात से सहमत हैं। इससे आगे आपने कहा कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियों को सदैव ध्यान में रखा जाए और हमारे प्रदेश की तुलना अन्य राज्यों के साथ नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा। नेता प्रतिपक्ष के लिए ताली तो मरो, आपके लिए पक्ष की ओर से कभी ऐसी ताली नहीं बजी होगी। क्या कभी ऐसा होता है कि सत्ता पक्ष ताली मारता है? आपको समझ नहीं आएगा जो आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी है जिसका हम सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार से हमें रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के माध्यम से जो राहत मिलती है वह धीरे-धीरे कम हो रही है, बिल्कुल ठीक बोला। सरकार के पास कर्ज लेने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा है। यह भी बिल्कुल ठीक बोला, अगर हम टैक्स लगा भी देते हैं तो उससे ज्यादा राजस्व प्राप्त नहीं होगा। आज जो गैप पड़ गया है वह बहुत ज्यादा है ऐसी परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश को एक अलग नजरिए से देखने की आवश्यकता है और यहां पर मदद की बहुत जरूत है। आप देखेंगे वेतन, पेंशन और कर्ज ब्याज की अदायगी तथा अन्य चीजों पर खर्च करने के बाद हमारे पास विकासात्मक कार्यों के लिए एक रुपये में से केवल 28 पैसे बचते बिल्कुल यह है और आपने ठीक कहा, पहाड़ी प्रदेशों को इससे बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। केंद्र सरकार से मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश को नहीं मिलती है तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा भयानक होगी और आर्थिक दृष्टी से अपने को संभाल नहीं पाएंगे, बिल्कुल सही कहा। आपने फिर उसके बाद मीडिया में भी बोल। जागरण में 16वें वित्तायोग में कहा

18.02.2026/1700/बी.एस./एच.के.-2

कि "विशेष पैकेज दे तथा विकास की पटरी पर दौड़ेगा हिमाचल" आपने बिल्कुल सही कहा। आज ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आदरणीय श्रीकांत बालदी जी, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी थे उनका मैंने सुबह ही ट्रिब्यून में आर्टिकल पढ़ा।

अध्यक्ष : मैंने सुबह ही इसे रेफर किया था।

मुख्य मंत्री : मैं उसको सदन में ले करता हूं। ये आपके ही वित्त सचिव थे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्व मुख्य मंत्री जी से और उनके विधायक के सदस्यगण से कि अभी क्या समस्या हो गई, उस तरफ बैठने से? अभी क्यों नहीं बोलते कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के पास चलते हैं, अभी क्यों नहीं कहते हैं कि इससे प्रदेश के विकास में अड़चने आएंगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं, अब आगे देखिए आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने कुछ बहुत बड़ी बातें कही हैं। मैं उसमें थोड़ा सा आपका ध्यान लाना चाहता हूं।

हमारे एक्सपेंडिचर की बात की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको डैटा के साथ बताना चाहता हूं। इस सभागार में बैठे जितने भी विधायक हैं, सब अच्छे केलकुलेटर और मैनिपुलेटर भी हैं आप मैथमेटिक्स तो अच्छी तरह जानते है। मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, आदरणीय जय राम जी के समय में 5 साल में वर्ष 2017-18 और वर्ष 2022- 23 तक 55,564 करोड़ रुपये स्टेट ऑन रेवेन्यू आया। परंतु हमारे 3 साल में जो लोग शिक्षा दे रहे थे, आदरणीय दीप राज जी और आदरणीय लोकेंदर जी और आदरणीय बिक्रम सिंह जी शिक्षा दे रहे थे और अच्छी बात है, शिक्षा देनी चाहिए। अगर छोटा बच्चा भी बोलता है और उसकी बात अच्छी होती है तो उसको भी एडैप्ट करते हैं। हमने 5 साल में, आप नोट कर लीजिए क्योंकि आपने बजट में भी बोलना है।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

18.02.2026/1705/DT/HK-1

मुख्य मंत्री जारी...

उसको भी ऑडोप्ट किया, आपने अपने ओन सोर्सिज से 55,564 करोड़ रुपये राजस्व अपने पांच साल के कार्यकाल में कमाया। हमनें अपने कार्यकाल के तीन सालों में ही 50,520 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया। श्री जय राम ठाकुर जी आप लिख लो कि आपने 55,564 करोड़ का राजस्व कमाया और हमनें तीन साल में ही 50,520 करोड़ का राजस्व कमाया। आप इन बातों को लिख लेना क्योंकि आपने बजट भाषण में भी बोलना है। श्री बिक्रम सिंह जी आप भी लिख लेना कहीं जय राम ठाकुर जी भूल न जाएं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में एक ओर बात लाना चाहता हूं। वर्ष 2018 से 2022 तक पूर्व सरकार ने 45,250 करोड़ रुपये का कर्जा लिया और उसमें से 38,722 करोड़ रुपया

वापिस किया गया। हमारी सरकार ने गत तीन साल में 35,482 करोड़ रुपये का कर्जा लिया और 27043 करोड़ रुपये वापिस किए। हम तो सारे फैक्टस आपके सामने रख रहे हैं। ये बोल रहे थे कि प्रदेश बरबाद हो रहा है। लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा कि पूर्व सरकार के समय में प्रदेश बरबाद हुआ। पूर्व सरकार को आर0डी0जी0 भी मिली। इनको कोरोना के समय इंट्रिम ग्रांट मिली जो 11000 करोड़ रुपये की थी यानी इनको टोटल आर0डी0जी0 54000 करोड़ की मिली। जी0एस0टी0 कंपनसेशन के रूप में 16000 करोड़ मिले यानी टोटल हो गया-आप भी बोल दो प्लीज। ...(व्यवधान) श्री बिक्रम सिंह जी के लिए ताली बजा दो। यानी पूर्व सरकार को 70000 करोड़ मिलने के बाद ...(व्यवधान) मैं आपकी बात मान लेता हूं। ...(व्यवधान) मैं बिक्रम जी की बात को मान लेता हूं। ...(व्यवधान) ठीक है श्री बिक्रम जी ने कहा कि हमने बोला-ठीक है आपने अच्छी बात बोली। श्री बिक्रम जी तथ्यों को समझते हैं, पढ़ते हैं और अच्छी तरह से बोलते भी हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। 70000 करोड़ रुपये इनको मिला और इन्होंने 45000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा इस प्रदेश में इतिहास रचा। हमने 17000 करोड़ रुपये लिया और हमनें प्रदेश को आत्म निर्भर बनाने की दिशा की ओर कदम बढ़ाए। मैंने इस मेथमेटिक्स की बात इसलिए की थी। अगर 17000 करोड़ रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट को तीन से गुणा कर दें तो तीन गुणा पूर्व सरकार को ज्यादा आया और इसके अतिरिक्त 3000 करोड़ रुपये और आया तब ये 54000 करोड़ रुपये हुआ, इसलिए मैंने मेथमेटिक्स की बात कही। ...(व्यवधान)

18.02.2026/1705/DT/HK-2

अध्यक्ष महोदय, जो प्रदेश को आत्म निर्भर बनाने की सोच के साथ चलता है वह व्यवस्था परिवर्तन ही करता है। अगर विपक्ष पूरे एक घंटे मेरी बातों को सुने तो इनको पूरा समझ आयेगा इसलिए मैं इनको समझा रहा हूं। ...(व्यवधान) श्री त्रिलोक जम्वाल जी चिंता मत करना याद रखना आपने तीनों माइनिंग वाले एम0एल0एज0 से त्यागपत्र दिला दिया। यह भी इतिहास में पहली बार हुआ है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इधर-उधर की बातें छोड़ें और विषय पर आएं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

18.02.2026/1710/एच.के.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री..... जारी

अध्यक्ष महोदय, जी0एस0टी0 के लिए वर्ष 2015-16 को बेस इयर माना। भारत सरकार पूरा आंकलन करती है। जी0एस0टी0 लगने से पहले वैट और एक्साइज़ से हमारे पास जो टैक्स आता था उसके अंतर को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष 3678 करोड़ रुपये मिलते थे। जी0एस0टी0 लगने के बाद हमारी ग्रोथ हर वर्ष 17-18 प्रतिशत थी यानी के हर वर्ष 17-18 प्रतिशत का इंक्रीज़ मिल रहा था। भारत सरकार ने पूरे देश में इसे 14 प्रतिशत ग्रोथ के साथ फिक्स कर मान लिया है। भारत सरकार ने आंकलन करने के बाद हिमाचल प्रदेश को जी0एस0टी0 कम्पनसेशन भी दिया। हिमाचल प्रदेश को जी0एस0टी0 में आने के बाद वर्ष 2025-26 तक लगभग 18,239/- करोड़ रुपये का नुकसान हो गया है। मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2022-23 में हमको 757/- करोड रुपये का नुकसान हुआ। वर्ष 2023-24 में 5,065/- करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, आप पूरी फीगर्स पढ़ कर सुना दीजिए।

मुख्य मंत्री : ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं ठंग से पढ़ देता हूं। जी0एस0टी0 लगने के बाद भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को जी0एस0टी0 कम्पनसेशन दिया और जून-2022 में जी0एस0टी0 कम्पनसेशन बंद हो गया। भारत सरकार द्वारा किए गए आंकलन के अनुसार 14 प्रतिशत ग्रोथ के साथ वर्ष 2022-23 में 2,301/- करोड़ रुपये जी0एस0टी0 आना था लेकिन 1,544/- करोड़ रुपये आया जिस कारण 757/- करोड़ रुपये का घाटा हुआ। वर्ष 2023-24 में 10,493/- करोड़ रुपये जी0एस0टी0 आना था लेकिन 5,428/- करोड़ रुपये आया जिस कारण 5,065/- करोड़ रुपये का घाटा हुआ। वर्ष 2024-25 में 11,962/- करोड़

रुपये जी0एस0टी0 आना था लेकिन 5,868/- करोड़ रुपये आया जिस कारण 6,094/- करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

18.02.2026/1710/एच.के.-एन.जी./2

वर्ष 2025-26 में 11,364/- करोड़ रुपये जी0एस0टी0 आना था लेकिन 5,041/- करोड़ रुपये आया जिस कारण 6,323/- करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इस प्रकार से यदि हम जी0एस0टी0 में न जाते तो हमारे प्रदेश को 18,239/- करोड़ रुपये का नुकसान न होता। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं।...(व्यवधान) अरे, बीच में मत बोलिए।...(व्यवधान) मैं बता रहा हूं।...(व्यवधान) यदि मैंने फीगर्स गलत बोले हैं तो मैं ये कागज़ सभा पटल पर ले कर देता हूं।...(व्यवधान) यह सही है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय, you want to yield? ...(Interruption)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट में सारे आंकड़े रख देता हूं, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बोल लेंगे।...(व्यवधान) पांच मिनट पढ़ लेने दीजिए।...(व्यवधान)

Speaker : He is not yielding. ...(Interruption) डाटा आने के बाद I will give you a chance, Shri Jai Ram Thakur ji. ...(Interruption)

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।)

मुख्य मंत्री : आप (विपक्ष के माननीय सदस्यों को कहा) लोग पांच मिनट बैठ जाइए।...(व्यवधान) मुझे पूरा डेटा पढ़ लेने दीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष: मैं आपसे rejoinder करवाऊंगा।...(व्यवधान)

ए0पी0 द्वारा.....जारी

18.02.2026/1715/वाई.के./ए.पी./01

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं अन्य आंकड़े भी प्रस्तुत करूंगा तो ये फिर से उठ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इन्हें कहें कि पांच-दस मिनट सुन लीजिए उसके बाद उठ के आप बोल लेना। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय you want to yield? ...(Interruption)

मुख्य मंत्री : ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में कुछ आंकडे रखता हूं। उसके बाद विपक्ष के साथी बोल ले जो इन्हें बोलना होगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी को आंकड़े रखने दें (विपक्ष को कहते हुए)। मैं आपको समय दूंगा। ...(व्यवधान) कोई बात नहीं जब सारे आंकड़े आ जाएगें, उसके बाद भी तो आप ठीक करके बता सकते हो। ...(व्यवधान) I will give you time. ...(Interruption) I will give you time. ...(Interruption). अभी माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे है कि पहले वे पूरे आंकड़े रख लूं, उसके बाद आप बोल लेना। जो आपने रिबट करना होगा। Shri Jai Ram Thakur Ji I will give you time. माननीय मुख्य मंत्री जी को पूरा करने दो। अभी काफी समय है। He is not concluding his speech. अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पीचेस का रेफरेंस भी शुरू नहीं किया। ...(व्यवधान) Please, maintain order in the House. Please take your seats. ...(Interruption) He is not yielding. ...(Interruption)

मुख्य मंत्री : आपने पीछले तीन दिन से प्रदेश हित का माहौल खराब किया है। पहले मैं अपनी बात कहूंगा, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष को जो बोलना होगा वे बोलेंगे। आप बीच में नहीं बोल सकते। अध्यक्ष महोदय, फिर तो विपक्ष वाले हर बार ऐसा करेंगे और हमें बोलने नहीं देंगे। ...(व्यवधान)

Speaker : I am requesting him to yield but he is not yielding. ...(Interruption) I am requesting him to yield but he is not yielding. मुख्य मंत्री जी बोल रहे है कि वे

पहले पूरे आंकड़े रखेंगे, उसके बाद आप बोल लेना ...(व्यवधान) Please take your seats. ...(Interruption). मैं आपको बोलने के लिए समय दूंगा ...(व्यवधान) I am

18.02.2026/1715/वाई.के./ए.पी./02

requesting the Hon'ble Chief Minister to yield, but he is not yielding so I can't make him to sit. This is his time. ...(Interruption)

(विपक्ष के सभी सदस्य वैल **में खड़े हो कर नारेबाजी करने लगे।)**

Please take your seats. ...(Interruption) The House is adjourned and will be reassemble after 10 minutes i.e. 05.30 PM. The House is adjourned till 5.30 PM.

18/02/2026/1730/AT/AG/01

(सदन की बैठक 5.30 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरंभ हुई।)

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्रीः मैंने भी परमार साहब के समय एक मिनट मांगा था, उन्होंने नहीं दिया था। हमारी सरकार ने... (व्यवधान)

अध्यक्षः जैसे ही यह खत्म करेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा।

के0एस0द्वारा जारी .....

18.02.2026/1735/केएस/एजी/1

अध्यक्षः परमार जी, जैसे ही मुख्य मंत्री जी अपनी बात खत्म करेंगे मैं आपको समय दूंगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने प्रदेश का राजस्व बढ़ाया, खर्चे कम किए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप यील्ड कर गए। मैंने रिक्वेस्ट की और आप बैठ गए। I am requesting the Hon'ble Chief Minister, do you want to yield or not?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो आज बोलना है। यह प्रदेश के हित की बात है। ये बाद में बोल लें। अध्यक्ष जी, आपको यह परम्परा बंद करनी पड़ेगी। हमने विपिन परमार जी से एक मिनट मांगा, आपने बोला नहीं, आप बाद में बोल लेना। ...(व्यवधान) नहीं, अभी नहीं। ...(व्यवधान)

Speaker: He is not yielding. ...(Interruption) I will give you a chance afterwards. Let him complete. जो आंकड़े मुख्य मंत्री जी रखना चाह रहे हैं, उनके रिकॉर्ड पर आने के बाद मैं आपको समय दूंगा। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : आप क्या बोलेंगे? आप आर0डी0जी0 के पक्ष में बोलो। हम सारा भाषण अभी खत्म कर देंगे। जो आप आंकड़े बोलेंगे, हम उनको मानेंगे। ...(व्यवधान) आप आर0डी0जी0 के पक्ष में बोलिए, हम प्रधान मंत्री के पास चलेंगे। अध्यक्ष जी, ये हल्ला ही कर रहे हैं। प्रदेश के हित के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। आर0डी0जी0 सरकार का मामला नहीं है, यह प्रदेश की जनता का मामला है। अगर आप आर0डी0जी0 पर बोलने के लिए तैयार हैं तो मैं बैठ जाऊंगा। इनके आंकड़े अगर सत्य पर आधारित होंगे तो मैं अपना भाषण बंद कर दूंगा। ... (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य वैल में आ कर नारेबाजी करने लगे)

18.02.2026/1735/केएस/एजी/2

अध्यक्ष : सारे आंकड़े मीडिया में भी अवेलेबल हैं और सभी सम्माननीय सदस्यों के पास भी हैं। ये जो अभी आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों को रीबट करने का समय मैं प्रतिपक्ष को दूंगा। I will give you a chance to rebut these figures. ...(व्यवधान) I will give you a chance. Please take your seats. I am requesting you to please take your seats.

मुख्य मंत्री : आप आर0डी0जी0 पर हमारे साथ हैं या नहीं? ...(व्यवधान) ये जो मर्जी है, सब पढ़ लेना। आप आर0डी0जी0 के पक्ष में हैं या नहीं? प्रदेश के हित में हैं या नहीं या आप प्रदेश के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के लोगों के साथ धोखा कर रही है। इनके एक भी विधायक ने आर0डी0जी0 के पक्ष में नहीं बोला। 50 हजार करोड़ रुपया जनता का कट गया। हर साल 10 हजार करोड़ रुपये जनता के कट गये। एक भी विधायक ने उसके बारे में नहीं बोला। वित्तायोग के पास पूर्व मुख्य मंत्री गए और इन्होंने वहां कहा कि मिलनी चाहिए और यहां बोल रहे हैं कि आर0डी0जी0 नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खत्म करुंगा उसके बाद आप पूर्व मुख्य मंत्री को समय दे सकते हैं परंतु पहले आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं बाद में समय दे दूंगा। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : अगर ये बोलना चाहते हैं तो ये बोल दें कि हम आर0डी0जी0 के संकल्प के साथ हैं, फिर इनको बोलने का मौका दीजिए। ...(व्यवधान) यदि शोर करना है, सच्चाई को छिपाना है तो सच्चाई कभी झूठ से नहीं डरती। ...(व्यवधान)

Speaker: Please, please. Order in the House, please. ...(Interruption) No interruption, please. ...(Interruption) Let the Hon'ble Chief Minister complete his reply. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats.

मुख्य मंत्री : हर बार झूठ सच्चाई से टकराता है, उसमें जीत सच्चाई की ही होती है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ यहां पर डिस्टर्ब करने आए हैं। अगर ये बोल देते हैं

18.02.2026/1735/केएस/एजी/3

कि ये आर0डी0जी0 के पक्ष में हैं, प्रस्ताव पारित कर देते हैं, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं और सब कुछ खत्म कर देते हैं। ...(व्यवधान) बोलो। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश का हित सर्वोपरि है। प्रदेश के गांव में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति का हित सर्वोपरि है। प्रदेश की महिलाओं का हित और सम्मान सर्वोपरि है। प्रदेश में युवाओं को रोज़गार देना है, उनका हित सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक यहां बैठे हैं ये सिर्फ कुठाराघात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

Speaker: Please take your seats. I will give you a chance. Bikram ji, I will give a chance to Thakur Sahib. ...(Interruption) Let him reply. ...(Interruption) Hon'ble Members, order in the House, please. ...(Interruption) No interruption, please. ...(Interruption) Nothing is going on record except the statement of the Hon'ble Chief Minister. ...(Interruption) Please take your seats.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। ये आर0डी0जी0 बंद करवाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि चुनाव के लिए तैयार हो जाओ, हमने आर0डी0जी0 बंद करवा दी है। आर0डी0जी0 कोई सरकार का हित नहीं है। यह हमेशा से हिमाचल की जनता का हित रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो प्रदेश की सम्पदा को लुटा रहा है आज वह इस परिसर में दनदना रहा है। झूठ के सहारे दनदना रहा है। ये वे लोग हैं जिन्होंने एक गरीब आदमी की, एक किसान की, एक मज़दूर की सम्पदा को लुटाया है। कैसे लुटाया है, मैं उसका विवरण आपको देना चाहता हूं। हमारी सरकार ने आत्मनिर्भरता और सम्पन्नता के लिए क्या किया? प्रदेश का राजस्व बढ़ाया और खर्चे कम किए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

18.02.2026/1740/AV/As/1

मुख्य मंत्री -------- जारी

बड़े-बड़े उद्योगों को बिजली में रियायतें दी जाती थीं। प्रदेश के खजाने का करोड़ों रुपया बिजली उद्योगों को सब्सिडी के रूप में बांट दिया गया। हमने उस सब्सिडी की लड़ाई लड़ी और कोर्ट में भी इस लड़ाई को जीता। पिछली सरकार ने अपना चुनाव जीतने के लिए वैट के रूप में 6 रुपये घटा दिए और सरकारी खजाने को लाखों रुपये का चुना लगाया। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने जनता की आवाज को सुना, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए 5,000 करोड़ रुपये की रेवड़ियां बांटी। अब जो सरकार में बैठे हुए पूर्व मुख्य मंत्री और उनके मंत्री मण्डल के सदस्य थे उन्होंने 5,000 करोड़ रुपये के करीब रेवड़ियां बांटी और 800-900 के करीब संस्थान खोल दिए। उसी समय डीजल का रेट भी 6 रुपये कम कर दिया था। हमने उस रेट को दोबारा बहाल किया और उसके बाद कॉरपोरेशन के चुनाव आए। हमने जब रेट बहाल किए तो हमें टू थर्ड मैजोरिटी मिली। यह भी विडम्बना ही है कि 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे'। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की सम्पदा को चार वर्षों तक लुटाया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। यहां पर करोड़ों रुपये का घपला हुआ। चार वर्षों में शराब के ठेकों को रिन्यू किया गया और चार वर्षों में इन्होंने केवल 160 करोड़ रुपये राजस्व में अर्जित किए। जब हम आए तो हमने ठेकों की ऑक्शन करवाई। इन्होंने चार वर्षों में केवल 160 करोड़ रुपये कमाये और हमने एक वर्ष में 450 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है और यह इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। बिजली बोर्ड जोकि लगातार घाटे में जा रहा था, तीन वर्षों में व्यवस्था परिवर्तन करके आज बिजली बोर्ड 48 वर्षों बाद 200 करोड़ रुपये के फायदे में आ रहा है। ये वे लोग हैं जिनको 70,000 करोड़ रुपये के करीब आर0डी0जी0 और जी0एस0टी0 कम्पनसेशन सैस मिला। जिस समय ये लोग सत्ता में आए थे 48,000 करोड़

रुपये का कर्जा था। इनको 70,000 करोड़ रुपये की राशि ज्यादा मिली और 45,000 करोड़ रुपये का इन्होंने लोन उठाया। अगर ये प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाते तो उस 48,000 करोड़ रुपये के लोन में 20,000 करोड़ रुपये कम करके लोन को 28,000 करोड़ रुपये में लाते और तब यहां

18.02.2026/1740/AV/As/2

पर आत्मनिर्भरता की बात करते। ये सिर्फ सत्ता में जनता का धन लुटाने के लिए आए थे। हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल का हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से केस जीता। हमने 401 करोड़ रुपया केवल एक होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल से कमाया। हमने प्रदेश की सम्पदा को बचाया और भारतीय जनता पार्टी ने लुटाया।

अध्यक्ष महोदय, पहले हाईड्रो पावर प्रोजैक्ट में वकील भी सरकार के होते थे। सरकारी वकील भी प्राइवेट पार्टी का होता था और प्राइवेट पार्टी का वकील प्राइवेट पार्टी का ही होता था। हमने इसमें भी व्यवस्था परिवर्तन किया। हाई कोर्ट ने जे0एस0डब्ल्यू0 के पक्ष में फैसला दिया। पहले हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती थी। हमने सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े किए और वहां वकील खड़े करके हमने 18 प्रतिशत फ्री रॉयल्टी ली और प्रदेश की सम्पदा को बचाया तथा हमने हर वर्ष डेढ़ सौ करोड़ रुपये का राजस्व कमाया। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि प्रदेश की सम्पदा को लुटाने वाले आज आर0डी0जी0 के पक्ष में खड़े नहीं हैं। इन्होंने रात को ऐसी रणनीति बनाई कि मुख्य मंत्री जी के भाषण में हमारी सच्चाई सामने आएगी इसलिए उसको डिस्टर्ब करना है। लेकिन यह तो जनता की आवाज है और हम जनता की आवाज के लिए सारे आंकड़े रखेंगे।

टी सी द्वारा जारी

18.02.2026/1745/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

मुख्य मंत्री.... जारी

यह जनता की आवाज है और हम जनता की आवाज के लिए सारे आंकड़े रखेंगे। अभी तो यह शुरूआत है आप नारे लगाइए, अध्यक्ष महोदय, युवाओं के साथ धोखा होता रहा? ये लोग राज्य चयन आयोग के पेपर लीक करवाते रहे। परीक्षा केन्द्र ऐसे बनाए जहां इन्होंने अपने कार्यकरताओं को परीक्षा करवाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी और जो चयन आयोग की नियुक्तियां हुई उसमें पूरे प्रदेश के लोगों के साथ धोखा हुआ। हमने उस चीज को पकड़ा और इसके बाद पुलिस भर्ती हुई । उस भर्ती में भी पेपर लीक करवाया गया। इन्होंने चुनाव जीतने के लिए वर्कर और अपने कार्यकर्ता भरने थे। हमने कहा कि हम प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा नहीं होने देंगे। मैंने उस भ्रष्टाचार के अड्डे चयन आयोग को भंग किया और आज राज्य चयन आयोग के माध्यम से योग्य युवाओं को मैरिट के आधार पर आगे आने का मौका मिल रहा है। हम उनको राज्य चयन आयोग के माध्यम से सी0वी0टी0 टैस्ट प्रक्रिया द्वारा सिलेक्ट करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा राज्य भारतीय जनता पार्टी के समय 21वें स्थान पर पहुंच गया था। जो इन्होंने लूटपाट शिक्षा के क्षेत्र में की वह तो आंकड़ों से ही पूरा पता चलेगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि तीन साल में अच्छे और छात्रों के हितों में फैसले ले करके हम 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं। हमने क्या किया, बड़े-बड़े अधिकारियों की जो फौज खड़ी की गई थी जिसमें 118 के करीब आई0एफ0एस0 अधिकारी थे। कोई भी हिम्मत नहीं कर पाया परंतु हमने कहा कि हमें 118 नहीं चाहिए और हमने 86 आई0एफ0एस0 अधिकारियों की रिकमैंडेशन की और अन्य पोस्टों को खत्म कर दिया। इस वर्ष एक भी आई0पी0एस0 और आई0ए0एस0 नहीं मिलेगा। हमें इतने ज्यादा अधिकारियों की फौज खड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे नीचे की श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कम हो रही थी लेकिन हमने उसको भी बंद किया ताकि वित्तव्ययता को कम किया जा सके। हमने पहली बार 75 लाख लोगों को एक समान माना और जो हिमाचल भवन और हिमाचल सदन, चण्डीगढ़ में विधायकों और अधिकारियों को जो 100 रुपये के हिसाब से कमरा मिलाता था उसमें हमने निर्णय लिया कि 75 लाख जनता में से यदि कोई भी हिमाचल भवन में ठहरेगा तो उन सबसे एक समान किराया

18.02.2026/1745/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

लिया जाएगा और यह 1200 रुपये निर्धारित किया गया। इन्होंने किसानों के दूध का रेट 32 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया था। जो व्यक्ति गांव में रहकर गाय को पालकर दूध बेचकर अपनी आजीविका चलाना चाहता था और जिसकी आय का एकमात्र साधन दूध से होने वाली कमाई थी, सरकार ने उसके हित में कार्य किया। हमने गाय के दूध का रेट 51 रुपये, भैंस के दूध का रेट 61 रुपये निर्धारित किया और 3 रुपये किराया दिया। आज लगभग 420 करोड़ रुपये हम गांव में रहने वाली माताओं और बहनों को दूध उत्पादन के लिए सपोर्ट प्राइस के रूप में दे रहे हैं ताकि गांव की आर्थिकी मजबूत हो।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है। शिक्षा मंत्री और हम सभी ने मिलकर इस दिशा में कार्य किया। इन्होंने 5000 करोड़ रुपये की रेवड़ियां बांटी और लगभग 600 शिक्षा संस्थान खोल दिए। आपको शर्म आनी चाहिए, आपने पूरा हिमाचल लूट लिया है। 600 शिक्षा संस्थान ऐसे खोले जहां पर कोई टीचर नहीं था सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। क्या शिक्षा व्यवस्था ऐसे सुधारी जा सकती है? इस तरह से उस समय सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके परिवारों के साथ अन्याय हो रहा था। हमने उस व्यवस्था को बदला और आज140 स्कूलों को सी0बी0एस0ई0 से संबद्ध किया जा रहा है तथा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार करते हुए हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2032 तक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करेंगे कि हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक युवा गर्व से कह सके कि उसने हिमाचल प्रदेश से शिक्षा प्राप्त की है और वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, ये अच्छी बात कह रहे हैं कि हिमाचल को बेच दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 1.10 लाख करोड़ रुपये लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश की संपदा को लुटाया है जोकि बड़े दुःख की बात है। पहले मैं अपना राजस्व बताता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बुरा काम किया है उसका मैं बाद में जिक्र करुंगा।

18.02.2026/1750/टी0सी0वी01/ए0एस0-1

अध्यक्ष : इनको कोट करने की जरूरत नहीं है। Nothing is going on record except your(Hon'ble Chief Minister) statement.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये आपने अच्छा किया। इनके समय में हैल्थ सैक्टर की स्थिति भी अत्यंत खराब थी। 19 वर्ष पुरानी एम0आर0आई0 मशीनें उपयोग में थीं और 20 साल पुरानी एक्सरे की मशीनें प्रयोग की जा रही थी। गावं का आदमी जब जांच करवाने के लिए आता था तो उसको एक लैब से दूसरी और फिर तीसरी लैब में जाना पड़ता था और अंत में उसे पी0जी0आई0 रेफर कर दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हैल्थ सेक्टर का सत्यानाश किया, हमारी सरकार ने उसमें महत्वपूर्ण सुधार किए। आज हम गर्व से कह सकते है कि हमने हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी जो एम्ज दिल्ली में मिलती है उस प्रकार की टेक्नोलॉजी सस्ती दरों पर हिमाचल प्रदेश में लाई। कोई व्यक्ति यह सोच भी नहीं सकता था कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आज चमियाणा, सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, आई0जी0एम0सी0, मेडिकल कॉलेज, नेर चौक, मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर, मेडिकल कॉलेज और टांडा, मेडिकल कॉलेज यानी पांचों संस्थानों में एम्स के स्तर की रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की जा रही है।

पूर्व में शिमला की राजधानी में 20 वर्ष पुरानी मशीनें उपयोग में लाई जा रही थीं। यहां चिकित्सक बहुत अच्छे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी बाबा आदम के जमाने की रखी हुई है। इन्होंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा। इसके लिए कोई मुझसे मांग करने नहीं आया। यह वह सरकार है जो दर्द को समझती है, पीड़ा को महसूस करती है और अपने आप फैसले लेकर व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से उसको आगे बढ़ाती है।

अध्यक्ष महोदय, हमने

एन0एस0 द्वारा जारी ....

18-2-2026/1755/एन0एस0-डी0सी0/1

मुख्य मंत्री-----जारी

डायरेक्टर, हैल्थ सर्विसिज का कॉडर अलग कर दिया है और डायरेक्टर, मेडिकल एजुकेशन का कॉडर अलग कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आने वाले एक वर्ष के भीतर सभी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल टेक्नोलॉजी होगी और डॉक्टरों व स्टाफ नर्सों के कोई भी पद खाली नहीं होंगे। हमारा यह प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या होती है और उसका पहलू क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था वह होती है जहां गांव के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे। पहली बार किसी सरकार ने इस दृष्टिकोण से सोचा है। मैं बताना चाहता हूं कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से हमने गेहूं 60 रुपये प्रति किलो, मक्की 40 रुपये प्रति किलो, हल्दी 90 रुपये प्रति किलो और जौं 60 रुपये प्रति किलो खरीद रहे हैं। जौं पांगी क्षेत्र में ज्यादा होता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मनरेगा खत्म कर दिया। जब मनरेगा चली, हमने अपने संसाधनों से दो वर्षों में 80 रुपये की बढ़ौतरी दिहाड़ी में की थी जो हम गरीब मजदूरों को देना चाहते थे।

अध्यक्ष महोदय, यह आत्मनिर्भर हिमाचल की कल्पना है। आत्मनिर्भर हिमाचल सोच से बनता है और विचार से बनता है। दृढ़ निश्चय से बनता है और लक्ष्य निर्धारित करने पड़ते हैं। यह आत्मनिर्भर हिमाचल ही है कि 17,000 करोड़ रुपये आर0डी0जी0 मिलने के बाद और दूसरी तरफ 54,000 करोड़ रुपये आर0डी0जी0 मिलने के बाद, जी0एस0टी0 कंपनसेशन मिलने के बाद प्रदेश की सम्पदा को और गरीब जनता की सम्पदा को लुटाते रहे।

अध्यक्ष महोदय, चर्चा किस पर हो रही है? यहां पर हिमकेयर व सहारा योजना की बात की जा रही है।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी आप और कितना समय लेंगें क्योंकि मुझे सदन की कार्यवाही का समय और बढ़ाना पड़ेगा।

मुख्य मंत्री : 30 मिनट और लूंगा।

18-2-2026/1755/एन0एस0-डी0सी0/2

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक सायं 6.30 बजे तक बढ़ाई जाती है। I am requesting all the Hon'ble Members that no video clips from individual mobiles should be photographed in the House. If any Hon'ble Member has done so, please delete it. Otherwise, that will be against the Rules and I will be forced to take action against that Hon'ble Member. Nothing will go on record except the statement of the Hon'ble Chief Minister. It is the 'e-Vidhan' module that will have the videos. Whatever will go on the 'You Tube' that will also be with the permission of the Chair. Whatever we will circulate on the 'e-Vidhan' module, except that, if any video is made by any Hon'ble Member, then he will be forcing me to take a very stern action against that fellow. Thank you very much.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री जय राम ठाकुर जी बार-बार कह रहे थे कि हिमकेयर योजना को बंद किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिनांक 01 जनवरी, 2019 से नवम्बर, 2022 तक आपने चार वर्षों में हिमकेयर योजना में 374 करोड़ रुपये दिए और हमने दिसम्बर, 2022 से दिनांक 17 फरवरी, 2026 तक 927.27 करोड़ रुपये हिमकेयर योजना के दिए हैं। हमारे द्वारा 626 करोड़ रुपये की पेमैंट की गई और पिछली सरकार की 90 करोड़ रुपये की लायबिलिटी भी हमने पूरी की। हम हिमकेयर योजना को भी चलाएंगे। हम आम आदमी व गरीब आदमी के लिए इस योजना को रेग्युलेट करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। पूर्व सरकार ने 374 करोड़ रुपये दिए और वर्तमान सरकार 974 करोड़ रुपये दे रही है। कौन मजबूत कर रहा है और किसने लुटा है? आप लोगों ने लुटा है। सहारा योजना के तहत कई बार कहा जाता है कि अभी तक हमने कितने पैसे दिए।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

18.02.2026/1800/RKS/एचके-1

मुख्य मंत्री जारी

हम अभी तक 202 करोड़ रुपये जारी कर चुके हैं जबकि इन्होंने अपने समय में 140 करोड़ रुपये ही दिए हैं। हमारे प्रदेश को तीन बार आपदाओं का सामना करना पड़ा जिनके कारण काफी घर तबाह हुए । हमने हर आपदा प्रभावित परिवारों के आंसू पोंछने की कोशिश की है। ऐसे परिवार जिन्होंने रात को अपने घर में खाना खाया लेकिन वे कभी सोच ही नहीं सकते थे कि अगले पल उनकी आंखों के सामने उनका आशियाना बह जाएगा। उनके पास पीने के पानी का गिलास तक नहीं बचा। बच्चों के स्कूल बह गए। मैं और मेरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य आपदा प्रभावित परिवारों के पास गए। हमने वर्ष 2023-24 व वर्ष 2024-25 की आपदा का सामना किया। मेरी जब अधिकारियों के साथ बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपदा प्रभावित परिवारों को आवास हेतु 1.30 लाख रुपये देने का प्रावधान है। इसमें भी 20 हजार रुपये हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपना शेयर डालना होता है। मैंने अधिकारियों को कहा कि 1.50 लाख रुपये में तो घर नहीं बन सकता। हमने इस राशि को बढ़ाने का प्रावधान किया और हिन्दुस्तान का सबसे अच्छा पैकेज हमारी सरकार ने वर्ष 2023-24 व वर्ष 2025-26 में आपदा प्रभावित परिवारों को घर बनाने के लिए दिया। मैंने कहा कि जब तक लोगों के घर नहीं बन जाते तब तक गांव में रह रहे प्रभावितों को 5 हजार रुपये और शहर में रहने वालों को 10 हजार रुपये किराये के रूप में दिया जाएगा तथा उनके खाने-पीने का सारा प्रबंध भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ही किया जाएगा। मुझे खुशी इस बात की है कि हमने अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल किया और जो घर पूरी तरह और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे उन्हें बसाने का काम किया। वर्ष 2025-26 में जिनके घर टूट गए थे उन्हें पहली किस्त के रूप में 4 लाख रुपये प्रदान किए गए। यह सरकार की संवेदनशीलता ही है कि हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य स्थिति का जायजा लेने के लिए पैदल चलकर उनके घरों तक पहुंचे। डॉ0 जनक राज जी भरमौर के

विधायक हैं लेकिन वह भी पैदल नहीं गए। हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य चम्बा से लेकर भरमौर तक पैदल गए और वहां 4 दिन तक ठहरे। वहां जो श्रद्धालू फंसे थे हमने उन्हें भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से चम्बा पहुंचाया और उसके बाद उन्हें उनके घर छोड़ने का काम किया। श्री जय राम ठाकुर जी ने अपने विधान सभा क्षेत्र में 50 करोड़ रुपये

18.02.2026/1800/RKS/एचके-2

की बिल्डिंग सिर्फ दो लोगों के लिए बना दी। वहां आई0टी0आई0 में चार लोग ही कार्यरत हैं। इन्होंने एक रेस्ट हाउस 32 कमरे का बना दिया। जब वहां आपदा आई तो हमारे राजस्व मंत्री जी इनके चुनाव क्षेत्र में गए। हमने 200 से ज्यादा परिवारों को पहली किस्त के तौर पर 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की। इन्होंने नदी के किनारे जो कॉलेज बनाया था उसे श्री विनोद कुमार जी के निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए हमारी कैबिनेट द्वार फैसला लिया गया। वहां जो 200 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बनी है हमने उस भवन में यह कॉलेज शिफ्ट किया। हमने मंडी के विकास के लिए हर परिवार से जुड़ने की कोशिश की है। वर्ष 2023-24 में भारत सरकार की एक टीम ने पी0डी0एन0ए0 के रूप में एक सर्वे किया। उन्होंने रिपोर्ट दी कि प्रदेश को 9300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। लेकिन हमें दो साल बाद 1500 करोड़ रुपये मिले जिमसें 500 करोड़ रुपये राज्य सरकार को डालने होते हैं तब जाकर यह राशि दो हजार करोड़ रुपये बनेगी। हमें इस मद में अभी तक एक हजार करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार प्रदेश की जल सम्पदा से धन कमा रही है

श्री बी0एस0द्वारा जारी

18.02.2026/1805/बी.एस./एच के-1

मुख्य मंत्री जारी...

प्रदेश के पानी से, प्रदेश की संपदा से केन्द्र सरकार धन तो कमा रही है परंतु जब प्रदेश को ग्रांट देने की बात आ रही है तो केन्द्र सरकार से संपदा के रूप में हमें कुछ नहीं मिलता। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के हितों को बेच दिया। लूहरी, सुन्नी और

धोलासिद्ध प्रोजैक्ट्स को कहा कि 12 साल तक हम आपसे कोई प्री पावर नहीं लेंगे सिर्फ 4 प्रतिशत ही लेंगे। हमने उस नीति को गलत माना और आज आपको यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने जब से चिट्ठी लिखी है कि आप इसमें जल्दी करें तो वे टालमटोल कर रहे हैं। अगर फायदा ही नहीं होना है तो देने में क्या तकलीफ है। हम इस प्रजैक्ट को बनाएंगे हमारे में क्षमता है। सरकार क्या नहीं कर सकती? इनकी सरकार के मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे वे फैसले लेने से डरते थे परंतु संपदा को बैचने में इन्हें बड़ा मजा आता था। प्रदेश को कैसे बेचा? सुन्नी लुहरी, धोलासिद्ध आपका अधिकार बनता था उसे भी बेच दिया। फिर एक नई चीज कस्टोमाइज पैकेज आई और देखिए अगर हम पांच हजार बीघा में एक शहर बनाते हैं तो कम-से-कम 5 हजार करोड़ का रेवेन्यू आता परंतु इन्होंने 5 हजार बीघा बिना रजिस्ट्रेशन के एक करोड़ रुपये की लीज में दे दी। इन्होंने ने प्रदेश की संपदा को लुटा दिया। अध्यक्ष महोदय, आज हम जिस भी मोड़ पर खड़े हैं अगर आज ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज यहां पर नारे लगा रहे हैं।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, ये नारे रिकार्ड पर नहीं जा रहे हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक और डाटा रिकार्ड पर लाना था क्योंकि इन्हें तकलीफ होनी थी इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं डाटा दे देता हूं फिर कुछ बातें स्पष्ट करता हूं। लेकिन ये प्रदेश को लुटाने वाले प्रदेश का हित बेचने वाले आज इस समय प्रदेश हित में खड़े नहीं हो रहे हैं।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, काफी डिटेल में डाटा आ गया है, अब वोट डाल देते हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये प्रदेश के हित में खड़े नहीं हो रहे हैं। मैं थोड़े से और आंकड़े देना चाहता हूं। जो हिमाचल वासी देश के लिए कुर्बान होते हैं। हिमाचल के युवाओं ने देश

की सरहद पर और हमेशा गर्व से कहा कि हिमाचल प्रदेश देश की सेवा में देश की रक्षा में देश की सीमा में प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। चार परमवीर चक्र पूरे

देश में किसी प्रदेश को नहीं मिले। आज जो सबसे ज्यादा परमवीर प्राप्त करने वाल प्रदेश है तो आर0डी0जी0 के रूप में उनके साथ अन्याय हो रहा है। कैप्टन, मेजर सोमनाथ शर्मा जिन्हें परमवीर चक्र मिला, मेजर ध्यान सिंह थापा जिन्हें परमवीर चक्र मिला, कैप्टन बिक्रम बत्रा जिन्हें परमवीर चक्र मिला, कैप्टन संजय कुमार जिन्हें परमवीर चक्र मिला। मेजर सुधीर वालिया को अशोक चक्र मिला और हिमाचल के जो युवा साथी जो देश की सरहद में अपने प्राणों का बलिदान दिया है उनमें से 12 से अधिक लोगों को शौर्य चक्र और अन्य को गैलेंटरी अवाड्र्ज मिले हैं।

प्रदेश को वर्ष 1952 से ले करके आज तक आर0डी0जी0 ग्रांट मिली। अध्यक्ष महोदय, आर0डी0जी0 आय और व्यय के बीच के अंतर को पाटने के लिए दी जाती है और इसका आर्टिकल 275(I) में हमारे लिए प्रावधान भी किया गया था। आदरणीय जय राम ठाकुर जी 15वें वित्तायोग के लिए तो बोल रहे हैं कि ग्रांट मिलनी चाहिए परंतु आज इनके ऊपर आर0डी0जी0 के लिए कितना प्रेशर आ गया है कि आर0डी0जी0 प्रदेश को नहीं मिलनी चाहिए। आर0डी0जी0 क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यह हिमाचल प्रदेश के लोगों का अधिकार है, यह कोई खैरात नहीं है। हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ेगी। आज विधान सभा के अन्दर भी विपक्ष के विधायकों ने आर0डी0जी0 के समर्थन में एक भी बात नहीं कही है। जब ये अपने क्षेत्रों में जाएंगे

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

18.02.2026/1810/डीटी/वाईके-1

मुख्य मंत्री जारी

तो लोग इनसे पूछेंगे कि जब प्रदेश का हर साल 10 हजार करोड़ रुपये कट रहा था तो आपने क्यों नहीं कहा कि आर0डी0जी0 हिमाचल लोगों को मिलनी चाहिए। आपने विधान सभा में स्पेशल सैशन बुलाया। यह लोगों का अधिकार है। आज भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। आप इस लड़ाई में हमारा साथ दें। अंत में मेरी भाजपा के सभी सदस्यों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप प्रदेश के हित को ध्यान में रखें। अगर यह अधिकार

आज कट गया तो आने वाले समय में आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते। 17 मार्च, 2026 को बजट और 16वें वित्तायोग की रिपोर्ट पास होनी है। मैं चाहूंगा कि आर0डी0जी0 के मामले में भाजपा विधायक दल और हमारा पूरा मंत्रिमंडल उस प्रोटोकोल को छोड़कर श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में जाने के लिए तैयार रहे। हम चाहते हैं कि आप प्रदेश की जनता का साथ दें। जब बजट में हर साल 10 हजार करोड़ रुपये हिमाचल के लोगों का कटेगा तो वह गरीब लोगों, किसानों, मजदूर वर्ग और कर्मचारी वर्ग के साथ कुठाराघात होगा। यह राशि वर्ष 2026 से 2031 रुपये तक कटेगी। ये कर्मचारियों के 10 हजार करोड़ रुपये का एरियर छोड़कर गए हैं। आप 76,680 करोड़ रुपये की अन्य लाइबलिटज भी छोड़कर गए हैं। हमने 70 वर्ष की आयु से अधिक पेंशनर्ज को सारा एरियर दे दिया गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1.1.2016 से 31.1.2022 तक का 70 प्रतिशत एरियर की अदायगी कर दी गई है। भाजपा के लोग सिर्फ राजनीति करते हैं जनता की सेवा नहीं करते। ये क्या सोच रहे हैं, प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। आज मैं फिर कहता हूं कि भगवान इनको सद्वबुद्धि दे। मैं इनसे कह रहा हूं कि प्रदेश की आर0डी0जी0 के लिए देश के प्रधान मंत्री से मिलीए हम आपके पीछे चलने को तैयार हैं। आप अपनी कुर्सी के चक्कर में आर0डी0जी0 का विरोध मत कीजिए। आप केंद्र सरकार से डरो मत। आपको अन्याय के विरूद्ध लड़ाई लड़नी चाहिए। गीता में भी लिखा है कि जब-जब भी जनता से अन्याय होगा तो हम लोगों में कोई-न-कोई आकर उस अन्याय के विरूद्ध लड़ाई लड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि श्री जय राम जी के नेतृत्व में आर0डी0जी0 को पुनः बहाल करने के लिए केंद्र सरकार के पास

18.02.2026/1810/डीटी/वाईके-2

चलते हैं। इसके लिए विपक्ष को हमारा साथ देना चाहिए। हम आपके साथ सभी मुद्दों में बातचीत करने को तैयार हैं लेकिन प्रदेश का हित जो पिछले पांच सालों में आपने बेचा है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब आने वाली पीड़ी इतिहास के पन्नों को पलटेगी तो वह देखेगी कि वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार ने प्रदेश को आर0डी0जी0 के रूप में मिलने वाली 10000 करोड़ रुपये की राशि को काट दिया है। इसलिए मैं विपक्ष के साथियों

से यही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के इतिहास को आप दर्ज न होने दें। जो आर0डी0जी0 बंद की गई है उसके लिए आप देश के प्रधान मंत्री से मिलने के लिए क्यों नहीं गये? इसलिए मैं एक बार फिर विपक्ष से अनुरोध करना चाहता हूं कि विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्य इसमें हमारे विपक्ष के वरिष्ठ नेता श्री जय राम ठाकुर जी और भाजपा के अन्य विधायक जो हैं, इनसे मैं यही फेवर चाहूंगा कि ये सब हमारे साथ केंद्र सरकार के पास चलें। आईये हम सब मिलकर प्रदेश के हित की लड़ाई लड़ते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी द्वारा इस सदन में ले किया गया है इसको सर्वसम्मित से पास किया जाए।

अध्यक्ष एन0जी0 द्वारा जारी...

18.02.2026/1815/वाई.के.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री के पश्चात..... जारी

(**विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन के बीचोंबीच बैठ कर लगातार नारेबाजे कर**ते रहे)

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि "प्रदेश को संविधान के अनुच्छेद 275 और 280 के तहत राजस्व सहायता अनुदान की राशि 5वें से 15वें वित्तायोग तक प्राप्त हो रही थी जोकि 16वें वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप केन्द्र सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष से बन्द की गई है जिससे प्रदेश में आर्थिक संकट के हालात पैदा हुए हैं। इसके दृष्टिगत यह सदन केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि पूर्व में दी जा रही राजस्व सहायता अनुदान राशि प्रदेश की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर राजस्व घाटे के अनुरूप प्रदान की जाए"?

प्रस्ताव स्वीकार

अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2026 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **(यशपाल शर्मा)**
दिनांकः 18 फरवरी, 2026 **सचिव।**